लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल संख्या – 1

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1)(ख)(I))

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लघु सिंचाई विभाग की स्थापना

उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय आदेश सं0–3819/38–बी–517/1964 दिनांक 08 अक्टूबर 1964 को आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास की देखरेख में अल्पसिंचाई विभाग नाम से लघु सिंचाई विभाग की स्थापना की गयी थी। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण जन शक्ति एवं अल्प सिंचाई को इस नव गठित विभाग का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। इस आदेश के द्वारा वह सारी जगहें और कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति अल्प सिंचाई योजना, ग्रामीण जन शक्ति योजना और अल्प सिंचाई के अनुसंधान व प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मुख्यालय अथवा क्षेत्र में की गयी थी, अधीक्षण अभियन्ता के नियन्त्रण में सुपुर्द की गयी। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय आदेश सं0–यूपी–5681/38–ख– सामूदायिक विकास(ख) विभाग, लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर 1965 के द्वारा शासकीय आदेश दिनांक 08 अक्टूबर 1964 में उल्लिखित नियन्त्रण व्यवस्था को किस प्रकार प्रयोग में लाया जायेगा, की प्रक्रिया निर्धारित कर नियुक्ति अधिकारी, अनुशासनिक नियन्त्रण एवं कार्यवाही, स्थानान्तरण, चरित्र पंजिका की प्रविष्टि, अपील आदि की रीति निर्धारित की गयी। उक्त आदेश दिनांक 16.09.1965 की प्रति इस मेनुअल के अन्त में संलग्न है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में लघु सिंचाई विभाग का विस्तारः

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–3358/28–7–2(7)/10/78 दिनांक 23 मार्च 1979 और पर्वतीय विकास अनुभाग–5 के शासनादेश दिनांक 10 अगस्त 1979 के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाइड्रम स्प्रिंकलरों के निर्माण की योजना स्वीकृत कर एक अधिशासी अभियन्ता व 8 सहायक अभियन्ता सहित 42 अधिकारियों व कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गये, जिसके उपरान्त लघु सिंचाई विभाग के एक डिवीजनल कार्यालय की पर्वतीय क्षेत्र के कुमाँऊ मण्डल में स्थापना हुई।

वर्ष 1979 में ही पर्वतीय विकास विभाग के शासनादेश सं0 3358/28–7–2(7) /10/78 पर्वतीय विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 23 मार्च 1979 के द्वारा गढ़वाल मण्डल के लिए एक अधिशासी अभियन्ता सहित कुल 32 पद स्वीकृत किए गये, जिसके उपरान्त गढ़वाल मण्डल में भी लघु सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालय की स्थापना हुई।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड में लघु सिंचाई विभाग का ढ़ांचा व स्वीकृत पदः

नवम्बर 2000 में उत्तराखण्ड राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड में लघु सिंचाई विभाग का एक वृत्त कार्यालय (नोडल ऑफिस), खण्डीय कार्यालय एवं उखण्डीय कार्यालय का ढ़ांचा व एक अधीक्षण अभियन्ता (नोडल अधिकारी) के अधीन तीन अधिशासी अभियन्ता, 14 सहायक अभियन्ता, 125 अवर अभियन्ता, 53 बोरिंग टैक्नेशियन, 13 सहायक बोरिंग टैक्नेशियन सहित कुल 335 पद अस्तित्व में थे।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा लघु सिंचाई विभाग के संगठनात्मक ढ़ांचे के लिए स्वीकृत पद : उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त शासनादेश सं0 29/ल0सिं0/2000 दिनांक 23.12.2000 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष के अधिकार मुख्य अभियन्ता स्तर–1 सिंचाई विभाग को प्रदत्त किये गये थे, किन्तु तदोपरान्त

शासनादेश सं0 2100/XXX(1)-2001(1)/2004 दिनांक 30 जुलाई 2004 एवं शासनादेश सं0 4984/XXXI(1)/ 2004 दिनांक 13.09.2004 के द्वारा स्वतन्त्र विभाग के रूप में लघु सिंचाई एवं कृत्रिम रूप से भूमिगत जल संवर्धन एवं वर्षा जल सम्भरण विभाग वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के नियन्त्रणाधीन किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 195/।।–2004–16/04 दिनांक 19 मई 2004, शासनादेश सं0 625/।।–2006–01(34)/04 लघु सिंचाई विभाग, देहरादून दिनांक 13 सितम्बर 2006 एवं शासनादेश संख्या 1101/।।(2)–2008–01(34)/04 दिनांक 24–07–2008, शासनादेश संख्या 1044 /।।–2011–01(05)/2011 दिनांक 03.10.2011 एवं कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 90/XXX (2)/2016–30 दिनांक 26.07.2016 एवं शासनादेश संख्या 278/।।–2017–01(05) /2011 दिनांक 25.05.2017 के द्वारा पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति के फलस्वरूप, उत्तराखण्ड में लघु सिंचाई विभाग के संगठनात्मक ढ़ांचे के अन्तर्गत निम्न 539 पद अस्तित्व में हैं :–

क्र0 सं0	पदनाम	सतवे वेतनमान के अनुसार/वेतमान/वेतन मैट्रिक्स लेबल	कुल पद
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	131100-216600(13-A)	01
2	अधीक्षण अभियन्ता	78800-209200(12)	04
3	अधिशासी अभियन्ता	67700-208700(11)	14
4	सहायक अभियन्ता	56100-177500(10)	38
5	कनिष्ठ अभियन्ता	35400-112400(6)	145
6	खण्डीय लेखाधिकारी	47600-151100(8)	13
7	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100-177500(10)	06
8	मुख्य वैय0 अधिकारी	56100-177500(10)	01
9	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600-151100(8)	08
10	प्रशासनिक अधिकारी	44900-142400(7)	08
11	वैयक्तिक अधिकारी	44900-142400(7)	03
12	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	35400-112400(6)	06
13	वैयक्तिक सहायक	29200-92300(5)	08
14	प्रधान सहायक	44900-142400(7)	18
15	वरिष्ठ सहायक	29200-92300(5)	28
16	प्रारूपकार	35400-112400(6)	13
17	बोरिंग टैक्नीशियन	25500-81100(4)	24
18	सहायक बोरिंग टैक्नीशियन	19900-63200(2)	46
19	कनिष्ठ सहायक	21700-69100(3)	31
20	अमीन/सींचपाल	19900-63200(2)	08
21	अनुरेखक	18000-56900(1)	05
22	वाहन चालक	19900-63200(2)	26
23	अनुसेवक	18000-56900(1)	85
	कुल पद		539

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक क्रमश : दिनांक 19 मई 2004, दिनांक 13 सितम्बर 2006, दिनांक 25 जुलाई, 2008, दिनांक 03 अक्टूबर, 2011, 90 दिनांक 26.07.2016 के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 1383 दिनांक 16.12.2016 एवं शासनादेश 278 दिनांक 19.06.2018 के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 617 दिनांक 19.06.2018 की प्रतियां इस मैनुअल के अन्त में संलग्न हैं।

शासन द्वारा स्वीकृत 539 पदों के सापेक्ष वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग में मार्च,2019 तक मात्र 416 अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैं।

उत्तराखण्ड अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006 :

उत्तराखण्ड शासन लघु सिंचाई विभाग की अधिसूचना संख्या 643 / ।।(2)–2006–01(19) / 2006 दिनांक 22.09.2006 के द्वारा **उत्तराखण्ड अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली 2006** लागू की गयी है। भविष्य में लघु सिंचाई विभाग में अभियन्ताओं की नियुक्ति एवं नियमावली की परिधि में आने वाले सेवा सम्बन्धी विषयों पर निर्णय निमयावली के अनुसार लिया जायेगा। नियमावली इस मैनुअल के साथ संलग्न है।

लघु सिंचाई विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा :

लघु सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर–2 विभागाध्यक्ष हैं। विभागाध्यक्ष के अधीन राज्य में चार वृत्त कार्यालय, प्रत्येक जनपद में खण्डीय कार्यालय एवं 34 उपखण्डीय कार्यालय व प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय पर क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकासअधिकारी के नियन्त्रणाधीन लघु सिंचाई विभाग के एक–एक कनिष्ठ अभियन्ता तैनात है। इस प्रकार लघु सिंचाई विभाग के संगठनात्मक ढ़ांचे का स्वरूप निम्नवत् है :–

लघु सिंचाई एवं भू–जल विभाग, उत्तराखण्ड का संरचनात्मक ढ़ांचा

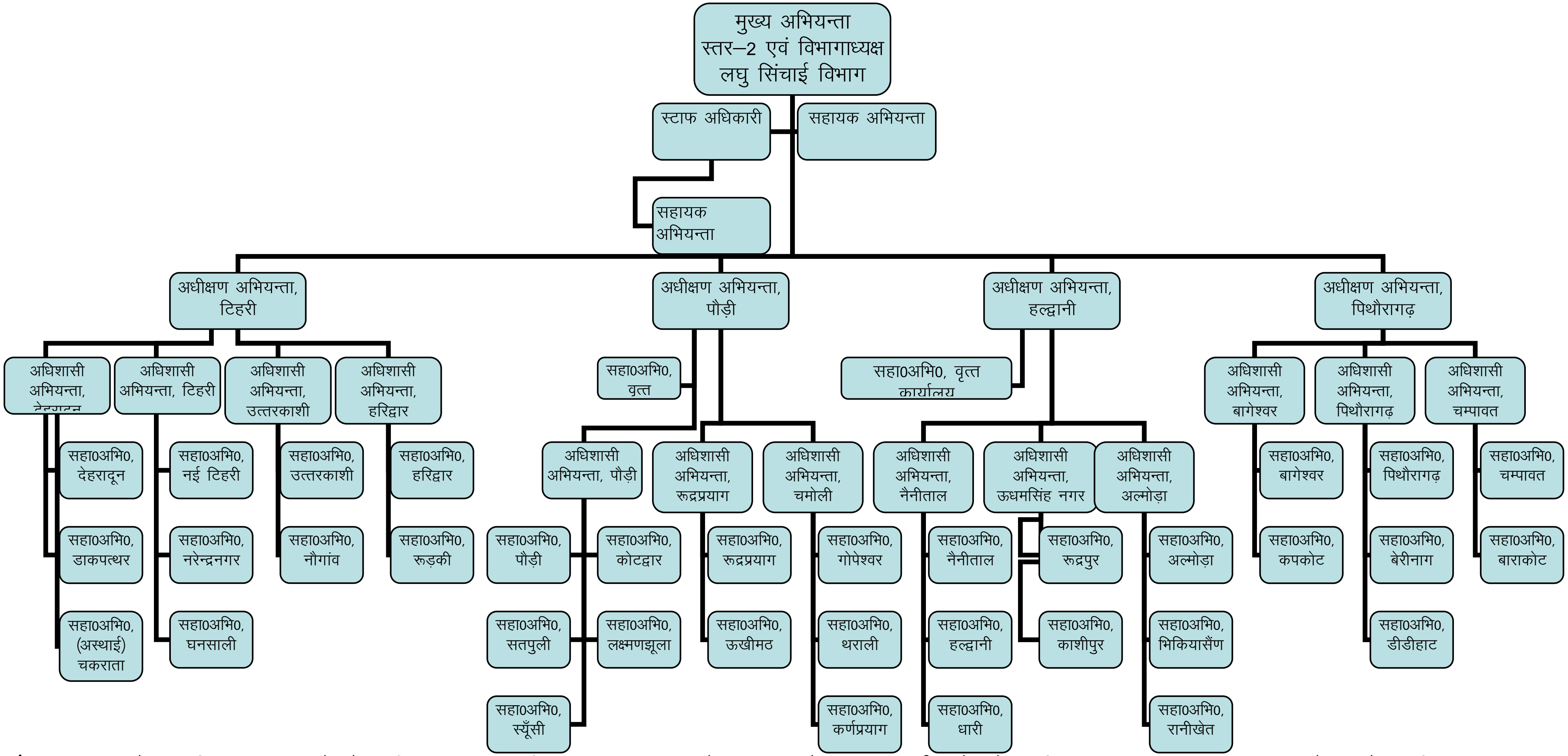

नोट :– उपरोक्त विभागीय ढ़ांचे में इंगित मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय में खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्र पंचायतों के नियन्त्रणाधीन लघु सिंचाई विभाग के एक–एक कनिष्ठ अभियन्ता तैनात हैं।

लघु सिंचाई विभाग के मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों का पत्र व्यवहार का पता व दूरभाष नम्बर :

लघु सिंचाई विभाग का मुख्यालय लघु सिंचाई भवन, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी लेन न0–3, नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून में स्थित है। मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के द्वारा ही विभागाध्यक्ष का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है। कार्यालय का दूरभाष संख्या (0135) 2672006, 2662157 फैक्स संख्या (0135) 2662159 एवं ई–मेल आई0डी0 cemiduk@gmaile.com है।

लघु सिंचाई विभाग के वृत्त कार्यालय, खण्डीय कार्यालय व उपखण्ड कार्यालयों का पता एवं दूरभाष नम्बर निम्नवत् है :–

क0 सं0	कार्यालय का नाम व पता	दूरभाष नम्बर / फैक्स
1	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, लघु सिंचाई भवन, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी लेन न0–3, नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून।	(0135)2672006 (0135)2662159
2	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, टिहरी	(01376)232256 (01376)232256
3	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पिथौरागढ़	(05964)225676 –
4	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, हल्द्वानी	(05946)284559 (01368) 284559
5	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी	(01368)221372 (01368)221372
6	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल।	(05942)248429 (05942)248429
7	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, ऊधमसिंह नगर	(05942)247688 (05942)247688
8	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	(05962)232771 (05962)232771
9	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	(05964)225676 (05964)225676
10	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	(05963)220277 (05963)220277
11	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत	(05965)230949 (05965)230949
12	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून	(0135)2768972 (0135)2768972

13	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी	(01376)234134
14	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	(01374)226167 (01374)226167
15	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	(01334)250934 (01334)250934
16	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी	(01368)222077 (01368)222077
17	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	(01364)233062 (01364)233062
18	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चमोली	(01372)251432 (01372)251432
19	स्टाफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, लघु सिंचाई भवन, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी लेन न0–3, नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून।	(0135)2662157 (0135)2662159
20	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई संगणना सैल, देहरादून	(0135)2672008 (0135)2662159
21	सहायक अभियन्ता, मु0अभि0 कार्या0, लघु सिंचाई देहरादून	(0135)2672006 (0135)2662159
22	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, देहरादून	(0135)2768972
23	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, डाकपत्थर	(0135)2872499
24	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, चकराता	– –
25	सहायक अभियनता, लघु सिंचाई उपखण्ड, हरिद्वार	(01334)250934
26	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, रूड़की	(01332)267929
27	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, टिहरी	– –
28	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, घनसाली	– –
39	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, नरेद्रनगर	– –
30	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तरकाशी	(01374)224548
31	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई नौगांव	(01375)245073
32	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी	(01368)222077
33	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई सतपुली	(01368)222981 –

34	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई स्यूँसी	(01368)223020
35	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, कोटद्वार	– –
37	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, लक्ष्मणझूला	– –
36	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, रूद्रप्रयाग	(01364)233062
37	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड उखीमठ	– –
38	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड चमोली	(01372)253945
39	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड थराली	(01363)271561
40	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, कर्णप्रयाग	–
41	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, नैनीताल	(05942)248429
42	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, हल्द्वानी	(05946)264279
43	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, धारी	(0135)2640051
44	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, काशीपुर	
45	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, ऊधमसिंहनगर	
46	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, अल्मोड़ा	(05962)230325
47	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, रानीखेत	– –
48	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, भिकियासैंण	– –
49	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, बागेश्वर	– –
50	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, कपकोट	– –
51	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, पिथौरागढ़	(05964)225676
52	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, डीडीहाट	– –
53	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, बेरीनाग।	– –
54	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, चम्पावत	(05965) 230949
55	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, बाराकोट	– –
56	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई सांख्यिकी सैल	– –

57	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, रायपुर देहरादून	(0135) 2764507 —
58	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, विकासखण्ड डोईवाला	— —
59	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, सहसपुर	— —
60	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, विकासनगर	— —
61	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, कालसी	— —
62	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, चकराता	— —
63	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, चम्बा टिहरी	(01376) 255254
64	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, छाम (थौलधार)	— —
65	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, प्रतापनग,	— —
66	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, भिलंगना	— —
67	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, कीर्तिनगर	— —
68	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, जाखणीधार	— —
69	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, देवप्रयाग	— —
70	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, नरेन्द्रनगर	— —
71	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, जौनपुर	— —
72	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, बहादराबाद हरिद्वार	— —
73	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, लक्सर	—

74	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, खानपुर	—
75	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, रूड़की	(0133) 2267499
76	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, भगवानपुर	—
77	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, नारसन	—
78	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, भटवाड़ी उत्तरकाशी	— —
79	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, नौगांव	— —
80	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, चिन्यालीसौड़	— —
81	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, पुरोला	— —
82	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, मोरी	— —
83	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, डुण्डा	— —
84	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड,कर्णप्रयाग चमोली	—
85	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, थराली	(01363) 271239
86	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, देवाल	—
87	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, नारायणबगड़	—
88	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, दशोली	—
89	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, घाट	—
90	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, गैरसैण	—

91	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, जोशीमठ	(01389) 222186
92	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, पोखरी	–
93	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, अगस्तमुनी रुद्रप्रयाग	– –
94	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, जखोली	(01364) 234256
95	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, उखीमठ	– –
96	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, पौड़ी	–
97	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, कोट	–
98	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, कल्जीखाल	–
99	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, यमकेश्वर	–
100	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड,दुगड्डा	–
101	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, नैनीडांडा	–
102	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, एकेश्वर	–
103	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, खिर्सू	– –
104	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, पावौ	– –
105	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, थलीसैण	– –
106	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, बीरोंखाल	– –
107	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, जयहरीखाल	– –

108	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, रिखणीखाल	– –
109	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, पोखड़ा	–
110	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, द्वारीखाल	
111	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, धारी, नैनीताल	– –
112	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, बेतालघाट	(05942) 247645
113	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, कोटाबाग	– –
114	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, भीमताल	– –
115	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, हल्द्वानी	(05946) 262721 –
116	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड,ओखलकाण्डा	– –
117	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, रामगढ़	– –
118	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, रामनगर	(05942) 238348 –
119	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, लमगड़ा, अल्मोड़ा	–
120	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, भैसियाछाना	–
121	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, स्यालदे	–
122	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, भिक्यासैण	– –
123	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, हवालबाग	– –
124	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, द्वाराहाट	– –

125	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, धौलादेवी	– –
126	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, सल्ट	– –
127	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, ताकुला	– –
128	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, ताड़ीखेत	– –
129	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, चौखुटिया	– –
130	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, काशीपुर उधमसिंहनगर	– –
131	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, खटीमा	– –
132	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड,गदरपुर	– –
133	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, रुद्रपुर	– –
134	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, बाजपुर	– –
135	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, जसपुर	– –
136	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, सितारगंज	– –
137	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, धारचूला, पिथौरागढ़	– –
138	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, बेरीनाग	– –
139	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, विण	– –
140	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, मुन्स्यारी	– –
141	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, गंगोलीहाट.	– –

142	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, कनालीछीना	– –
143	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, मूनाकोट	– –
144	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, डीडीहाट	– –
145	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, कपकोट, बागेश्वर	– –
146	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, बागेश्वर	(05962) 202656
147	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, गरूड़	(05962) 258246
148	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड,चम्पावत	– –
149	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, बाराकोट	– –
150	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, लोहाघाट	– –
151	कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विकासखण्ड, पाटी	– –

कार्यालय खुलने व बन्द होने का समयः

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य विभागीय कार्यालयों की भांति लघु सिंचाई विभाग के मुख्यालय व समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वान्ह 10:00 बजे एवं बन्द होने का समय सांय 5:00 बजे है। भोजनावकाश हेतु आधे घण्टे का समय दोपहर 01:30 बजे से 02:00 बजे के मध्य कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित है।

साप्ताहिक/सार्वजनिक अवकाश :

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य विभागीय कार्यालयों की भांति लघु सिंचाई विभाग का मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक रविवार व माह के द्वितीय शनिवार को एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिन बन्द रहते हैं।

लघु सिंचाई विभाग का ध्येय/मिशन स्टेटमेंटः

उत्तराखण्ड में उपलब्ध जल श्रोतों का समुचित/ सुनियोजित ढ़ंग से दोहन कर राज्य में लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि योग्य भूमि को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।

लघु सिंचाई विभाग का नागरिक घोषणा–पत्रः

लघु सिंचाई विभाग द्वारा कास्तकारों की जानकारी हेतु **"किसान लघु सिंचाई चार्टर"** प्रकाशित किया गया है, जिसमें किसानों सुविधा हेतु विभाग से सम्बन्धित जानकारी प्रकाशित की गयी है। किसान लघु सिंचाई चार्टर **मैनुअल–5** में संलग्न है।

लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख कर्तव्य

- समस्त लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु नियोजन, क्रियान्वयन विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना। इस हेतु संसाधन पारित करना, कार्य की बाधाओं को हटाना, कार्य की प्रक्रिया तय करना तथा कार्य की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना।
- लघु सिंचाई विभाग द्वारा छोटे–छोटे प्राकृतिक श्रोतों, नदियों, गधेरों/नालों पर योजनाओं का निर्माण कर कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करना, जिससे भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
- प्रदेश के प्राकृतिक जल श्रोतों का संरक्षण, विकास एवं सुनियोजित प्रबन्धन।
- सीमित जल संसाधनों के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से सिंचाई प्रणालियों का विकास करना। इस दिशा में लघु सिंचाई एव भू–जल विभाग, उत्तराखण्ड राज्य में भू–गर्भ जल तथा सतही जल आधारित लघु सिंचाई योजनाओं, जिसकी सिंचन क्षमता 2000 हैक्टेयर से कम हो, का विकास कर रहा है, ताकि प्रदेश का अधिक से अधिक क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल के अन्तर्गत आ सके तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित प्रमुख कार्यकम :

लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम निम्नवत् हैं :–

01– सतही जल आधारित साधन।

02– भूगर्भ जल आधारित सिंचाई साधन।

सतही जल आधारित सिंचाई साधन :– इनको दो भागों में बांटा जा सकता है।

1– मैदानी क्षेत्र में।

2– पर्वतीय क्षेत्र में।

1– मैदानी क्षेत्र में :– छोटे–बड़े नाले तथा तालाब आदि पर विद्युत मोटर अथवा डीजल पंपसेट लगाकर सिंचाई की जा सकती है। कहीं–कहीं पर पानी के श्रोत के किनारे छोटे स्टोरेज वेल बनाकर छोटी लिफ्ट बना ली जाती है तथा इसे नलकूप के रूप में विकसित कर सिंचाई की जाती है।

2– पर्वतीय क्षेत्र में :– पर्वतीय क्षेत्रों सिंचाई के मुख्य परम्परागत साधन गूल व हौज हैं व वैकल्पिक साधन हाईड्रम है। इन्हीं के द्वारा नदी नाले व झरने / श्रोत का पानी खेतों तक पहुंचाकर सिंचाई की जाती है। यह व्यक्तिगत तौर पर बनाये जाते हैं व सामुदायिक भी।

पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक बनावट के अनुरूप ही इस क्षेत्र में पानी के स्थाई श्रोत नदियों व नालों से पानी गूलों से खेतों तक लाया जाता है। कभी कभी

अधिक उतार चढ़ाव अथवा चट्टान के कारण गूल का निर्माण सम्भव नहीं होता है, ऐसे स्थानों में गूल के स्थान पर पाइप लाइन का प्रयोग किया जाता है। जब पानी श्रोत अथवा नाले में बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में ऐसे स्थान पर जहाँ से अधिक खेतों की सिंचाई की जा सकेस, हौज का निर्माण किया जाता है, इसमें स्थाई श्रोत अथवा नाले से पानी एकत्रित कर आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करायाजाता है।

(2) **हाईड्रम :–**यह वैकल्पिक उर्जा के साधनों में एक मुख्य साधन है हाइड्रोलिक रैम का सर्वप्रथम जान व्हाईट हर्स्ट, डर्बी, इंग्लैण्ड द्वारा अविष्कार किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः पानी छोटे छोटे झरनों व नालों के रूप में बहता रहता है, जिसे झरनों/नालों से उठाकर (लिफ्ट कर) कृषि क्षेत्र तक ले जाकर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। इंजन के लाने ले जाने, डीजल खर्च व विद्युत अभाव व इंजन की देखरेख/मरम्मत हेतु सदैव कुशल कारीगर के उपलब्ध न होने व बहुत खर्चीली व्यवस्था के कारण इसके निवारण हेतु वाटर हैमरिंग सिद्धान्त पर ऐसी विधि का अविष्कार किया गया जो ज्यादा मात्रा में, कम ऊंचाई से, तेज गति से गिरने वाले पानी को कम मात्रा में, अधिक ऊंचाई तक पहुंचा देती है। इस विधि को हाईड्रम कहते हैं। यह मशीन बिना ईधन के लगातार पानी उठाने का कार्य स्वतः करती रहती है।

वियर (छोटे बैराज)

ऐसे स्थान जहां पर स्थाई श्रोत **(Paranial Source)** है, जिसका स्तर ऊंचा करने से अधिक मात्रा में खेतों की सिंचाई सम्भव हो जाती है परन्तु स्थाई रूप से उसका स्तर ऊंचा करने पर ऊपर के खेतों के लिए वर्षा ऋतु में वाटर लागिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे निपटने के लिए गेटेड स्ट्रक्चर की आवश्यकता महसूस करते हुए गेटेड वियर बनाने की नवीन सोच के आधार पर प्रथम बार ये योजना ली गई है। यह योजना काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

जनपद उधमसिंहनगर में वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में रू0 245.86 लाख की लागत से 07 वियरों जिसकी लम्बाई 56 मीटर है, का कार्य करवाया जा रहा है। इसमें 16.825 कि0मी0 गूल भी सम्मिलित है। इन वियरों के निर्माण से से 534 हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा ।

भूगर्भ जल आधारित सिंचाई साधन

उत्तरॉचल राज्य के गठन से पूर्व पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में ''भूगर्भ जल विभाग'' पृथक रूप से अस्तित्व में था, जो उत्तरॉचल राज्य के मैदानी क्षेत्रों की भूमिगत जल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति इस विभाग द्वारा की जाती थी। इसके लिये मैदानी क्षेत्रों में कई भू–जलस्तर मापक यन्त्र/स्थल तथा वर्षा जल मापक यन्त्र/स्थल स्थापित हैं, जिनसे आंकड़ें एकत्रित कर उपयोग किये जाते हैं उत्तरॉचल राज्य के अस्तित्व में आने के बाद इस कार्य हेतु कोई संस्था/विभाग नहीं रह गया था तथा उत्तर प्रदेश द्वारा भी उत्तरॉचल क्षेत्र में भूगर्भ जल सम्बन्धी कार्य छोड़ दिया गया है। अतः उत्तराखण्ड

शासन के शासनादेश सं0 4984 दिनांक के द्वारा भू–जल से सम्बन्धित कार्यों के निस्पादन का उत्तरदायित्व लघु सिंचाई विभाग को दिया गया है।

मैदानी क्षेत्रों में भूगर्भ आधारित सिंचाई साधन :

विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भीय संरचना के बदलाव के कारण भूगर्भ जल श्रोत एवं साधन को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र विशेष की संभावना के अनुरूप अलग अलग तरह के निर्माण होते हैं। ये मुख्यतः निम्न प्रकार केहोते हैं।

1– कूप :– भारत वर्ष में यह बडे पैमाने पर प्रयोग में लाया जाता रहा है। इसके निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि कूप से पानी किस साधन द्वारा उठाया जायेगा। कूप का पानी चरस द्वारा लगभग 16 मीटर व रहट द्वारा 10 मीटर तक आसानी से उठाया जा सकता है।

2– कूप मय बोरिंग :– कूप की क्षमता को बढ़ाने हेतु मैदानी क्षेत्र में कुंए के अन्दर हैण्डसेट से स्ट्रेनर व कैविटी बोरिंग की जाती है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कहीं–कहीं जल की उपलब्धता चट्टानों के बीच में जल संग्रह के रूप में होती है, जिसे उस गहराई तक बोरिंग करके कूप क्षमता बढ़ाई जाती है।

नलकूप

नलकूप पानी की निकासी का वह साधन है जिसमें फिक्सड पाइप के जरिये जमीन से पानी निकाला जाता है। इसमें पानी उठाने की मशीन डीजल पंपसेट अथवा विद्युत मोटर होती है। एक पक्की कोठरी तथा एक पक्का डिलीवरी टैंक और थौड़ी पक्की गूल नलकूप के आवश्यक अवयव हैं। इनको बोरिंग की गइराई के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। 100 मीटर तक की गइराई वाले नलकूप गहरे (Deep) नलकूप कहे जा सकते हैं। सिंचाई के अन्य साधनों से इनकी तुलना करने पर निजी नलकूप/बोरिंग से सिंचाई की लागतज कम आती है। नलकूप कम लागत एवं कम अवधि में पूर्ण हो जाता हैं एवं खराब होने की दशा में तुरन्त ठीक हो सकता है। पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

आर्टीजन वैल (पाताल तोड़ कुआँ)

यह झरने का ही रूप है परन्तु यह प्रायः समतल व कम ढाल वाले स्थानों पर पाये जाते हैं। इनको फ्लोविंग कूप अथवा कनफाइण्ड जल प्रस्तर कूप कहते हैं। किसी भी ढालू कनफाइण्ड जल प्रस्तर में भूतल से पन्चर करने पर जल दबाव के कारण बहने वाले झरने को आर्टीजन कहते हैं।

****

पत्र संख्या यू0ओ0—5681/38—ख

प्रेषक,

श्री मंसूर आलम कुरेशी,
सचिव,
कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण जन शक्ति एवं अल्प सिंचाई,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शासुपारिका विकास(घ) विभाग दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 16, 1965।

विषय :— अल्प सिंचाई विभाग की स्थापना।

महोदय,

शासकीय आदेश संख्या 5819/38—सी—517/1964, दिनांक 8 अक्टूबर, 1964 द्वारा नये अल्प सिंचाई विभाग की स्थापना आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास की देख रेख में की गयी थी। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण जन शक्ति एवं अल्प सिंचाई (इसके बाद अधीक्षण अभियन्ता के नाम से संबोधित होगें) को Financial Hand book V-I,II Part II & III & IV व अन्य शासकीय और वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विभागाध्यक्ष घोषित किया गया था।

1— इस शासकीय आदेश के अनुसार वह अधिकारीगणों और कर्मचारी जिनकी नियुक्ति अल्प सिंचाई योजना, ग्रामीण जन शक्ति योजना और अल्प सिंचाई के अनुसंधान व प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मुख्यालय अथवा क्षेत्र में की गयी थी अधीक्षण अभियन्ता के नियन्त्रण में सुपुर्द की गयी। किस प्रकार से इस नियन्त्रण को प्रयोग में लाया जायेगा उसको स्पष्ट करने के लिए राज्यपाल महोदय यह आदेश जारी कर रहे हैं।

2— अल्प सिंचाई एवं ग्रामीण जन शक्ति योजनाओं को उनके मिले जुले प्रयासों से ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। अल्प सिंचाई विभागीय स्थापना से आपसी सहयोग एवं समन्वय में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिये और पहले की तरह मिलजुल करके ही योजनाओं को क्रियान्वित करना है। अल्प सिंचाई का सारा संगठन आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास की सर्वोच्च देख रेख मे चलता रहेगा। मण्डल, जिला और क्षेत्र द्वारा क्रमशः संयुक्त/उप/ग्राम्य विकास आयुक्त, अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी समन्वय का कार्य करते रहेगें। इसके साथ अल्प सिंचाई योजनान्तर्गत काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना कार्य सम्पादित करने का पूरा अवसर रहेगा।

क—नियुक्ति प्राधिकारी

शासकीय आदेश संख्या 667/35सी—587/36 दिनांक 4 मार्च 1960 के अनुसार अतिरिक्त जिलधीश(नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी द्वारा राज्य 80 रू0 तक के प्रारम्भिक वेतन के कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकार रखते हैं। यह अधिकार पूर्ववत बने रहेगें। ऐसी जिनका न्यूनतम वेतन 100 रू0 प्रति माह था उससे अधिक न हो, नियुक्ति का अधिकार अधिशासी अभियन्ता (अ0सि0) को होगा जिसका प्रयोग निर्धारित नियमावली के अनुसार किया जायेगा। ऐसे जिनका प्रारम्भिक वेतन 100 रू0 या उससे अधिक के उनकी नियुक्ति का अधिकार अधीक्षण अभियन्ता को होगा। यद्यपि नियुक्ति का अधिकार अतिरिक्त जिलाधीश/जिला नियोजन अधिकारी के निहित हैं, अधीक्षण अभियन्ता को विभागीय अध्यक्ष की हैसियत के सारे अधिकार होगें।

ख–अनुशासनिक नियन्त्रण एंव कार्यवाही

(1) प्रशासनिक नियन्त्रण और अनुशासन की कार्यवाही करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को उन कर्मचारियों के लिए सारे अधिकार प्राप्त होगें जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं। उन कर्मचारियों की जिनके मौलिक (original) नियुक्ति प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के ऊपर पद के रखे अनुशासन की कार्यवाही जिसमें प्रलक्करण या नियुक्ति का प्रश्न रखता हो, इस तरह के आदेश सम्बन्धित मौलिक प्राधिकारी की सहमति से ही प्रसारित हो सकेगें। इन दण्डों के अतिरिक्त और दण्ड देने के अधिकार अधीक्षण अभियन्ता होगें। उन तमात नियुक्तियों के बारे में जिनके नियुक्ति प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के अध्यक्ष अथवा उनसे नये पद के रखें हो और अतिरिक्त जिलावीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी से ऊपर के हो, उन सारे अधिकारों का प्रयोग अधीक्षण अभियन्ता करेगें।

(2) अधिशासी अभियन्ता को उन कर्मचारियों के बारे में जो उनके कार्यालय में नियुक्त हों और जिनके नियुक्ति प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता हों, ऐसे प्रशासनिक निलम्बन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार प्राप्त होने जिनके आधार पर साधारण दण्ड देना हो जैसे–(1)अभियोग (2)पारित वेतन वृद्धियों एवं दक्षता रोकों को रोकना (3) एक वेतन क्रम में निम्न स्तर को प्रत्यावर्तित (4) अनु उत्तरदायी एवं आदेशों का अनुपालन न करने से शासन को हुई आर्थिक हानि के पूरे या आंशिक रूप से वेतन से वसूली। जिनके वह स्वंय नियुक्ति प्राधिकारी हो उनके बारे में निर्धारित अधिकारों का प्रयोग।

(3) अतिरिक्त जिलाधीश(नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी उन कर्मचारियों के बारे में अनुशासन के अधिकारों का प्रयोग करेगें जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हो उनके ऐसे कर्मचारियों को साधारण दण्ड जैसे (1) अपक्षेप (2) वार्षिक वेतन वृद्धि एवं दक्षता रोकों को रोकना (3) एक वेतन क्रम से निम्न स्तर को प्रत्यावर्तन (4) अनुउत्तरदायी एवं आदेशों का अनुपालन न करने में शासन को हुई आर्थिक हानि के पूरे या आंशिक रूप में वेतन से वसूली देने के अधिकार होगें, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता अथवा अधिशासी अभियन्ता हैं और जिसे सेवा योजन कार्यालय अथवा दोनो में ।

(4) सहायक अभियन्ता (अ0सि0) :– जिले में सहायक अभियन्ता (अल्प सिंचाई) ग्रामीण जन शक्ति एवं अल्प सिंचाई योजनाओं के लिए पूरी तौर पर उत्तरदायी होगें। इन योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले सारे कर्मचारियों और सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) इनकी देख रेख और नियन्त्रण में काम करेगें तथा इनके प्रति उत्तरदायी होगें। सहायक अभियन्ता का कार्यालय जिला नियोजन कार्यालय का एक भाग होगा और जिला नियोजन अधिकारी सहायक अभियन्ता पर सामान्य नियन्त्रण रखेगें।

(5) खण्ड विकास अधिकारी :– ग्रामीण जन शक्ति एवं अल्प सिंचाई योजनायें खण्ड स्तर पर क्रियान्वित की जायेगी। किसी विकास क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी और सहायक विकास अधिकारी (अ0सि0) खण्ड विकास अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगें और सहायक अभियन्ता (अ0सिं0) अथवा सीनियर मैकेनिकल इन्सपेक्टर उनके (खण्ड विकास अधिकारी) के माध्यम से पत्र व्यवहार करेगें। क्षेत्र स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश खण्ड विकास अधिकारी देगें। बोरिंग मैकेनिक, सहायक बोरिंग मैकेनिक को आदेश देने के भी अधिकार खण्ड विकास अधिकारी को होगें।

निरस्त शासनादेश संख्या 1044–38–4–517/64 दिनांक 29.10.75 द्वारा स्टाफ अधिकारी

(6) जिन अधिकारी के अधीन जो कर्मचारी कार्य कर रहे होगें, उन्हें उनकी आकस्मिक अवकाश देने का अधिकार होगा।

(7) अवकाश तथा निवृत्तिपूर्ण अवकाश के अतिरिक्त अन्य सभी 6 सप्ताह की अवधि के अवकाश अधीक्षण अभियन्ता के मुख्यालय के कर्मचारियों को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा जिले के कर्मचारियों को सहायक अभियन्ता द्वारा और जिन जिलों में सहायक अभियन्ता नियुक्ति नहीं हैं तथा अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी द्वारा

स्वीकृत किया जायेगा। 6 सप्ताह से अधिक का अवकाश सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

ग–स्थानान्तरण

(1) मण्डल जिले के अन्दर कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धित अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी की स्वीकृति से सहायक अभियन्ता द्वारा किये जायेगें।
(2) मण्डलीय स्तर पर एक जिले से दूसरे जिले में कर्मचारियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त/उप विकास आयुक्त की स्वीकृति से अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।
(3) मण्डल से बाहर किसी अन्य जिले में कर्मचारियों का स्थानान्तरण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

चरित्र पुस्तिका की प्रविष्टि

(1) अधीक्षण अभियन्ता की चरित्र पुस्तिका में प्रविष्टि आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास द्वारा की जायेगी।
(2) अधिशासी अभियन्ता की चरित्र पुस्तिका में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन नियुक्ति (क) विभाग द्वारा प्रसारित शासकीय आदेश संख्या 1659/2–ए–38–53 दिनांक 5 मार्च, 1965 में निहित प्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
(4) सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) तथा मैकेनिकल इन्सपेक्टर के बारे में (अगर मैकेनिकल इन्सपेक्टर किसी विकास खण्ड में तैनात है) सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अपनी टिप्पणी प्रमुख के द्वारा सहायक अभियन्ता (अ0सिं0) को भेजेगें जो अपनी टिप्पणी के साथ अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ अधिशासी अभियन्ता (अल्प सिंचाई) /खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी। व जिन मण्डल में अधिशासी अभियन्ता (अ0सिं0) न हो कार्यवाही क्रमशः अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी व संयुक्त/उप विकास आयुक्त द्वारा की जायेगी।
(5) शेष श्रेणियों के कर्मचारियों के कार्य चरित्र के बारे में चरित्र पुस्तिका मे वार्षिक प्रविष्टियों उन अधिकारियों द्वारा की जायेगी जिनके अधीन यह कर्मचारी ये कार्य कर रहे हैं।

ङ – अपील

कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रसारित आदेशों के विरूद्ध अपील निम्नांकित क्रम में उनसे उच्च अधिकारी को की जायेगी :–

(1) अधिशासी अभियन्ता
(2) अधीक्षण अभियन्ता
(3) उत्तर प्रदेश शासन का अनुशासकीय विकास (ख)विभाग।

च – सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई)

(1) सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) के नियुक्ति अधिकार पूर्व निर्देशों को निरस्त करते हुये अब अधीक्षण अभियन्ता में निहित होगें। इस पद पर अधुनाव व सेवा की

शर्तें आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास द्वारा तय की जायेगी। सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) विकास खण्ड के सिविल इन्जीनियर वर्क्स एवं अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्यों के प्रति अल्प सिंचाई और ग्रामीण जन शक्ति योजना के अतिरिक्त पूरे तौर पर जिम्मेदार रहेगें और खण्ड विकास अधिकारी के नियन्त्रण मे कार्य करते रहेगें।

(2) खण्ड मे काम करने वाले बोरिंग मैकेनिक, सहायक बोरिंग मैकेनिक इत्यादि सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) की सीधी देख रेख मे काम करेगें।

ह0 मंजूल आलम कुरेशी
सचिव

संख्या यू0ओ0 568(।)/38–क–

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
उप सचिव

सामुदायिक विकास (क) विभाग
संख्या यू0ओ0 568(2)/38–क–

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित –

(1) आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलीय सदस्य/उप विकास आयुक्त।
(3) समस्त जिलाधीश, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी।
(5) समस्त मण्डलीय आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (अ0सि0), उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त खण्ड विकास अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0 टी0पी0तिवारी
उप सचिव

संख्या 3358/28–7–2(7)10/78

प्रेषक,

श्री राम निवास शर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्वतीय विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 1979।

विषय : **पर्वतीय क्षेत्र में हाईड्रम स्प्रिंकलर यूनिट्स स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में पदों का सृजन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्धशासकीय पत्रांक 13889/स्था–3/78–79, दिनांक 17 नवम्बर, 1978 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में हाईड्रम स्प्रिंक्लर की उपयुक्तता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों में विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग द्वारा स्थापित की गई हाईड्रम स्प्रिंक्लर की ईकाइयों का अनुरक्षण तथा नई ईकाइयों को लगाने का कार्य लघु सिंचाई विभाग को सौंपा जाये। अतः राज्यपाल महोदय इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में नियुक्ति की तिथि से 28 फरवरी, 1979 तक के लिए, यदि इसके पूर्व बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, परिशिष्ट–1 व 2 में मण्डलवार तथा जिलावार स्वीकृत किये जा रहे, अस्थायी पदों, उनकी संख्या तथा उनके सम्मुख दिये गये वेतनमानों में सृजन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत नैनीताल तथा देहरादून जिले के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं किये गये है।

2– पदयास्कों को उनके संगत वेतनमानों में वेतन के अतिरिक्त मंहगाई तथा अन्य भत्ते, जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुमन्य हों, देय होंगे। उक्त पद संबंधित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

(राम निवास शर्मा)
उप सचिव,

3— इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित मदों पर चालू वित्तीय वर्ष में व्यय करने हेतु रू0 1,75,000 (एक लाख पचहत्तर हजार रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1—	वेतन	रू0 48,000.00
2—	मंहगाई भत्ता	रू0 23,100.00
3—	अन्य भत्ते	रू0 6,500.00
4—	यात्रा भत्ता	रू0 19,800.00
5—	कार्यालय व्यय	रू0 62,600.00
6—	पेट्रोल की खरीद	रू0 5,000.00
7—	योजनाओं के सर्वेक्षण में व्यय	रू0 10,000.00
	योग	**रू0 1,75000.00**

4— उक्त व्यय स्टोर पर्चेज नियमों के अनुसार किया जाये तथा जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन व्यय करने के पूर्व प्राप्त कर लिया जाय।

5— विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग के अन्तर्गत इस योजना के लिए स्वीकृत पदों जिनका विवरण परिशिष्ट—3 में उल्लिखित है और जिनकी वर्ष 1978—79 में निरन्तरता स्वीकृति शासनादेश संख्या 1371/28—7—2(7)/78, दिनांक 30 जून, 1978 में दी गयी है, को दिनांक 1, जनवरी, 1979 में समाप्त किया जाता है। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपर्युक्त पदों के पदाधिकारियों को नये सृजित समान पदों पर उसी स्थिति से संविलीन करने की तथा इन कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता/ वरीयता नियमानुसार निर्धारित करने की कार्यवाही की जाय।

6— उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष (1978—79) के आय—व्ययक लेखा शीर्षक 1299—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र—आयोजनागत—पर्वतीय क्षेत्र— ट— सामुदायिक विकास— 2— लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाये।

7— यह आदेश वित्त विभाग की सहमति, जो उनके अशासकीय संख्या ई 2/1124/दस, दिनांक 16/3/79 में प्राप्त कर ली गयी है, से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राम निवास शर्मा)
उप सचिव।

परिशिष्ट : एक

पर्वतीय क्षेत्र में हाईड्रम स्प्रिंक्लर योजना के लिए गढ़वाल मण्डल के लिए पदों का विवरण।

मण्डलीय स्तर पर	**क्रमांक**	**पदनाम**	**वेतन मान**	**पदों की संख्या**
	1—	अधिशासी अभियन्ता	800—50—1050—द0रो0—50—1300—द0रो0—50—1450	1
	2—	मण्डलीय लेखाकार	425—750	1
	3—	मुख्य लिपिक	280—8—296—9—350—दा0रो0—10—400—द0रो0—12—460	1
	4—	ड्राफ्ट्समेन	280—8—296—9—350—दा0रो0—10—400—द0रो0—12—460	1
	5—	ट्रेसर	185—3—215—दा0रो0—4—235—द0रो0—6—265	1
	6—	वरिष्ठ लिपिक (लेखा लिपिक)	230—6—290—दा0रो0—8—335—द0रो0—10—385	2
	7—	कनिष्ठ लिपिक	200—5—250—दा0रो0—6—280—द0रो0—8—320	2
	8—	आशुलिपिक	250—7—285—दा0रो0—9—375—द0रो0—10—425	1
	9—	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दैनीक मजदूरी पर	2
योग				**12**
जिला स्तर पर चमोली, उत्तरकशी, पौड़ी, टिहरी के लिए	1—	सहायक अभियन्ता	500—30—700—द0रो0—40—900—द0रो0—50—1200	4
	2—	अवर अभियन्ता	300—8—324—9—360—द0रो0—10—440—द0रो0—12—500	8
	3—	कनिष्ठ लिपिक	200—5—250—द0रो0—6—280—द0रो0—8—320	4
	4—	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दैनीक मजदूरी	2
	5—	चौकीदार	165—2—185—द0रो0—3—215	2
योग				20
कुल पद (12+20)				32

नोट : जिला देहरादून के लिये जिला स्तर पर कोई पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(राम निवास शर्मा)
उप सचिव।

संख्या 3358(1)/28–7–2–(7)10/78, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।

4– आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

5– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

6–जिलाधिकारी,अल्मोड़ा/नैनीताल/देहरादून/पौड़ी/टिहरी गढ़वाल/पिथौरागढ़/ उत्तरकाशी/चमोली।

7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2/वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग।

8– नियोजन अनुभाग–4/ ग्राम्य विकास अनुभाग–3/ पर्वतीय विकास अनुभाग–4।

9– कोषाधिकारी, लखनऊ।

आज्ञा से

(राम निवास शर्मा)
उप सचिव।

प्रेषक,

श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पर्वतीय विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 1979

विषय : लघु सिंचाई योजनान्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंक्लर युनिट्स की स्थापना तथा स्वीकृत पदों की निरंतरता।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 3358/28–7–2(7)/10/78, दिनांक 23 मार्च, 1979 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, ने पर्वतीय क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंक्लरों के निर्माण के लिए उक्त शासनादेश द्वारा सृजित संलग्न तालिका में उल्लिखित पदों के लिये वर्तमान तथा सेवा शर्तों पर 29 फरवरी, 1980 तक वशर्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के उसके पूर्व समाप्त न किये जायें, चालू रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

2– उपर्युक्त पदों के धारकों को सामान्य नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3– राज्यपाल महोदय, उक्त हाईड्रमों के निर्माणार्थ प्रयोग में आने वाली मशीनों, सज्जा उपकरण आदि के क्रय किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। सामग्री तथा वस्तुयें आवश्यकतानुसार यू0पी0 स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत अधिकारी के आदेश से की जायेगी।

4– उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय, निम्नांकित व्यय को वहन करने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	मद	रूपये
1–	वेतन	2,00,000.00
2–	मजदूरी	10,000.00
3–	मंहगाई भत्ता	95,000.00
4–	कार्यालय उपशुल्क एवं कर	65000.00
5–	मशीनें तथा सज्जा/उपकरण एवं संयन्त्र	1,00,000.00
6–	मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	30,000.00
7–	निर्माण कार्य	5,00,000.00
8–	अल्प व्यय (सवेक्षण)	45,000.00
	योग	**10,45,000.00**

(दस लाख पैतालिस हजार रूपये मात्र)

उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष (1979–80) में आय–व्ययक के लेखा शीर्षक 088 विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, आयोजनागत –ट– विकास (13) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंक्लरों का निर्माण अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामे जोडा जायेगा।

योजना उत्तर प्रदेश वित्त विभाग की सहमति, जो उनके अशासकीय स0 3–1/1979 दिनांक 9 अगस्त, 1979 में प्राप्त कर ली, गयी है, से जारी किये जाए।

भवदीय

ह0 सुभाष चन्द्र बहुखण्डी,
उप सचिव,

<u>संख्या 288–5–3/79, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यालय हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।

4– आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

5– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

6–जिलाधिकारी,अल्मोड़ा/नैनीताल/देहरादून/पौड़ी/टिहरी गढ़वाल/पिथौरागढ़ /उत्तरकाशी/चमोली।

आज्ञा से

ह0 सुभाष चन्द्र बहुखण्डी,
उप सचिव,

पर्वतीय क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंक्लरों के निर्माण हेतु स्वीकृत स्टाफ का विवरण।

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0)	पदों की संख्या
1	अधिशासी अभियन्ता	800—1450	1
2	सहायक अभियन्ता	550—1200	8
3	मण्डलीय लेखाकार	425—750	1
4	मुख्य लिपिक	280—460	1
5	अवर अभियन्ता	300—500	11
6	ड्राफ्टमैन	280—460	2
7	ट्रेसर	185—265	2
8	वरिष्ठ लिपिक / लेखालिपिक	230—300	2
9	कनिष्ठ लिपिक टंकक	200—300	7
10	आशुलिपिक	250—425	1
11	चौकीदार	175—215	3
12	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दैनिक वेतन पर	5
योग			**42**

ह0 सुभाष चन्द्र, बहुखण्डी,
उप सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 691/ल0सिं0/स्था0—3179—80 दिनांक : लखनऊ : अक्टूबर 5, 1979।

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (जी0ए0—9)।
2— उप सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग,—4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3— अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई), गढ़वाल (देहरादून)।
4— सहायक अभियन्ता (ल0सिं0), सम्बन्धित जनपद।
5— जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
6— कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
7— सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय।

(सतीश कुमार मिश्र)
अधि0अभि0 एवं व्यक्तिक सहायक (अधिष्ठान),
मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई),
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 195/ ।।–2004–16/04

प्रेषक,

एस0 कृष्णन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, **देहरादून, दिनांक– 19 मई,2004**

विषयः– **उत्तरांचल लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढॉचे की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1045/9–।–सि/2001 दिनांक 26.11.2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में कुल 451 पदों को सम्मिलित करते हुए संलग्नक–1 में अंकित पदों के अनुसार पुनर्गठित करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– लघु सिंचाई विभाग, मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–।) सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन रहेगा। इस प्रकार विभागीय ढॉचे में राजपत्रित श्रेणी के 43 पद तृतीय श्रेणी के 342 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 66 पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 451 पद होंगे तथा उसकी संरचना निम्नवत् होगी, जिसकी पदस्थापना का प्रस्ताव संलग्न–1 के स्तम्भ–3 में दिया गया है :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान रू0 में	कुल प्रस्तावित पद
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	16,400–20,000	01
2	अधीक्षण अभियन्ता	12,000–16,500	03
3	अधिशासी अभियन्ता	10,000–15,200	8
4	सहायक अभियन्ता	8,000–13,500	31
5	कनिष्ठ (अवर) अभियन्ता	5,000–8,000	131
6	बोरिंग टेक्निशियन / सहायक बोरिंग टेक्निशियन	4,000–6,000 3050–4590	24 46
7	खण्डीय लेखाधिकारी	7,500–12,000	7
8	प्रारूपकार	4,000–6,000	7
9	अनुरेखक	3050–4590	05
10	कार्यालय अधीक्षक	5,000–8,000	04
11	आशुलिपिक	5,000–8,000	01
12	आशुलिपिक	4,000–6,000	11
13	वरिष्ठ सहायक	4,500–7,000	11
14	वरिष्ठ लिपिक	4,000–6,000	12
15	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	49
16	वाहन चालक	3050–4590	26
17	अमीन/सींचपाल	3050–4590	08
18	अनुसेवक	2550–3200	66
कुल योग			**451**

2– मुख्य अभियन्ता स्तर–2 पर तैनाती मौलिक रूप से नियुक्त लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता में से ही श्रेष्ठता के आधार पर की जायेगी और उक्त पद पर नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमावली में इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी।

3— अनुरेखक के 05 पद कार्यरत पदधारकों के रहने तक ही सृजित रहेंगे। उच्च पदों पर पदोन्नति, सेवा निवृत्ति एवं अन्य पदों के छोड़े जाने तक इन पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा इन्हें मृत संवर्ग घोषित हो जायेगा।

4— अमीन/सींचपाल के 08 पद कार्यरत पदधारकों के बने रहने तक ही सृजित रहेंगे तथा इन पदों पर तैनात कार्मिकों से कनिष्ठ लिपिक के पद का कार्य लिया जायेगा। पदधारकों की पदोन्नति अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त यह पद मृत संवर्ग घोषित हो जायेगा। उक्त पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5— गैर तकनीकी समूह ''ग'' व ''घ'' के समस्त रिक्त पदों की पूर्ति यथा सम्भव सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग के सरप्लस कर्मी उपलब्ध न रहने पर प्रदेश के अन्य सरप्लस कार्मिकों से ही की जायेगी और जिन श्रेणियों में उक्तानुसार नियुक्ति सम्भव न हो, तो उन्हीं श्रेणियों में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार शासन की सहमति से ही नियुक्ति की जायेगी।

6— उपरोक्त के सन्दर्भ में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की अनुदान संख्या—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2702—लघु सिंचाई, 02—भू—जल (आयोजनेत्तर), 005— अन्वेषण, 03—भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 68/वि0अनु0—3/2003 दिनांकः 18.05.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 कृष्णन्)
प्रमुख सचिव।

संख्या—195/ I I—2004—16/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4— सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5— निजी सचिव, मा0 मंत्री, सिंचाई बाढ़ एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, शासन, देहरादून।
6— अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई मण्डल, पौड़ी।
7— वित्त अनुभाग—3, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8— समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9— गार्ड फाईल।
10— एन0आई0सी0/पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)
उपसचिव

195 / ||–2004–16 / 2004 दिनांकः 19.05.2004 का संलग्नक।

राजपत्रित तकनीकी पदों का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	पद स्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 रू0 16,400–20,000	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लघु सिंचाई, उत्तरांचल, देहरादून	01
2	अधीक्षण अभियन्ता रू0 12000–16500	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी ल0सिं0 (विभागाध्यक्ष कार्यालय)	01
		अधी0अभि0ल0सिं0, कार्य मण्डल पौडी	01
		अधी0अभि0ल0सिं0, कुमांऊ हल्द्वानी	01
		कुल पद	03
3	अधिशासी अभियन्ता रू0 10000–15200	स्टाफ अधिकारी, मुख्य अभि0 स्तर–2 कार्यालय	01
		खण्डीय कार्यालय गढ़वाल मण्डल	
		देहरादून	01
		टिहरी	01
		पौड़ी	01
		रूद्रप्रयाग	01
		खण्डीय कार्यालय कुमांऊ मण्डल	
		नैनीताल	01
		अल्मोड़ा	01
		पिथौरागढ़	01
		कुल पद	8
4	सहायक अभियन्ता रू0 8000–13500	1.सहा0अभि0 सम्बद्ध मुख्यअभि0 स्तर–2, कार्या0	01
		2. सहा0अभि0 सम्बद्ध अधी0अभि0, मण्डल, पौड़ी	01
		3. सहा0 अभि0 सम्बद्ध अधी0 अभि0, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी	01
		सहा0 अभि0 उपखण्ड	
		1. उपखण्ड देहरादून (03 विकास खण्ड)	01
		2. डाकपत्थर (03 विकास खण्ड)	01
		3. हरिद्वार (03 विकास खण्ड)	01
		4. रूड़की (03 विकास खण्ड)	01
		5. नई टिहरी (04 विकास खण्ड)	01
		6. धनसाली (05 विकास खण्ड)	01
		7. उत्तरकाशी (03 विकास खण्ड)	01
		8. नौगांव(03 विकास खण्ड)	01
		9. पौड़ी (04 विकास खण्ड)	01
		10. स्यूंसी (03 विकास खण्ड)	01
		11. सतपुली (04 विकास खण्ड)	01
		12. कोटद्वार (04 विकास खण्ड)	01

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
		13. रूद्रप्रयाग (03 विकास खण्ड)	01
		14. कर्णप्रयाग (03 विकास खण्ड)	01
		15. चमोली(गोपेश्वर) (03 विकास खण्ड)	01
		16. थराली (03 विकास खण्ड)	01
		17. नैनीताल (04 विकास खण्ड)	01
		18. हल्द्वानी (04 विकास खण्ड)	01
		19.ऊधमसिंहनगर(रूद्रपुर) (04 वि0 खण्ड)	01
		20. काशीपुर (03 विकास खण्ड)	01
		21. अल्मोड़ा (04 विकास खण्ड)	01
		22. रानीखेत (04 विकास खण्ड)	01
		23. भिकियासैण (03 विकास खण्ड)	01
		24. बागेश्वर (03 विकास खण्ड)	01
		25. पिथौरागढ़ (03 विकास खण्ड)	01
		26. डीडीहाट (03 विकास खण्ड)	01
		27. बेरीनाग (03 विकास खण्ड)	01
		28. चम्पावत (03 विकास खण्ड)	01
		कुल पद	31

अराजपत्रित तकनीकी पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम / वेतनमान	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	कनिष्ठ (अवर) अभियन्ता रू0 5000–8000	गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल के प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक–एक पद	95
		खण्डीय कार्यालय में कनिष्ठ अभि0 स्टोर के पद हेतु	8
		विकास खण्डों के अतिरिक्त निम्न सहायक अभियन्ता उपखण्डों हेतु	
		1. उपखण्ड देहरादून	01
		2. डाकपत्थर	01
		3. हरिद्वार	01
		4. रूड़की	01
		5. नई टिहरी	01
		6. धनसाली	01
		7. उत्तरकाशी	01
		8. नौगांव	01
		9. पौड़ी	01
		10. स्यूसी	01
		11. सतपुली	01
		12. कोटद्वार	01
		13. रूद्रप्रयाग	01
		14. कर्णप्रयाग	01
		15. चमोली (गोपेश्वर)	01
		16. थराली	01
		17. नैनीताल	01
		18. हल्द्वानी	01
		19. ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	01

		20. काशीपुर	01
		21. अल्मोड़ा	01
		22. रानीखेत	01
		23. भिकियासैण	01
		24. बागेश्वर	01
		25. पिथौरागढ़	01
		26. डीडीहाट	01
		27. बेरीनाग	01
		28. चम्पावत	01
		कुल पद	131

6	सहायक बोरिंग टेक्नीशियन एवं बोरिंग टेक्नीशियन रू0 3050—4590 रू0 4000—6000	सहायक अभियन्ता उपखण्ड कार्यालय	
		1. उपखण्ड देहरादून	2+1
		2. डाकपत्थर	2+1
		3. हरिद्वार	2+1
		4. रूड़की	3+0
		5. नई टिहरी	2+1
		6. धनसाली	1+1
		7. उत्तरकाशी	2+1
		8. नौगांव	1+1
		9. पौड़ी	2+1
		10. स्यूसी	1+1
		11. सतपुली	1+1
		12. कोटद्वार	2+1
		13. रूद्रप्रयाग	1+1
		14. कर्णप्रयाग	1+1
		15. चमोली (गोपेश्वर)	1+1
		16. थराली	0+1
		17. नैनीताल	3+1
		18. हल्द्वानी	1+1
		19. ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	3+1
		20. काशीपुर	3+1
		21. अल्मोड़ा	1+1
		22. रानीखेत	1+1
		23. भिकियासैण	1+0
		24. बागेश्वर	2+1
		25. पिथौरागढ़	3+1
		26. डीडीहाट	1+1
		27. बेरीनाग	1+0
		28. चम्पावत	1+1
		कुल पद (46+24)	70

अनुसचिवीय, ड्राइंग एवं तृतीय श्रेणी के पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	कार्यालय अधीक्षक रू0 5000—8000	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	01
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर— 2	01
		3. अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय पौड़ी	01
		4. अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय हल्द्वानी	01
		कुल पद	04
2	खण्डीय लेखाधिकारी रू0 7500—12000	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक—एक पद	07
3	आशुलिपिक रू0 5000—8000	मुख्य अभियन्ता—2	01
		कुल पद	01
4	आशुलिपिक खण्डीय कार्यालय रू0 4000—6000	1. प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक—एक पद	7
		2. स्टाफ अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष स्तर—2	01
		3. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	01
		मण्डलीय अधीक्षण अभियन्ता	02
		कुल पद	11
5	वरिष्ठ सहायक रू0 4500—7000	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हेतु	1
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर—2 कार्यालय	1
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	1
		4. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	1
		5. प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक—एक पद	7
		कुल पद	11
6	वरिष्ठ लिपिक रू0 4000—6000	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हेतु	1
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर—2 कार्यालय	2
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	1
		4. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	1
		5. प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में एक—एक पद	7
		कुल पद	12
7	कनिष्ठ लिपिक रू0 3050—4590	1. मुख्य अभियन्ता स्तर—2 कार्यालय	3
		2. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	2
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	2
		4. प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में दो—दो पद	14
		5. प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में एक—एक पद	28
		कुल पद	49

8	प्रारूपकार रू0 4000–6000	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक पद	7
		कुल पद	7
9	अनुरेखक रू0 3050–4590	खण्डीय कार्यालय में	6
10	वाहन चाल रू0 3050–4590	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हेतु	1
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 व स्टा0 अधिकारी	2
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	1
		4. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	1
		5. प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक पद	7
		6. प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में एक–एक पद	14
		कुल पद	26
11	अमीन / सींच पर्यवेक्षक रू0 3050–4590	अमीन / सींचपाल के कार्यों के दृष्टिगत अमीन / सींचपाल के संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता है। जो कर्मी इस समय कार्यरत है उनसे कनिष्ठ लिपिक का कार्य लिया जायेगा।	08

चतुर्थ श्रेणी के पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	अनुसेवक रू0 2550–3200	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी कार्यालय	2
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 कार्यालय	4
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	2
		4. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	2
		5. प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में दो–दो पद	14
		6. खण्डीय स्टोर हेतु दो–दो पद	14
		7. प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में एक–एक पद	28
		कुल पद	66
		कुल पदों का महायोग	451

संख्या– 625 / ।।(2)–2006–01(34) / 04

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,उत्तरांचल,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक– 13 सितम्बर, 2006

विषयः– उत्तरांचल लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढॉचे की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 195 / ।।–2004–01(16) / 04 दिनांक 19.05.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में 88 अतिरिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए संलग्नक–1 में अंकित कुल 539 पदों के अनुसार पुनर्गठित करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– विभागीय ढॉचे में राजपत्रित श्रेणी के 57 पद तृतीय श्रेणी के 397 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 85 पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 539 पद होंगे तथा उसकी संरचना निम्नवत् होगी, जिसकी पदस्थापना का प्रस्ताव संलग्न–1 के स्तम्भ–3 में दिया गया है :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान रू0 में	कुल प्रस्तावित पद
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	16,400–450–20,000	01
2	अधीक्षण अभियन्ता	12,000–375–16,500	04
3	अधिशासी अभियन्ता	10,000–325–15,200	14
4	सहायक अभियन्ता	8,000–275–13,500	38
5	कनिष्ठ (अवर) अभियन्ता	5,000–150–8,000	145
6	बोरिंग टेक्निशियन	4,000–100–6,000	24
7	सहायक बोरिंग टेक्निशियन	3050–75–3950–80–4590	46
8	खण्डीय लेखाधिकारी	7,500–12,000	13
9	प्रारूपकार	4,000–100–6,000	13
10	अनुरेखक	2750–70–3800–75–4400	05
11	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–2)	5,000–150–8,000	04
12	आशुलिपिक–।	5,000–150–8,000	01
13	आशुलिपिक–।।	4,000–100–6,000	17
14	मुख्य सहायक	4,500–125–7,000	17
15	वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक	4,000–100–6,000	17
16	कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	61
17	वाहन चालक	3050–75–3950–80–4590	26
18	अमीन / सींचपाल	3050–75–3950–80–4590	08
19	अनुसेवक	2550–55–2660–60–3200	85
	कुल योग		539

2– अनुरेखक के 05 पद कार्यरत पदधारकों के रहने तक ही सृजित रहेंगे। उच्च पदों पर पदोन्नति, सेवा निवृत्ति एवं अन्य पदों के छोड़े जाने तक इन पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा ये मृत संवर्ग घोषित हो जायेगा।

3— अमीन/सींचपाल के 08 पद कार्यरत पदधारकों के बने रहने तक ही सृजित रहेंगे तथा इन पदों पर तैनात कार्मिकों से कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर/कनिष्ठ सहायक के पद का कार्य लिया जायेगा। पदधारकों की पदोन्नति अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त यह पद मृत संवर्ग घोषित हो जायेगा। उक्त पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

4— गैर तकनीकी समूह ''ग'' व ''घ'' के समस्त रिक्त पदों की पूर्ति विभाग में उपलब्ध सुसंगत सेवा नियमावली के अनुसार शासन की अनुमति से किया जायेगा।

5— उपरोक्त के सन्दर्भ में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 की अनुदान संख्या—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2702—लघु सिंचाई, 02—भू—जल (आयोजनेत्तर), 005—अन्वेषण, 03—भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 452/वि0अनु0—4/06 दिनांकः 01.09.2006 में प्राप्त इनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,
(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या—625/ ।।(2)—2006—01(34)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2— अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4— महालेखाकार, उत्तरांचल।
5— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल।
6— निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
7— वित्त अनुभाग—4, उत्तरांचल शासन।
8— समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9— एन0आई0सी0/पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तरांचल शासन।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश सं0 625 / ।।(2)–2006–01(34) / 04 दिनांकः 13 सितम्बर 06 का संलग्नक।

राजपत्रित तकनीकी पदों का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड, दे0दून	01
2	अधीक्षण अभियन्ता	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी ल0सिं0 (विभागाध्यक्ष कार्या0)	01
		2. अधी0अभि0ल0सिं0 वृत्त पौडी	01
		3. अधी0अभि0ल0सिं0 वृत्त हल्द्वानी	01
		4. अधी0अभि0ल0सिं0 वृत्त पिथौरागढ़	01
		कुल पद	04
3	अधिशासी अभियन्ता	1. स्टाफ अधिकारी, मुख्य अभि0 स्तर–2 कार्यालय	01
		खण्डीय कार्यालय गढ़वाल मण्डल	
		1. देहरादून	01
		2. हरिद्वार	01
		3. टिहरी	01
		4. उत्तरकाशी	01
		5. पौड़ी	01
		6. रूद्रप्रयाग	01
		7. चमोली	01
		खण्डीय कार्यालय कुमांऊ मण्डल	
		1. नैनीताल	01
		2. ऊधमसिंह नगर	01
		3. अल्मोड़ा	01
		4. बागेश्वर	01
		5. पिथौरागढ़	01
		6. चम्पावत	01
		कुल पद	**14**
4	सहायक अभियन्ता	1.सहा0अभि0 सम्बद्व मुख्यअभि0 स्तर–2, कार्या0	01
		2.सहा0अभि0 सम्बद्व अधी0 अभि0, पौड़ी, कार्या0	01
		3.सहा0अभि0 सम्बद्व अधी0अभि0, हल्द्वानी, कार्या.	01
		4. सहा0 अभि0 सम्बद्व वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष, कार्यालय	01
		सहा0 अभि0 उपखण्ड	
		5. देहरादून (03 विकास खण्ड)	01
		6. डाकपत्थर(03 विकास खण्ड)	01
		7. हरिद्वार (03 विकास खण्ड)	01

		8. रूड़की (03 विकास खण्ड)	01
		9. नई टिहरी (04 विकास खण्ड)	01
		10. धनसाली (03 विकास खण्ड)	01
		11. नरेन्द्र नगर (03 विकास खण्ड)	01
		12. उत्तरकाशी (03 विकास खण्ड)	01
		13. नौगांव (03 विकास खण्ड)	01
		14. पौड़ी (04 विकास खण्ड)	01
		15. स्यूंसी (03 विकास खण्ड)	01
		16. सतपुली (03 विकास खण्ड)	01
		17. कोटद्वार (03 विकास खण्ड)	01
		18. लक्ष्मण झूला (02 विकास खण्ड)	01
		19. रूद्रप्रयाग (01 विकास खण्ड)	01
		20. ऊखीमठ (02 विकास खण्ड)	01
		21. कर्णप्रयाग (03 विकास खण्ड)	01
		22. चमोली (गोपेश्वर) (03 विकास खण्ड)	01
		23. थराली (03 विकास खण्ड)	01
		24. नैनीताल (03 विकास खण्ड)	01
		25. हल्द्वानी (03 विकास खण्ड)	01
		26. धारी (02 विकास खण्ड)	01
		27.ऊधमसिंहनगर(रूद्रपुर)(04 वि0 खण्ड)	01
		28. काशीपुर (03 विकास खण्ड)	01
		29. अल्मोड़ा (05 विकास खण्ड)	01
		30. रानीखेत (03 विकास खण्ड)	01
		31. भिकियासैण (03 विकास खण्ड)	01
		32. बागेश्वर (02 विकास खण्ड)	01
		33. कपकोट (01 विकास खण्ड)	01
		34. पिथौरागढ़ (03 विकास खण्ड)	01
		35. डीडीहाट (03 विकास खण्ड)	01
		36. बेरीनाग (02 विकास खण्ड)	01
		37. चम्पावत (02 विकास खण्ड)	01
		38. बाराकोट (01 विकास खण्ड)	01
		कुल पद	**38**

अराजपत्रित तकनीकी पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	कनिष्ठ (अवर) अभियन्ता	गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल के प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक–एक पद	95
		खण्डीय कार्यालय में कनिष्ठ अभि0 स्टोर के पद हेतु	13
		वृत्त कार्यालय, पौड़ी एवं हल्द्वानी हेतु कनिष्ठ अभि0 तकनीकी प्रत्येक में एक–एक पद	02
		वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता तकनीकी	01
		योग	**111**
		विकास खण्डों के अतिरिक्त निम्न सहायक अभियन्ता उपखण्डों हेतु	
		1. देहरादून	01
		2. डाकपत्थर	01
		3. हरिद्वार	01
		4. रूड़की	01
		5. नई टिहरी	01
		6. धनसाली	01
		7. नरेन्द्र नगर	01
		8. उत्तरकाशी	01
		9. नौगांव	01
		10. पौड़ी	01
		11. स्यूसी	01
		12. सतपुली	01
		13. कोटद्वार	01
		14. लक्ष्मणझूला	01
		15. रूद्रप्रयाग	01
		16. ऊखीमठ	01
		17. कर्णप्रयाग	01
		18. चमोली (गोपेश्वर)	01
		19. थराली	01
		20. नैनीताल	01
		21. हल्द्वानी	01
		22. धारी	01
		23. ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	01
		24. काशीपुर	01
		25. अल्मोड़ा	01
		26. रानीखेत	01
		27. भिकियासैण	01

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
		28. बागेश्वर	01
		29. कपकोट	01
		30. पिथौरागढ़	01
		31. डीडीहाट	01
		32. बेरीनाग	01
		33. चम्पावत	01
		34. बाराकोट	01
		कुल योग	**145**
2	सहायक बोरिंग टेक्नीशियन एवं बोरिंग टेक्नीशियन	सहायक अभियन्ता उपखण्ड कार्यालय	
		1. देहरादून	2+1
		2. डाकपत्थर	2+2
		3. हरिद्वार	1+1
		4. रूड़की	1+1
		5. नई टिहरी	2+1
		6. धनसाली	1+1
		7. नरेन्द्र नगर	1+1
		8. उत्तरकाशी	2+1
		9. नौगांव	2+1
		10. पौड़ी	1+1
		11. स्यूसी	1+1
		12. सतपुली	1+1
		13. कोटद्वार	1+1
		14. लक्ष्मणझूला	1+0
		15. रूद्रप्रयाग	1+1
		16. ऊखीमठ	1+0
		17. कर्णप्रयाग	2+1
		18. चमोली (गोपेश्वर)	1+1
		19. थराली	1+0
		20. नैनीताल	2+1
		21. हल्द्वानी	1+0
		22. धारी	1+1
		23. ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	2+0
		24. काशीपुर	1+1
		25. अल्मोड़ा	2+0
		26. रानीखेत	1+1
		27. भिकियासैण	1+0
		28. बागेश्वर	1+1
		29. कपकोट	1+0
		30. पिथौरागढ़	2+0

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
		31. डीडीहाट	1+1
		32. बेरीनाग	1+1
		33. चम्पावत	2+0
		34. बाराकोट	2+0
		कुल पद (46+24)	**70**
3	प्रारूपकार	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक पद	13
		कुल पद	**13**
4	अनुरेखक (मृत संवर्ग)	खण्डीय कार्यालय हेतु	05
		कुल पद	**05**

अनुसचिवीय एवं अन्य तृतीय श्रेणी के पदों का विवरण

क्र0 सं0	प्दनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	खण्डीय लेखाधिकारी	प्रत्येक खण्डीय कार्या0 में एक–एक पद	**13**
2	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–2)	मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–2)	01
		वरि0स्टा0अधि0 कार्या0 मु0अभि0 एवं विभागा0	01
		अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त पौड़ी, हल्द्वानी	02
		कुल पद	**04**
3	आशुलिपिक–।	मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–2)	01
		कुल पद	**01**
4	आशुलिपिक–।।	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक	13
		स्टा0 अधि0 कार्या0 मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		वरि0 स्टा0 अधि0 कार्या0 मु0 अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		वृत्त कार्यालय पौड़ी एवं हल्द्वानी	02
		कुल पद	**17**
5	मुख्य सहायक	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक	13
		स्टा0 अधि0 कार्या0 मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		वरि0 स्टा0 अधि0 कार्या0 मु0 अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		वृत्त कार्यालय पौड़ी एवं हल्द्वानी	02
		कुल पद	**17**
6	वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक	13
		वरि0स्टा0अधि0कार्या0 मुख्य अभि0 एवं विभागा0	01
		मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय	01
		वृत्त कार्यालय पौड़ी एवं हल्द्वानी	02
		कुल पद	**17**
8	कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय दो–दो	26
		मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय	01
		प्रत्येक उपखण्डीय कार्यालय एक–एक	34
		कुल पद	**61**

9	वाहन चालक	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक	13
		वरि0 स्टाफ अधि0 कार्या0 मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		मुख्य अभियन्ता स्तर–2 व स्टाफ अधिकारी	02
		वृत्त कार्या0 पौड़ी, हल्द्वानी में एक–एक	02
		उपखण्डीय कार्यालयों हेतु	08
		कुल पद	**26**
10	अमीन / सींचपाल	अमीन / सींचपाल के कार्यों के दृष्टिगत अमीन / सींचपाल के संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किया जा चुका है, जो कर्मी इस समय कार्यरत है उनसे कनिष्ठ सहायक का कार्य लिया जा रहा है।	08
		कुल पद	**08**

चतुर्थ श्रेणी के पदों का विवरण

क्र0 सं0	प्दनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	अनुसेवक	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 व स्टाफ अधिकारी (दो–दो)	04
		वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी	02
		वृत्त कार्यालय प्रत्येक में दो–दो	06
		खण्डीय कार्यालय प्रत्येक में एक–एक	13
		खण्डीय स्टोर हेतु प्रत्येक में एक–एक	13
		खण्डीय स्टोर हेतु रात्रि चौकीदार प्रत्येक में एक–एक	13
		प्रत्येक उपखण्डीय कार्यालय में एक–एक	34
		कुल पद	**85**
		महायोग	**539**

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

संख्या 1101 / ।।(2)—2008—01(34) / 04

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक : 24 जुलाई, 2008

विषय :— लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0 625 / ।।(2)—2006—01(34) / 04, दिनांक 13.09.2006 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग का संरचनात्मक ढांचा स्वीकृत किया गया था, जिसमे कुल 539 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्मिक विभाग / वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुक्रम में उक्त शासनादेश द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में सृजित कुल 99 पदों की सीमा के अन्तर्गत पदोन्नति सोपान के अनुसार निम्न विवरणानुसार पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पूर्व में सृजित पद	पुनर्गठित पदों की संख्या
1	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड—1)	5500—175—9000	—	04
2	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड—2)	5000—150—8000	04	05
3	मुख्य सहायक	4500—125—7000	17	25
4	वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक	4000—100—6000	17	30
5	कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक	3050—75—3950—80—4590	61	35
	कुल योग		**99**	**99**

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के उक्तानुसार पुनर्गठित संरचनात्मक ढांचे के पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 1127 / वि0अनु0—4 / 08, दिनांक 21 जुलाई 2008 में प्राप्त इनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या 1112 / ।।(2)–2008–01(34) / 04

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक : 25 जुलाई, 2008

विषय :– लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पुनर्गठित संरचनात्मक ढांचे की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0 625 / ।।(2)–2006–01(34) / 04, दिनांक 13.09.2006 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग का संरचनात्मक ढांचा की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें कुल 539 पदों में मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के 99 पदों को स्वीकृत किया गया था, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या संख्या 1101 / ।।(2)–2008–01(34) / 04 दिनांक 24.07.2008 के द्वारा मिनिस्टीरियल संवर्ग के पूर्व से सृजित कुल 99 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–1) के 04 पद, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–2) के 05 पद, मुख्य सहायक के 25 पद, वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक के 30 पद एवं कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक के 35 पद स्वीकृत करते हुये पुनर्गठित किये गये हैं।

शासनादेश संख्या 1101 / ।।(2)–2008–01(34) / 04 दिनांक 24.07.2008 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय मिनिस्टीरियल संवर्ग के 99 पदों को संलग्नक में अंकित विवरणानुसार लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न कार्यालयों में आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या 1112 / ।।(2)–2008–01(34) / 04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0 / पुस्तकालष्य एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या 1112/।।(2)—2008—01(34)/2004 दिनांक 25 जुलाई, 2008 का संलग्नक।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	01 इकाई कार्यालय मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष (मुख्यालय)	01 इकाई कार्यालय वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (मुख्यालय)	01 इकाई कार्यालय स्टाफ अधिकारी (मुख्यालय)	03 इकाई कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त)	13 इकाई कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (खण्ड)	34 इकाई कार्यालय सहायक अभियन्ता (उपखण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–।)	5500—175—9000	1	0	0	3	0	0
2	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–।।)	5000—150—8000	2	0	0	3	0	0
3	मुख्य सहायक	4500—125—7000	0	0	0	0	25	0
4	वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक	4000—100—6000	2	1	1	0	26	0
5	कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक	3050—75—3950—80—4590	1	0	0	0	0	34
	योग		6	1	1	6	51	34

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

संख्या 1044/ ।।–2011–01(05)/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग देहरादून, दिनांकः 03 अक्टूबर, 2011

विषय :– लघु सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अशुलिपिक संवर्ग के संरचनात्मक ढ़ांचे को स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पुर्नगटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिको के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति की संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 875/XXVII(7)/2011 दिनांक 08.03.2011 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 963/ XXX(2)/2011 दिनांक 25.07.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 625/ ।।–2006–01(34)/04 दिनांक 13 सितम्बर 2006 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग हेतु स्वीकृत कुल 18 पदों को स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर निर्धारित आनुपातिक प्रतिशत (50:35:15) में निम्नानुसार पुर्नगठन करते हुए पदनाम परिवर्तन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड रू0 में	ग्रेड पे रू0 मे	प्रतिशत	पदों का विभाजन
1	2	3	4	5	6
1	वैयक्तिक सहायक	5200–20200	2800	50	09
2	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	35	06
3	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800	4600	15	03
	योग				18

2– उक्तानुसार पदो के विभाजन के पश्चात संवर्ग में की जाने वाली नियुक्तियां/पदोन्नतियां, पदनाम व वेतनमान संशोधन आदि कार्यवाही वित्त विभाग के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08.03.2011 वर्णित व्यवस्थानुसार संशोधन संगत सेवा नियम में करके सम्पादित की जायेगी।

3– पदनाम परिवर्तन के उक्त निर्णय के फलस्वरूप सम्बन्धित पद धारको के कार्य की प्रकृति तथा उनके वेतनमान में कोई परिवर्तन नही होगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 515/ XXVII(T)2010 दिनांक सितम्बर 27, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1383 / ल0सिं0 / स्था0(स्टा0पै0) / 2016–17 दिनांक : 16, दिसम्बर 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 90 / XXX(2) / 2016–30 (51)15 दिनांक 26–07–2016 के क्रम में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पूर्व से सृजित 99 पदों को संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्रतिशत के आधार पर निम्न प्रकार एतद्द्वारा पुनर्गठित किया जाता है:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैंड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न		शा0सं0 90 दिनांक 26–07–2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न	
				प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100	5400	02%	02	06%	06
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	10%	10	08%	08
3	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	10%	10	08%	08
4	प्रधान सहायक	9300–34800	4200	18%	18	18%	18
5	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	28%	28	28%	28
6	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	32%	31	32%	31
	योग				**99**		**99**

उपरोक्त स्वीकृत पदों का कार्यालयवार विभाजन संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित है।

(मुहम्मद उमर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 1383 / ल0सिं0 / स्था0(स्टा0पै0) / 2016–17 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिचांई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाइ विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. साईबर कोषाधिकारी (लेखाधिकारी), साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. आदेश कट पत्रावली।

(मुहम्मद उमर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

परिशिष्ट–1

देश संख्या 1383 / ल0सिं0 / स्था0(स्टा0पै0) / 2016–17 दिनांक 16,
2016 द्वारा मिनिस्टीरियल संवर्ग के स्वीकृत 99 पदों का विवरण

लय मुख्य न्ता एवं गाध्यक्ष यालय) इकाई)	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त) (04 इकाई)	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (खण्ड) (13 इकाई)	कार्यालय सहायक अभियन्ता (उपखण्ड) (34 इकाई)	कुल योग	अन्य विवरण
3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	4	0	0	**6**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु दो पद एवं प्रत्येक वृत्त कार्यालय हेतु एक–एक पद।
2	0	6	0	**8**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु दो पद पद। खण्डीय कार्यालय टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरागढ़ हेतु एक–एक पद।
1	0	7	0	**8**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु एक पद, खण्डीय कार्यालय, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, ऊधमसिंहनगर, चम्पावत, बागेश्वर हेतु एक–एक पद।
2	3	13	0	**18**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु दो पद, वृत्त कार्यालय टिहरी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ हेतु एक–एक पद एवं प्रत्येक खण्ड कार्यालय हेतु एक–एक पद।
4	4	13	7	**28**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु 4 पद, प्रत्येक वृत्त हेतु एक–एक पद एवं प्रत्येक खण्ड हेतु एक–एक पद। उपखण्ड टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंहनगर हेतु एक–एक पद।
3	1	0	27	**31**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु 3 पद, वृत्त कार्यालय पौड़ी हेतु एक पद, उपखण्ड घनसाली, नरेन्द्रनगर, डाकपत्थर, उत्तरकाशी, नौगांव, रूड़की, सतपुली, स्यूंसी, लक्ष्मणझूला, कोटद्वार, थराली, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, ऊखीमठ, नैनीताल, हल्द्वानी, धारी, रानीखेत, भिक्यासैण, काशीपुर, पिथौरागढ़, डीडीहाट, बेरीनाग, चम्पावत, बाराकोट, बागेश्वर एवं कपकोट हेतु एक–एक पद।
14	**12**	**39**	**34**	**99**	–

(मुहम्मद उमर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 617 / ल0सिं0 / स्था0(स्टा0पै0) / 2018–19 दिनांक : 19, जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासन के आदेश संख्या 278 / ||–2017–01(05) / 2011 दिनांक 25–05–2017 द्वारा विभागान्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्ग में विद्यमान त्रिस्तरीय ढांचे को चतुर्थ स्तरीय संवर्गीय ढांचे में पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप वैयक्तिक सहायक संवर्ग के पूर्व से सृजित 18 पदों को संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्रतिशत के आधार पर निम्न प्रकार एतद्द्वारा पुनर्गठित किया जाता है:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैंड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न		शा0सं0 278 दिनांक 25–05–2017 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न	
				प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100	5400	-	-	06	01
2	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800	4600	15	03	15	03
3	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	35	06	35	06
4	वैयक्तिक सहायक	5200–20200	2800	50	09	44	08
	योग				18		**18**

उपरोक्त स्वीकृत पदों का कार्यालयवार विभाजन संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित है।

मुहम्मद उमर
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या / ल0सिं0 / स्था0(स्टा0पै0) / 2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिचांई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. साईबर कोषाधिकारी (लेखाधिकारी), साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. आदेश कट पत्रावली।

संलग्न : उक्तानुसार।

(जे0पी0भास्कर)
स्टाफ आफिसर
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

परिशिष्ट–1

कार्यालय आदेश संख्या 617/ल0सिं0/स्था0(स्टा0पै0)/2018–19 दिनांक 19, जून 2018 द्वारा वैयक्तिक सहायक संवर्ग के
का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (मुख्यालय) (01 इकाई)	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त) (04 इकाई)	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (खण्ड) (13 इकाई)	कुल योग	अन्य विव
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	1	0	0	**1**	मुख्य अभियन्ता का एक पद।
2	वैयक्तिक अधिकारी	1	2	0	**3**	मुख्य अभियन्ता का एक पद। वृत्त का एवं हल्द्वानी हेतु ए
3	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	1	0	5	**6**	मुख्य अभियन्ता एक पद, खण्डी देहरादून, उत्तरक नैनीताल एवं ब एक–एक पद।
4	वैयक्तिक सहायक	1	0	7	**8**	मुख्य कार्याल पद, कार्याल हरिद्वार, ऊधमसि अल्मोड़ा एवं पि एक–ए
	योग	**4**	**2**	**12**	**18**	–

स्टाफ आफिसर
मुख्य अभियन्ता एवं विभ
लघु सिंचाई विभाग, उत्त

देहरादून।

उत्तरांचल शासन
सचिवालय प्रशासन विभाग
संख्या : 2100/XXX(1)–2001(1)/2004
देहरादून : दिनांक 30 जुलाई, 2004

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त से व्यवहृत किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लघु सिंचाई विभाग के वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा में स्थानान्तरित होने के उपरान्त वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित विभाग हो जायेंगे।

1– वन एवं पर्यावरण विभाग।
2– पंचायतीराज विभाग।
3– ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4– लघु सिंचाई विभाग।
5– जलागम प्रबन्ध विभाग।
6– कृषि, कृषि विपणन एवं कृषि शिक्षा विभाग।
7– सहकारिता विभाग।
8– गन्ना विकास विभाग।
9– चीनी उद्योग विभाग।
10– पशुपालन विभाग।
11– दुग्ध विकास विभाग।
12– मत्स्य पालन विभाग।
13– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
14– रेशम विभाग।

सचिव, ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियन्त्रण अब सचिव, लघु सिंचाई के रूप में लघु सिंचाई का भी काम करेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव

संख्या 2100(1) XXX(1)–2001(1)/2004 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुत, उत्तरांचल शासन देहरादून।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन देहरादून।
4– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन देहरादून।
5– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
6– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
7–समस्त अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अनु सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8– समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9– मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
10– अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(किशन नाथ)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
सचिवालय प्रशासन विभाग
संख्या : 4984/XXX 1(1)/2004
देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2004

कार्यालय आदेश

सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2100/**XXX**(1) – 2001(1)/2004 देहरादून : दिनांक 30 जुलाई, 2004 को तात्कालिक प्रभाव से लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य ग्राम विकास आयुक्त शाखा में मिलाकर आवंटित किया जाता है।

कृत्रिम रूप से भूमिगत जल संवर्धन एवं वर्षा जल संग्रहण (**Artifielal Recharge to ground and rain water harvesting**) का कार्य लघु सिंचाई विभाग को आवंटित किया जाता है।

लघु सिंचाई विभाग के वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा में स्थानान्तरित होने के उपरान्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा के नियंत्राधीन निम्नलिखित विभाग हो जायेंगे :–

1– वन एवं पर्यावरण विभाग।
2– ग्राम्य विकास विभाग।
3– पंचायती राज विभाग।
4– ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5– लघु सिंचाई विभाग एवं कृत्रिम रूप से भूमिगत जल संवर्धन एवं वर्षा जल संगहण।
6– जलागम प्रबन्ध विभाग।
7– कृषि, कृषि विपणन एवं कृषि शिक्षा विभाग।
8– सहकारिता विभाग।
9– गन्ना विकास विभाग।
10– चीनी उद्योग विभाग।
11– पशुपालन विभाग।
12– दुग्ध विकास विभाग।
13– मत्स्य पालन विभाग।
14– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
15– रेशम विभाग।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव

संख्या : 4984/XXX 1(1)/2004 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ।
6– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
7– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उत्तरांचल शासन।
8– समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन।
9– मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
10– मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (उत्तराखण्ड)
कार्मिक अनुभाग (सिंचाई विभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 17 / मु0अ0 / उ0ख0 / आर–2 / उत्तरांचल दिनांक 3 जनवरी, 2001

कार्यालय ज्ञाप

शासन के आदेश संख्या 29 / ल0सिं0 / 2000 दिनांक 23–12–2000 द्वारा उत्तरांचल में लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एवं उनके कार्यालय को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए, लघु सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष के अधिकार मुख्य अभियन्ता स्तर–I, सिंचाई विभाग को प्रदत्त किये गये हैं। अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग के अधीन कार्यरत तीनों खण्डों को अग्रिम आदेशों तक सिंचाई विभाग के निम्न मण्डलों में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशासनिक नियन्त्रण में किया जाता है :–

क्रमांक	खण्ड का नाम	मण्डल जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण में किया गया है।
1	लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून
2	लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी	सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर
3	लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल	सिंचाई कार्य मण्डल, नैनीताल

(आर0एस0 गुलाटी)
मुख्य अभियन्ता (उत्तराखण्ड)

संख्या 17 / मु0अ0 / उ0ख0 / कार्मिक तदिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता, गंगाघटी / यमुना / उत्तर / परिकल्प संगठन, देहरादून, हल्द्वानी, रूड़की।
4– वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5– अधीक्षण अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
6– अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
7– अधीक्षण अभियन्ता, देहरादून / श्रीनगर / नैनीताल।
8– वैयक्तिक सहायक, मुख्य अभियनता (स्तर–1)।

(आर0के0जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक)
कृते मुख्य अभियन्ता (उत्तरांचल)

लघु सिंचाई एवं भू–जल विभाग, उत्तराखण्ड

किसान लघु सिंचाई चार्टर

1— लघु सिंचाई विभाग का ध्येय

उत्तराखण्ड में उपलब्ध जल श्रोतों का समुचित/सुनियोजित ढंग से दोहन कर राज्य में लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि योग्य भूमि को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।

2— लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख कर्तव्य

- समस्त लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु नियोजन, क्रियान्वयन विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना। इस हेतु संसाधन पारित करना, कार्य की बाधाओं को हटाना, कार्यो की प्रक्रिया तय करना तथा कार्य की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना।
- लघु सिंचाई विभाग द्वारा छोटे—छोटे प्राकृतिक श्रोतों, नदियों, गधेरों/नालों पर योजनाओं का निर्माण कर कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, जिससे कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
- प्रदेश के प्राकृतिक जल श्रोतों का संरक्षण, विकास एवं सुनियोजित प्रबन्धन।
- सीमित जल संसाधनों के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से सिंचाई प्रणालियों का विकास करना।

3— योजनाओं की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया

- जिस कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु प्रस्ताव दिया जा रहा है, उसका पूर्ण विवरण (खसरा, खतौनी, सजरा) प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- लघु सिंचाई योजनाओं, हौज, हाईड्रम, बोरिंग पम्पसेट, आर्टीजन वैल, वीयर निर्माण हेतु न्यूनतम कृषि योग्य क्षेत्रफल क्रमशः 0.80 हैक्टेयर, 6.00 हैक्टेयर, 5. 00 हैक्टेयर तथा 20.00 हैक्टेयर भूमि की उपलब्धता आवश्यक है।
- मैदानी क्षेत्रों में बोरिंग पम्पसेट हेतु सभी श्रेणी के कृषकों नलकूप निर्माण हेतु लगभग का 50 प्रतिशत अथवा रू0 एक लाख जो भी कम हो का अनुदान अनुमन्य किया जाता है।

➢ 4— विभागीय कार्यों में जन सहभागिता एवं पारदर्शिता

भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गये हैं कि सिंचाई से सम्बन्धि छोटी—छोटी योजनाएं जो सामुदायिक हित में बनायी जा रही हैं, का प्रबन्धन वाटर यूजर्स ग्रुप के माध्यम से लाभार्थी समूहों के पास रहे एवं योजना के रखरखाव एवं क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता भी हो, जिससे योजनाएं लम्बे समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें व कृषकों की रूचि भी सिंचाई योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में बनी रहे एवं कृषि उत्पादन में कृषि योग्य भूमि का पूर्ण उपयोग हो सके। विभागीय योजनाओं के चयन, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव हेतु सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन (पी0आई0एम0) लागू किया जा चुका है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

1—जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर

(अ) ग्राम सभा स्तर

(I) सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

(II) सिंचाई परियोजना स्थल चयन, ग्राम सभा की खुली बैठक में, लघु सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार (मानक विकास उपलब्ध करायेगा)।

(III) सिंचाई परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराना।

(क) प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।

(ख) गूल/पाईप लाइन की लम्बाई कि0मी0 में।

(ग) हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)।

(घ) हाईड्रम की संख्या।

(ड़) वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।

(च) आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।

(छ) मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(IV) बिन्दु **III** के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) एकल योजना का प्रस्ताव प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।

(VI) जिला पंचायत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त लघु सिंचाई उपभोक्ता उपसमिति का गठन किया जायेगा, जिसका अध्यक्ष पदेन सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान होगा तथा जल प्रबन्धन समिति के सदस्य पदेन इस समिति के सदस्य होगे।

(VII) उपभोक्ता समूह परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व 3% धनराशि उपसमिति के खाते में जमा करेगा, यह खाता ग्राम सभा के खाते से भिन्न होगा तथा योजना पूर्ण होने के दो वर्षों के बाद विभाग की अनुमति से सम्बन्धित योजना की मरम्मत पर व्यय करेगा। उपसमिति आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा।

(VIII) जिला पंचायत से जिला सैक्टर/राज्य सैक्टर की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम सभा लघु सिंचाई उपभोक्ता उपसमिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन/रख रखाव का कार्य लघु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा मानक के अनुसार करायेगी।

(IX) जिला पंचायत 25% अग्रिम सामग्री की व्यवस्था के अतिरिक्त उतने ही कार्यो/कार्य के भाग का भुगतान करेगी जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।

(X) कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई तथा प्रतिहस्ताक्षर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण विभाग के विभिन्न स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(XI) समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम सभा का होगा।

(ब) क्षेत्र पंचायत स्तर पर

(I) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों का लाभान्वित करने वाली सिंचाई आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

(II) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों का लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का स्थलीय चयन क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में लघु सिंचाई विभाग के मानको के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)

(III) सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण विकास खण्ड में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा। प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार आवश्यक है।

(क) प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।

(ख) गूल/पाईप लाइन की लम्बाई किमी0 में।

(ग) हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)।

(घ) हाईड्रम की संख्या।

(ड़) वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।

(च) आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।

(छ) मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(IV) बिन्दु **III** के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) क्षेत्र के अन्तर्गत दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।

(VI) जिला पंचायत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त सिंचाई परियोजना के सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पड़ने वाले भाग का क्रियान्वयन/रख रखाव उस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समिति द्वारा जिसका गठन क्षेत्र पंचायत की देख–रेख में किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष, सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान तथा सदस्य परियोजना के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त जल प्रबन्धन समिति के सदस्य पदेन सदस्य होगें।

(VII) उपभोक्ता समूह परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व 3% धनराशि उपसमिति के खाते में जमा करेगा, यह खाता ग्राम सभा के खाते से भिन्न होगा तथा योजना पूर्ण होने के दो वर्षों के बाद विभाग की अनुमति से सम्बन्धित योजना की मरम्मत पर व्यय करेगा। उपसमिति आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा।

(VIII) जिला पंचायत से जिला सैक्टर/राज्य सैक्टर की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम सभा लघु सिंचाई उपभोक्ता उपसमिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन/ रख रखाव का कार्य लघु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा मानक के अनुसार करायेगी।

(IX) जिला पंचायत 25% अग्रिम सामग्री की व्यवस्था के अतिरिक्त उन्हीं कार्यो/ कार्य के भाग का भुगतान करेगी जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।

(X) कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई तथा प्रतिहस्ताक्षर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण विभाग के विभिन्न स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(XI) समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम सभा का होगा।

(XII) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा तथा स्वीकृत प्राक्कलन के मानक के अनुसार कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत का होगा।

(स) जिला पंचायत स्तर

(I) जिले के अन्दर दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों का लाभान्वित करने वाली सिंचाई आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

(II) जिले के अन्दर दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का स्थलीय चयन लघु सिंचाई विभाग के जनपद के तकनीकी अधिकारियों की सहायकता से किया जायेगा।

(III) सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार आवश्यक है।

(क) प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।
(ख) गूल/पाईप लाइन की लम्बाई किमी0 में।
(ग) हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)।
(घ) हाईड्रम की संख्या।
(ङ) वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।
(च) आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।
(छ) मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(IV) बिन्दु **III** के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों से प्राप्त (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) प्रस्ताव तथा जिला पंचायत द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव की सूची जिला पंचायत की खुली बैठक में रखी जायेगी, जिसमें योजनाओं का चयन किया जायेगा तथा चयनित योजनाओं की सूची (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) लघु सिंचाई विभाग के जनपद स्तर के तकनीकी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका विस्तृत प्राक्कलन विभाग द्वारा तैयार कर जिला पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा।

(VI) जिला पंचायत द्वारा उतनी ही योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जायेगी जितना परिव्यय जिला पंचायत को सूचित किया गया है।

(VII) जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर की योजनाओं के निर्माण हेतु धनांवटन शासन द्वारा जिला पंचायत को किया जायेगा, जिला पंचायत द्वारा एकल ग्राम पंचायत वाली परियोजनाओं का धनांवटन सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र के अन्दर एक से अधिक ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली योजनाओं का धनावंटन क्षेत्र पंचायत को तथा जिले में एक क्षेत्र पंचायत से अधिक क्षेत्र पंचायत को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं का संचालन अपने स्तर से किया जायेगा।

(2) केन्द्रपुरोनिधानित एवं वाह्य सहायतित योजनायें।

योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन तथा रख रखाव भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशन तथा मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

5— विभाग द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम

01— सतही जल आधारित साधन।
02— भूगर्भ जल आधारित सिंचाई साधन।

सतही जल आधारित सिंचाई साधन :— इनको दो भागों में बांटा जा सकता है।

1— मैदानी क्षेत्र में।
2— पर्वतीय क्षेत्र में।

1— मैदानी क्षेत्र में :— छोटे—बड़े नाले तथा तालाब आदि पर विद्युत मोटर अथवा डीजल पम्पसेट लगाकर सिंचाई की जा सकती है। कहीं—कहीं पर पानी के स्रोत के

किनारे छोटे स्टोरेज वेल बनाकर छोटी लिफ्ट बना ली जाती है तथा इसे नलकूप के रूप में विकसित कर सिंचाई की जाती है।

2– पर्वतीय क्षेत्र में :– पर्वतीय क्षेत्रों सिंचाई के मुख्य परम्परागत साधन गूल व हौज हैं व वैकल्पिक साधन हाईड्रम है। इन्हीं के द्वारा नदी नाले व झरने/ श्रोत का पानी खेतों तक पहुंचाकर सिंचाई की जाती है। यह व्यक्तिगत तौर पर बनाये जाते हैं तथा सामुदायिक भी।

पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक बनावट के अनुरूप ही इस क्षेत्र में पानी के स्थायी श्रोत नदियों व नालों से पानी गूलों से खेतों तक लाया जाता है। कभी–कभी अधिक उतार–चढ़ाव अथवा चट्टान के कारण गूल का निर्माण सम्भव नहीं होता है, ऐसे स्थानों में गूल के स्थान पर पाइप लाइन का प्रयोग किया जाता है। जब पानी श्रोत अथवा नाले में बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में ऐसे स्थान पर जहाँ से अधिक खेतों की सिंचाई की जा सके, हौज का निर्माण किया जाता है, इसमें स्थाई श्रोत अथवा नाले से पानी एकत्रित कर आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है।

(2) हाईड्रम :– यह वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों में एक मुख्य साधन है हाईड्रोलिक रैम का सर्वप्रथम जान व्हाईट हर्स्ट, डर्बी, इंग्लैण्ड द्वारा अविष्कार किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः पानी छोटे–छोटे झरनों व नालों के रूप में बहता रहता है, जिसे झरनों/नालों से उठाकर (लिफ्ट कर) कृषि क्षेत्र तक ले जाकर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। इंजन के लाने ले जाने, डीजल खर्च व विद्युत अभाव व इंजन की देखरेख/मरम्मत हेतु सदैव कुशल कारीगर के उपलब्ध न होने व बहुत खर्चीली व्यवस्था के कारण इसके निवारण हेतु वाटर हैमरिंग सिंद्धान्त पर ऐसी विधि का अविष्कार किया गया जो ज्यादा मात्रा में, कम ऊंचाई से, तेज गति से गिरने वाली पानी को कम मात्रा में, अधिक ऊंचाई तक पहुंचा देती है। इस विधि को हाईड्रम कहते हैं यह मशीन बिना ईंधन के लगातार पानी उठाने का कार्य स्वतः करती रहती है।

"हाईड्रम"–पर्वतीय क्षेत्र के लिए वरदान

प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ गार स्मिथ ने वर्षों पूर्व कहा था कि जल दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। आज हर व्यक्ति इसकी उपयोगिता एवं महत्व को देख सुन और समझ चुका है और इसकी हर बूंद को व्यर्थ नहीं करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम प्रमुख इस बात से पूर्णतया आश्वस्त हैं कि जल्दी ही दुनिया के देशों के बीच पानी के संकट को लेकर युद्ध शुरू हो जायेंगे। यह कोरी कल्पना नहीं अपितु हकीकत है। सऊदी अरब अपनी आवश्यकता का आधा पानी विदेशों से मंगवाता है। इज्राईल 87 % जल का आयात करता है। जोर्डन मात्र 9 % जल ही जुटा पाता है। इसी तरह मध्य पूर्वी एशिया व अफ्रीका के 31 देश भारी जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

बदलते मौसम के कारण लंदन में बहने वाली टेम्स नदी के भूतल का स्तर पिछले 100 वर्षों में घटते–घटते आज न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि इंग्लैण्ड में पानी की खपत पिछले 30 वर्षों से दो गूनी हो गई है।

हमारे यहां लाखों क्यूसेक पानी नदी/नालों में व्यर्थ बहता रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र का एक बड़ा भाग नदी/नाले के ऊपर स्थित है। जिससे उक्त क्षेत्र ग्रेविटी सिस्टम (सतही जल प्रणाली) से वंचित नहीं किया जा सकता, इस क्षेत्र को लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा ही सिंचित किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र की

विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उक्त क्षेत्रों में बिजली अथवा डीजल उपलब्ध न होने से कृषि क्षेत्र का एक बड़ा भाग असिंचित रह जाता है।

हाईड्रम ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का अत्यन्त उपयोगी साधन है। यह वैकल्पिक उर्जा के साधनों में एक मुख्य साधन है। इसका सर्वप्रथम अविष्कार जान व्हाइटहर्स्ट, डर्बी, इंग्लैण्ड द्वारा किया गया। यह मशीन बिना ईंधन के लगातार पानी उठाने का कार्य स्वतः करती रहती हैं इसके संचालन एवं रखरखाव का खर्च अत्यन्त न्यून है और कोई भी व्यक्ति बगैर तकनीकी जानकारी के इसे स्वयं संचालित कर सकता है। हाईड्रम बिना किसी बाह्य उर्जा यथा बिजली/डीजल व पेट्रोल के वाटर हैमर के सिद्धान्त पर कार्य कर, उपलब्ध स्टैटिक हैड (स्थैतिक शीर्ष) को काइनेटिक उर्जा (गतिज उर्जा) में परिवर्तित कर पानी की अधिक मात्र उपलब्ध कराता है। जल, उपलब्ध शीर्ष के अधिकतम 30 गुने ऊंचाई तक चढ़ाया जा सकता है, लेकिन सिंचाई के लिए अधिक जल उपलब्ध कराने एवं योजना की वियर टियर कम करने हेतु विभाग फिलहाल शीर्ष के 15 गूने ऊंचाई तक ही जल लिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है।

सप्लाई चैनल के नीचे स्थित भूमि की सिंचाई सीधे सप्लाई चैनल (गूल) से की जा सकती है एवं इसके अतिरिक्त सप्लाई चैनल की माप (सैक्शन) थोड़ा बढ़ाकर इससे पनचक्की चलाकर गेहूं व अन्य अनाज आदि की पिसाई का कार्य भी किया जा सकता है, जिससे एक ओर बिजली/डीजल पर निर्भरता कम होगी एवं रोजगार सृजन के अधिक अवसर मिलेंगे व अनाज की पौष्टिकता बरकरार रहेगी तथा अनावश्यक श्रम की बचत होगी। इसके निम्न लाभ हैं :–

- ❖ योजना कम समय में पूर्ण हो जाती है।
- ❖ योजना पर रखरखाव खर्च अत्यनत न्यून होता है।
- ❖ इससे पर्यावरण पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है।
- ❖ योजना से तुरन्त लाभ मिलना प्रारम्भ हो जाता है।
- ❖ योजना की असफल होने की सम्भावना नहीं होती है।
- ❖ कोई भी व्यक्ति बगैर तकनीकी जानकारी के इसे संचालित कर सकता है।
- ❖ सप्लाई नहर से नीचे स्थित भूमि की सिंचाई के साथ–साथ घराट लगाकर अनाज आदि की पिसाई का कार्य व विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जा सकता है।
- ❖ पर्यावरण मित्र है।

स्पष्ट है कि योजना आम के आम गुठलियों के दाम की तरह पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वरदान है।

<u>वियर (छोटे बैराज)</u>

ऐसे स्थान जहां पर स्थाई श्रोत (Paranial Source) है, जिसका स्तर ऊंचा करने से अधिक मात्रा में खेतों की सिंचाई सम्भव हो जाती है, परन्तु स्थाई रूप से उसका स्तर ऊंचा करने पर ऊपर के खेतों के लिए वर्षा ऋतु में वाटर लागिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे निपटने के लिए गेटेड स्ट्रक्चर की आवश्यकता महसूस करते हुए गेटेड वियर बनाने की नवीन सोच के आधार पर प्रथम बार ये योजना ली गई है। यह योजना काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

भूगर्भ जल आधारित सिंचाई साधन

मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई साधन :

विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भीय संरचना के बदलाव के कारण भूगर्भ जल श्रोत एवं साधन का दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र विशेष की संभावना के अनुरूप अलग–अलग तरह के निर्माण होते हैं। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं।

1– कूप :– भारतवर्ष में यह बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाता रहा है। इसके निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि कूप से पानी किस साधन द्वारा उठाया जायेगा। कूप का पानी चरस द्वारा लगभग 16 मीटर व रहट द्वारा 10 मीटर तक आसानी से उठाया जा सकता है।

2– कूप मय बोरिंग :– कूप की क्षमता को बढ़ाने हेतु मैदानी क्षेत्र में कुएं के अन्दर हैण्डसेट से स्ट्रेनर व कैविटी बोरिंग की जाती है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कहीं–कहीं जल की उपलब्धता चट्टानों के बीच में जल संग्रहण के रूप में होती है, जिसे उस गहराई तक बोरिंग करके कूप क्षमता बढ़ाई जाती है।

3– नलकूप

नलकूप पानी की निकासी का वह साधन है, जिसमें फिक्सड पाइप के जरिये जमीन से पानी निकाला जाता है। इसमें पानी उठाने की मशीन डीजल पम्पसेट अथवा विद्युत मोटर होती है। एक पक्की कोठरी तथा एक पक्का डिलीवरी टैंक और थोड़ी पक्की गूल नलकूप के आवश्यक अव्यव हैं। इनकों बोरिंग की गहराई के आधार पर दो भागों में बाटा जाता है। 100 मीटर तक की गहराई वाले नलकूप गहरे (DEEP) नलकूप कहे जा सकते हैं। सिंचाई के अन्य साधनों से इनकी तुलना करने पर निजी नलकूप/बोरिंग से सिंचाई की लागत कम आती है। नलकूप कम लागत एवं कम अवधि में पूर्ण हो जाता है एवं खराब होने की दशा में तुरन्त ठीक हो सकता है।

4– आर्टीजन वेल (पाताल तोड़ कुआँ)

यह झरने का ही रूप है, परन्तु यह प्रायः समतल व कम ढाल वाले स्थानों पर पाये जाते हैं। इनको फ्लोविंग कूप अथवा कनफाइण्ड जल प्रस्तर कूप कहते हैं। किसी भी ढालू कनफाइण्ड जल प्रस्तर में भूतल से पन्क्चर करने पर जल दबाव के कारण बहने वाले झरने को आर्टीजन कहते हैं।

6. कृषकों का दायित्व

लघु सिंचाई विभाग द्वारा एकल तथा सामुदायिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जिन्हें निर्माण के पश्चात सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/ जल उपभोक्ता समूहों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। अतः योजनाओं के रखरखाव एवं संचालन का दायित्व लाभान्वित कृषकों का है। उनका यह भी दायित्व बनता है कि सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करें।

7. सूचना की उपलब्धता

लघु सिंचाई विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रत्येक विकास खण्ड में तैनात है, जिसका सीधा सम्पर्क स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष जिला पंचायत तथा स्थानीय कृषकों से सदैव बना रहता है, जिस कारण योजनाओं से सम्बन्धित किसी शिकायत का निराकरण तत्काल सम्भव होता है तथा योजनाओं से सम्बन्धित कसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती

है। विभाग की वेबसाइट www.minorirrigation.uk.gov.in पर विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार
क्षेत्रीय विकास विभाग
अनुभाग–2
अधिसूचना
4 अक्टूबर, 1991 ई0

सं0 1424/54–2–1309–77–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली, 1991।

भाग–एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियन्त्रण सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति :– उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लघु सिंचाई विभाग) एक राज्य सेवा है जिसमें समूह **''क''** और ''**ख''** के पद समाविष्ट हैं।

3– परिभाषायें :–जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) ''नियुक्त प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख) ''मुख्य अभियन्ता '' का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से है।

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पार्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(घ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।

(ङ) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है

(झ) ''सेवा से तात्पर्य'' उत्तर प्रदेश अभियन्ता ''लघु सिंचाई विभाग'' से है।

(ञ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्सयम विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो,

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

4––सेवा की सदस्य संख्या––(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदो की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमे प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है–

परन्तु––

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल, समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन––भर्ती

5– भर्ती को श्रोत––सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगीः––

(1) सहायक अभियन्ता :– (एक) 67 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से कृषि सिविल और यान्त्रिक अभिन्त्रण मे उस रीति से कि स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखने वालों का सीधी भर्ती के अनुपात क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत हो,

(दो) (क) 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा जिसमें एक तिहाई मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ता (यान्त्रिक) में से और दो तिहाई मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) में से होंगे जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को दस वर्ष की सेाव पूरी कर ली हो।

(ख) 8 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा उन मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं मे से जो सिविल, यान्त्रिक या कृषि अभियन्त्रण में उपाधियों उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखते हों, परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे पद खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें।

(2) अधिशासी अभियन्ता–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं जिन्होने, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को सहायक अभियन्ता के रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, मे से पदोन्नति द्वारा।

(3) अधीक्षण अभियन्ता–– मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी अभियन्ताओं, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को कम से कम पन्द्रह वर्ष की कुल सेवा (जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रूप मे कम से कम छः वर्ष की सेवा सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, मे से पदोन्नति द्वारा।

(4) मुख्य अभियन्ता–– मौलिक रूप से नियुक्त अधीक्षण अभियन्ताओं जिन्होने पच्चीस वर्ष की कुल सेवा जिसमे अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम छः वर्षों की सेवा सम्मिलित है, पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

6––आरक्षण––अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार––अर्हतायें

7–राष्ट्रीयता––सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः––

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत सरकार मे स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रबजन किया हो :

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि कोई अभ्यर्थी उर्पयुक्त श्रेणी (ग) का ही तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा जबकि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी––ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न हो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8––आयु––सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन को, जिसमे आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा मे उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

9––शैक्षिक अर्हतायें––सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास सिविल या यान्त्रिक या कृषि अभियन्त्रण मे स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिये या उसने इन्स्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) से सिविल या यान्त्रिक अभियन्त्रण मे सेक्शन ''ए'' और ''बी'' मे एसोसिएटेड मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

10––अधिमानी अर्हतायें––ऐसे अभ्यर्थी को जिसने––

(एक) प्रादेशिक सेना मे दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय केडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले मे अधिमान दिया जायेगा।

11––चरित्र––सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी——संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12——वैवाहिक प्रास्थिति——सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया जो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

(परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13——शारीरिक स्वस्थता——किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने मे बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की सीधी भर्ती के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा मे सफल पाया जाय :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14——रिक्तियों का अवधारण– नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सहायक अभियन्ता के पदों की रिक्तियों की सूचना आयोग को भेजी जायेगी।

15——सीधाी भर्ती की प्रक्रिया–(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेगें।

(2)किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा तब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने पर और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का समुचित प्रतिनिधत्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतने अथ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध मे आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यार्थियों की प्रवीणता क्रम मे जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल अंक बराबर–बराबर प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामो की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकरी को अग्रसारित कर देगा।

16–आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया––सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार योग्यता के आधार पर की जायेगी।

17––सहायक अभियन्ता के पद के लिए संयुक्त चयन सूची––यदि भर्ती के किसी वर्ष की नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हों तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेगें कि नियम 5 के अधीन सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने वालों का विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहना नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

18––चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया––

(1) **(क)** अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, निसमें निम्नलिखित होगें :

(एक) प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	(अध्यक्ष)
(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लघु सिंचाई विभाग	(सदस्य)
(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग	(सदस्य)
(चार) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	(सदस्य)

(ख) अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेश्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें :

(एक) प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0	(अध्यक्ष)
(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लघु सिंचाई विभाग	(सदस्य)
(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग	(सदस्य)
(चार) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	(सदस्य)

(ग) मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेश्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी,ि जसमें निम्नलिखित होंगं :

(एक) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	(अध्यक्ष)
(दो) प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 सरकारु	(सदस्य)
(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लघु सिंचाई विभाग	(सदस्य)
(चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग	(सदस्य)

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां ''उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986'' के अनुसार तैयार करेगा और इसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे जो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः––नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायी करण और ज्येष्ठता

19——नियुक्ति——(1)उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 और 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष मे नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनो श्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बनध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा। यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय जैसे कि यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जायें तो नाम नियम 17 में निर्दिश्ठ क्रम के अनुसार रखे जायेगें।

(20)——परिवीक्षा——(1) निम्नलिखित पदों पर किसी व्यक्ति को स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर——

(एक) सहायक अभियन्ता को दों वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, और

(दो) अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति में अपने अवसरो का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसकी किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग मे सम्मिलित किसी पद पर किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थापन्न या अस्थायी रूप मे की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21——स्थायीकरण——(1) उपनियम(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियमिति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि——

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(घ) और सहायक अभियन्ता के मामले में परिवीक्षाधीन व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह एक समिति द्वारा जिसकी अध्यक्षता मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी, आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करे, इस समिति में मुख्य अभियन्ता

द्वारा नामनिर्दिष्ट उक्त विभाग के दो अधिशासी अाीयन्ता उसके सदस्य के रूप में होंगे। विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

(2) जहां, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायी करण आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन घोशणा करते हुये यह आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायी करण आदेश समझा जायेगा।

22––ज्येष्ठता– किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा–संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात––वेतन इत्यादि

23––वेतनमान– (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :

पद का नाम	वेतनमान
1. सहायक अभियन्ता	2200–75–2800–दा0 रो0–100–4000
2. अधिशासी अभियन्ता	3000–100–3500– 25–4500
3. अधीक्षण अभियन्ता	3700–125–4700–150–5000
4. मुख्य अभियन्ता	4500–150–5700

24––परिवीक्षा अवधि में वेतन– (1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधिनी व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोशप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जहां विहित हो वहां प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोश प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई हो तो इस प्रकार बढाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोश प्रदान न कर सकने के करण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई हो तो इस प्रकार बढाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25––दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड––किसी सहायक अभियन्ता को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगा जब तक कि उसने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक न पूरा कर लिया हो, और विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण न कर ली हो, उसका

कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—आठ——अन्य उपबन्ध

26——पक्ष समर्थन— —किसी पद पर या सेवा मे लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफरिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौलिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

27——अन्य विषयों का विनियमन—— ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिश्ठ रूप से इस नियमावली या विशेष आदेश के अन्तर्गत न आते हैं, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू नियमो, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगें।

28——सेवा की शर्तों मे शिथिलता—— जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशश्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

29——व्यावृत्ति——इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बनध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

{ नियम 4(2) देखिये }

	स्थायी	अस्थायी	योग
समूह ''ख'' के पद—— सहायक अभियन्ता	102	21	123
समूह ''क'' के पद——			
अधिशासी अभियन्ता	22	15	37
अधीक्षण अभियन्ता	4	2	6
मुख्य अभियन्ता	1	—	1

आज्ञा से,
विनोद मल्होत्रा
सचिव

उत्तरांचल शासन
लघु सिंचाई विभाग
संख्या/645/ ।।(2)–2006–01(19)/2006
देहरादून दिनांक 22 सितम्बर, 2006

अधिसूचना संख्या–643/ ।।(2)–2006–01(19)/2006, दिनांक 22.09. 2006, उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006 के हिन्दु एवं अंग्रेजी रूपान्तरण की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– मण्डलायुक्त, पौड़ी एवं नैनीताल।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को असाधारण गजट के प्रकाशनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया 500 प्रतियाँ लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराये।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

उत्तरांचल शासन
लघु सिंचाई विभाग
संख्या/643/ ।।(2)–2006–01(19)/2006
देहरादून दिनांक 22 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तरांचल, लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006

भाग–एक–सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल अभियन्त्रण सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– सेवा की प्रास्थिति –

लघु सिंचाई विभाग की उत्तरांचल अभियन्ता सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह "क" और "ख" के पद समाविष्ट है।

3– परिभाषायें– जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ख) "आयोग" से "उत्तरांचल लोक सेवा आयोग" अभिप्रेत है।

(ग) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है।

(घ) "राज्यपाल" से उत्तरांचल का राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ड) "सरकार" से उत्तरांचल की राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(छ) "सेवा" से उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग अभिप्रेत है।

(ज) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ध) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ हाने वाली बाहर मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो, संवर्ग

4— सेवा की सदस्य संख्या –

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की वर्तमान सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम(1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न किये जाये, निम्नवत् होगी।

	पदनाम	**संख्या**
1—	सहायक अभियन्ता	31
2—	अधिशासी अभियन्ता	08
3—	अधीक्षण अभियन्ता	03
4—	मुख्य अभियन्ता	01

परन्तु,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल, समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन, भर्ती

5— भर्ती का श्रोत– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात :–

(1) सहायक अभियन्ता –

(क) 40.67 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से कृषि, सिविल और यांत्रिक अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखने वालों का उस रीति से कि सीधी भर्ती में उनका अनुपात क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत हो,

(ख)(एक) 50 प्रतिशत पद पर पदोन्नति द्वारा, जिसमें मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,

(दो) 9.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं में से जो सिविल या यांत्रिक या कृषि अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखते हों या इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया), (यान्त्रिक या सिविल ब्रॉच) के एसोसिएट मेम्बर हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अब कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति द्वारा भर्ती को इस प्रकार विनियमित कर सकता है कि पदोन्नति के लिए विहित प्रतिशत बना रहे।

(2) अधिशासी अभियन्ता –

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सहायक अभियन्ता के रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

(3) अधीक्षण अभियन्ता –

मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पन्द्रह वर्ष की कुल सेवा (जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रूप में कुल छः वर्ष की सेवा सम्मिलित हो) पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा,

(4) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई (स्तर–2)–

मौलिक रूप से नियुक्त लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 25 वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा सम्मिलित हो) पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

6– आरक्षण –

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

भाग–चार––अर्हतायें

7– राष्ट्रीयता–

सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगान्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया जो :

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक (अभिसूचना) उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक वर्ष के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा, जबकि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी –

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उनके पक्ष में जारी कर दिया जायेगा।

8–आयु–

सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

9–शैक्षिक अर्हता –

सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :–

पद	अर्हता
सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सिविल या यांत्रिक अभियन्त्रण या कृषि अभियन्त्रण में स्नातक उपाधियां या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए या उसने इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) से सिविल या यांत्रिक अभियन्त्रण में सैक्सन "ए" और "बी" में एसोशियेट मेम्बर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

10– अधिमानी अर्हतायें –

ऐसे अभ्यर्थी को जिसने (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्टीय कैडिट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा।

11– चरित्र–

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

13–शारीरिक स्वस्थता–

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–3 अध्याय–3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच, भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली, रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

15–सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठयक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

16– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

सहायक अभियन्ता (सिविल) या सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 2003 के अनुसार की जायेगी।

17—सहायक अभियन्ता के पद के लिए संयुक्त चयन सूची—

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि नियम 5 के अधीन विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

18—चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया—

(1)(क) अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखि होंगे :—

(एक)	प्रमुख सचिव / सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(दो)	प्र0स0 / सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन,	सदस्य
(तीन)	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल	सदस्य
(चार)	विभागीय प्र0स0 / सचिव द्वारा नामित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य

(ख) मुख्य अभियन्ता स्तर—2 के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक)	प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(दो)	प्रमुख सचिव / सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन,	सदस्य
(तीन)	प्र0स0 / सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन,	सदस्य
(चार)	विभागीय प्र0स0 / सचिव द्वारा नामित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां "उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003" के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची भर्ती के समय प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग—छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19—नियुक्ति—

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 और 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों स्रोतों द्वारा की जानी है, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों से

चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं तो एक संयुत आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में हैं, जिससे उन्हें पदोननति किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नियम 17 निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

20– परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यह परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यह उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवाओं को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21–स्थायीकरण–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय, कि यह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है,

(घ) और सहायक अभियन्ता के मामले में परिवीक्षाधीन व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह एक समिति द्वारा जिसकी अध्यक्षता, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी, आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करें। इस समिति में मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट उक्त विभाग के दो अधिशासी अभियन्ता सदस्य के रूप में होंगे। विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया हो।

(2) जहाँ उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन घोषणा करते हुए कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझाा जायेगा।

22—ज्येष्ठता—

(1) एतद्पश्चात की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तरांचल सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इस आदेश के जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है, तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है, तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहें।

परन्तु उपबन्ध यह है कि :

(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती हे, वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी, यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है।

भाग सात— वेतन इत्यादि

23—वेतनमान—

(1) सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान व पदों की संख्या निम्नानुसार होंगे :—

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
समूह "ख" के पद			
1	सहायक अभियन्ता	8000—275—13500	31

समूह "क" के पद			
2	अधिशासी अभियन्ता	10000—325—15200	08
3	अधीक्षण अभियन्ता	12000—375—16500	03
4	मुख्य अभियन्ता (स्तर—2)	16400—450—20000	01

24— परिवीक्षा अवधि में वेतन—

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने प्रशिक्षण की अवधि को सम्मिलित करते हुए एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो—

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा—

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

25—पक्ष समर्थन—

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26—अन्य विषयों का विनियमन—

ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27—सेवा की शर्तों में शिथिलता—

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के

अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त करने या शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

28—व्यावृत्ति—

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

पी0के0 महान्ति
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no 643/II-2006-019(19)/2006 dated September 22, 2006 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
MINOR IRRIGATION DEPARTMENT
NO. 643/II-2006- 01(19)/2006
Date Dehradun, September,2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution of India " and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Service of –Engineers, Minor Irrigation.

The Uttaranchal Service of Engineers Minor Irrigation Department, Rules, 2006

Part- 1- General

1. Short title and commencement :-

(1) These rules may be called The Uttaranchal Service-of –Engineers, Minor Irrigation Department Rules, 2006"

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service:

The Uttaranchal-Service of Engineers Minor Irrigation Department is a State Service, comprising group "A" and "B" posts.

3. Definition

In these rules, unless there is any thing repugnant, in the subject or context;

(a) "Appointing Authority" means Governor";

(b) "Commission" mean The uttaranchal Public Service Commission;

(c) " Commission" means constitution of India;

(d) "Government" means the State Government of Uttaranchal;

(e) "Governor" means the Governor of the Uttaranchal;

(f) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the respective cadre of the service;

(g) "Service" means the Uttaranchal Service of Engineers, Minor Irrigation Department;

(h) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post, in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules; and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed, for the time being, by executive- instructions, issued by the Government;

(i) "Year of recruitment" means a period of 12 months commencing from the 1st day of July of a calendar year.

Part II – CADRE

4- Cadre of the Service: -

(1) The Strength of the service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Strength of the service and each category of posts therein shall, unless orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:-

Name of post	No. of post
1- Assistant Engineer	31
2- Executive Engineer	08
3- Superintending Engineer	03

4- Chief Engineer 01

Provided that:

(a) The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(b) The Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

PART III- RECRUITMENT

5- Source of Recruitment-

Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources, namely :-

(1) Assistant Engineer :-

(a) 40.67% of posts through commission, in the Agriculture, Civil and Mechanical cadre, who possess an Bachelor's Degree or an equivalent Degree, from a recognised-institution, having a proportion of direct recruitment of 50%, 30% and 20% respectively.

(b)(i) 50% posts shall be filled in by promotion amongest substantively appointed Junior Engineer, who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment.

(ii) 9.33% posts Shall be filled in by promotion from amongst such substantively appointed Junior Engineers, who possess Bachelor's Degree in Civil or Mechanical, or Agriculture or an equivalent Degree from a recognized institution or is an Associate Member of Institution of Engineers (India) (Civile or mechanical Engimeering Branch) and who have completed three years service, as such, on the first day of year of recruitment.

Provided that the appointment authority may regulate the recruitment by promotion in any year of recruitment in such manner that the prescribed percentage for promotion is maintained.

(2) Executive Enginee:-

By promotion from amongst the substantively appointed Assistant Engineers who have completed seven years service on the first day of the year of recruitment.

Provided that, if eligible candidates are not available for promotion, the field of eligibility may be extend to include such in any year of recruitment then the posts will be filled by from amongst substantively appointed Assistant Engineers (Minor irrigation) who have completed five years service as such, on the first day of the year of recruitment.

(3) Superintending Engineer:-

By promotion from amongst the substantively appointed Executive Engineers, who have completed fifteen years service (including at least six years service as Executive Engineer), on the first day of the year of recruitment.

(3) Chief Engineer (Level-2):-

By promotion from amongst the substantively appointed Superintending Engineers, Minor Irrigation who have completed 25 years service (including atleast 3 years service as Superintending Engineer), on the first day of the year of recruitment.

6- Reservation-

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other Categories Shall be made in accordance with the orders of Government in force at the time of the recruitment.

Part IV- Qualifications

7- Nationality:-

A candidate, for direct recruitment to a part in the service must be:-

(a) A citizen of India or

(b) A Tibetan refugee, who came over to India, before 1st January 1962, with the intention of permanently settling in India or

(c) A person of Indian origin, who has migrated form Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East- African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar), with the intention of permanently setting in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided also that if a candidate belongs to category 'b' or 'c', it will be expected that he obtains an eligibility certificate from Deputy Inspector General (Intelligence) of Police Department of Government.

Provided also that, if a candidate belongs to category 'c' above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year, and the retention of such a candidate, in service, after a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note: – A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview, he may also be provisionally appointed, subject to the necessary certificate, being obtained by him or issued in his favour.

8. Age

A candidate for direct-recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more then 35 years, on the first day of July of the calendar year, in which vacancies, for direct recruitment are advertised by the commission.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time shall be more by such number of years as may be specified.

9. Academic qualification:-

A candidate for direct recruitment to the posts in the service must posses the following qualification"-

Post	Qualification
Assistant Engineer, Minor Irrigation	A candidate for direct recruitment must possess a degree in Civil or Mechanical Engineering or Agricultural Engineering or an equivalent degree form an institution or an university recognised by the Governemtn or be a qualified Associate member in section "A" and "B", of the Institution-of-Engineers (India), Civil Engineering branch or Mechanical Engineering branch as the case may be.

10. Preferential qualification:-

A candidate who has served in the territorial army, for a minimum period of Two years of obtained a "B" certificate on National Cadet Corps things being equal will be given preference in direct recruitment.

11. Character:-

The character of a candidate for direct recruitment must be such as to render him suitable in all respect for employment in government service. Appointing Authority will ensure him self in this respect.

Note:- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment, to any post, in the service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital status:-

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having wife shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government may if satisfied that there exist special ground so exempt any person from the operation for the rule.

13. Physical Fitness:-

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required:

(a) In the case of Gazetted post or service to pass an examination by Medical Board:

(b) In the case of other posts in the service to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10 contained in chapter III of the Financial Hand Book Volume II part III.

Provide that a medial certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V-PROCEDURE OF RECRUITMENT

14. Determination of vacancies

The Appointing Authority shall determine and number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Thrives, Backward Classes and other categories, under rule 6 and shall intimate to the commission.

15. Procedure for Direct Recruitment

(1) Appliction for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the commission in the prescribed proforma published in the advertisement issued by the commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the commission.

(3) After the results of the examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(5) The commission shall prepare a list of candidates in order of there proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the writtenl examination and interview and recommended such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtained equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written/practical examination shall be placed higher in the list. The number of names in the lists shall be more (but not more than 25%) than the number of vacancies. The Committee shall forward the list to the appointing authority.

Note:- The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may prescrive by the Commission from time to time.

16- Procedure for Recruitment by Promotion.

Recruitment by promotion to the post of Assistant Engineer (Civil) or. Assistant Engineer (Mechanical) shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with "The Uttaranchal Promotion by selection, in consultation with public service Commission (Procedure) Rules 2003", as amended from time to time.

Provided that if two or more cadres are in identical scales of pay the names of the candidates, in the eligibility list, shall be arranged, according to the date of order ot their substantive appointment.

17. Combined Select List for the post of Assistant Engineer

If any year of recruitment, appointments are made both by direct recruitment and by promotion a combined list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists under rule 5 in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

18. Procedure of Promotion through selection committee:-

(1)(A) Recruitment by promotion to the post of Executive Engineer and Superintending Engineer shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit through a selection committee, comprising:-

(i)	Principal secretary/secretary, Minor Irrigation Department Govt. of Uttaranchal	-	Chairman
(ii)	Principal secretary/Secretary, Personnel Department Govt. of Uttaranchal	-	Member
(iii)	Chief Engineer and Head of Department Minor Irrigation, Uttaranchal	-	Member
(iv)	Nominated by the Departmental Principal Sec./Sec. One representative of Scheduled Caste and Schedule Trebe	-	Member

(B) Recruitment to the post of Chief Engineer-Level-II, shall be made on the basis of merit cum seniority through a Selection Committee Comprising :

(i)	Chief Secretary to the Government of Uttaranchal	-	Chairman
(ii)	Principal Secretary/ Secretary to the Govt of Uttaranchal Minor Irrigation Department.	-	Member
(iii)	Principal Secretary/Secretary to the Govt. of Uttaranchal in Personnel Department	-	Member
(iv)	Nominated by the Departmental Principal Sec./Sec. One representative of Schedlue Caste & Schedule Tribe	-	Member

(2) Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates in accordance wit " the Uttaranchal Promotion by Selection (on posts, outside the preview of the public

Service Commission) Eligibility, list Rules 2003" and place the same before the selection committee along with their character roles & such other record , pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The selection committee shall consider the cases of the candidates, on the basis of the records, as referred to in sub-rule (2) and take the interview of the candidates, if considered neccessary.

(4) The selection committee will prepare a list of selected candidates as per guidelines of government at the time of recruitment and the same will be forwarded to Appointing Authority.

PART-VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

19. Appointment:

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Appointing Authority shall make appointment, by taking the names of candidates, in the order in which they stand, in the lists, prepared under rule 15, 16, 17 and 18, as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made, both, by direct recruitment and by promotions regular appointments shall not be made, unless selection is made, from both the sources; and a combined list is prepared, in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in rule 17.

20. Probation:

(1) A person, substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation, in individual cases specifying the date upto which the extension is granted;

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and on no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority, at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if not holding a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted to substantive post or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow, continuous rendered service, either in an officiating or temporary capacity, in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

21. Confirmation-

(1) A probationer shall be confirmed, in his appointment, at the end of probation or the extended period of probation, Subject to sub-rule(2): if:-

(a) His work and conduct are reported to be satisfactory.

(b) His integrity is certified.

(c) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(d) In the case of Assistant Engineers the probationer is expected to pass the departmental examination, conducted by a committee, under the Chairmanship of Superintending Engineer, Minor Irrigation. Two Executive Engineers as nominated by Chief

Engineer will be the members of this committee. The syllabus of the Departmental examination will be such as prescribed by uttaranchal Government from time to time.

(2) Where in any case confirmation is not necessary, as per provision of the Uttaranchal State Government Servants Confirmation Rules, 2002, the declaration, made under sub rule(3) of rule 5 to the effect the probation period bas been successfully completed, will be treated as the order of confirmation.

22. Seniority:

(1) The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the " The Uttaranchal Government Servants Rules, 2002. If two or more persons are appointed together by such order in which their names are arranged in the appointment order the seniority of persons in any category of post shall be determined from the date of the order.

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date, will be deemed to be the date if order of substantive appointment and, in other cases, it will mean the date of issue of the order:

(2) The seniority interse of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the commission or,as the case may be, by Selection Committee:

Provided that, a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The seniority interse of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from, which they were promoted.

(4) Where appointment are made both by promotion and direct recruitment or from more then one source and the respective quota of the sources is prescribed, the interse seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 17, in such manner that the prescribed percentage is maintained.

Provided that-

(1) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(2) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(3) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

PART-VII- Pay etc.

23. Scales of Pay

(1) The scales of pay admissible to a persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive of officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government, from time to time.

(2) The Scales of pay and posts, at the time of the commencement of these rules, are shown below:-

SI.No.	Name of Post	Pay Scale (Rs.)	No. of Post
Post of Group B			
1	Assistant Engineer	8000-275-13500	31
Posts of Group A			
2	Executive Engineer	10,000-325-15200	8
3	Superntending Engineer	12,000-375-16500	3
4	Chief Engingeer Level-2	16,400-450-20,000	1

24. Pay during probation:

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent gvernment service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service including period of training and has passed the departmental examination; and second increment, after two years satisfactory service, where he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who has already holding a post, under the Government, shall be regulated, by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government Servants generally governing in connection with the affairs to the state.

(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable to government service generally governing in connection with the affairs of the State.

PART VIII -OTHER PROVISIONS

25. Canvassing-

No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt, on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly, for his candidature will disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters:

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders; persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government Servants, serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxation in the conditions of service:

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of person, appointment to the service causes undue- hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that rule, to such

extent and subject to such conditions, as it may consider necessary; for dealing with the case; in a just and equitable manner.

Provided that where a rule has been framed, in consultation with the commission, that commission shall be consulted before the requirement of the rules is dispensed with or relaxed.

28. Savings:

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions, required to be provided, for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the order of the Government issued from time to time, in this regard.

By Order,

(P.K. Mohanti)
Secretary

क्र0सं0—192

पंजीकृत संख्या—यू0ए0—38/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेगेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधरण

देहरादून, शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2003 ई0
आश्विन 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
लघु संचाई (सिंचाई विभाग)
संख्या 249/नौ—1—सिं0 (स्थापना)/2003
देहरादून, 17 अक्टूबर, 2003
अधिसूचना

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पूर्व में निर्गत सभी आज्ञाओं/नियमों को निष्प्रभावी करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय, लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) उत्तरांचल की कनिष्ठ अभियन्ता, सेवा के पदों पर भर्ती, पदोन्नति करने एवं उसमें नियुक्त कर्मियों की सेवा शर्ते निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैंः—

उत्तराचंल लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) कनिष्ठ अभियन्ता (समूह''ग'') सेवा नियमावली, 2003

भाग एक—सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—
   (1) यह नियमावली उत्तरांचल लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग), कनिष्ठ अभियन्ता (समूह ''ग'') सेवा नियमावली, 2003 कहलायेगी।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. सेवा की प्रास्थिति—
   उत्तरांचल, कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) की एक राज्य सेवा होगी जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।
3. परिभाषायें—
   जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—
   (अ) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे ऐसी नियुक्ति करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाय,
   (ब) ''समिति'' का तात्पर्य चयन समिति से है जिसका गठन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो
   (स) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है,
   (द) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,
   (र) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है,
   (ल)''सेवा से सदस्य'' का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता के अपने संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,
   (व) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल कनिष्ठ अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग (सिंचाई विभाग, समूह ''ग'') से है,

(ड) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता सेवा के अपने संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो, तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन द्वारा की गई हो,

(च) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है,

(छ) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) सिंचाई विभाग से है,

(ज)''मुख्य अभियन्ता'' का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता स्तर–2 से है,

(झ)''मण्डल'' का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय/संस्थान से है।

(क)''खण्ड''का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय अथवा समकक्ष संस्थान से है।

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

सेवा की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या वह होगी जो परिशिष्ट (क) में की गई है अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाएगी।

परन्तु

श्री राज्यपाल रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे स्थगित रख सकते हैं जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भाग तीन–भर्ती

5. **भर्ती के स्रोत–**

सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी–

(क) कनिष्ठ अभियन्ता (लघु सिंचाई)/हाईड्रम–

(1) 75 प्रतिशत सेवा में कनिष्ठ अभियंता की सीधी भर्ती परिशिष्ट ''क'' के स्तम्भ में विहित तकनीकी योग्यता धारक जिसमें कृषि/सिविल/यांत्रिक में योग्यता धारक के मध्य 50 : 30 : 20 के अनुपात में यथा स्थित अभ्यर्थियों से की जाएगी।

(2) 25 प्रतिशत पदोन्नति ऐसे बोरिंग टेक्निशियन/हाईड्रम टेक्निशियन जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 10 वर्ष की सेवा इस रूप में पूर्ण कर ली हो तथा विहित अर्हतायें यथा स्थिति रखते हों, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

6. आरक्षण–

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग चार–अर्हताएं

7. राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आये हों, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा या

युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्वती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः

उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह भी कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार मे सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हता–

कनिष्ठ अभियंता के पद पर सीधी भर्ती हेतु परिशिष्ट–क के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हतायें होनी आवश्यक हैं।

9. अधिमानी अर्हताएं–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र किया हो।

10. आयु–

सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञपित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. चरित्र

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित होः

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थता–

कोई भी व्यक्ति सेवा के सदस्य के रूप में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि उसका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसके कारण उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए अभ्यर्थी की सेवा में अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल निमय 10 के अधीन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगीः

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वास्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारण–

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना चयन समिति को देगा।

15 सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जाएगाः–

(i) अधिष्ठान का मुख्य अभियन्ता	अध्यक्ष
(ii) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (विभागाध्यक्ष)	सदस्य
(iii) अधीक्षण अभियन्ता, (कार्मिक)	संयोजक

उक्त में ये यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी जो एक स्तर से निम्न का न हो, सदस्य रहेगा।

(2) रिक्तियों की सूचना चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा समाचार–पत्रों में विज्ञापित की जायेंगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र आमन्त्रित किए जाएगे जो परिशिष्ट के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता रखते हों और जिनके नाम उत्तरांचल स्थित विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हों।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास नियुक्त चयन समिति द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(4) चयन समिति द्वारा एक लिखित परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित विषयों में किया जाएगाः–

(अ) संबंधित अभियंत्रण शाखा विषय	50 अंक
(ब) सामान्य ज्ञान	20 अंक
(स) सामान्य हिन्दी	20 अंक
(द) साक्षात्कार	10 अंक
योग	**100 अंक**

(5) लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जितने इस संबंध में चयन समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को सामक्षात्कार में दिए गए अंक उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको में जोड़ दिए जाएगे।

(6) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता–क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी) चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तरांचल विभागीय समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिए) नियमावली, 2003 के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति के माध्यम से की जाएगी।

(2) चयन समिति चयन किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिनसे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17. संयुक्त चयन सूची–

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाए तो एक संयुक्त सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जाएगी कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती ओर पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी है, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम–17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित किया जाएगा जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाय वह नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती हैं तो नाम नियम–17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जाएगें।

19 परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ायें जायें।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी।

(3) यह परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यह उसका किसी पद पर धरणधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

20. स्थायीकरण–

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि–

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्त्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

21. ज्येष्ठता–

किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठत समय–समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जाय।

भाग सात–वेतन आदि

22. वेतनमान–

सेवा के संवर्ग में किसी पद पर, नियुक्ति किसी व्यक्ति का अनुमन्य वेतमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय,

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने प्रशिक्षण की अवधि को सम्मिलित करते हुए एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

24. पक्ष समर्थन–

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयाय उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

25. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

26. सेवा की शर्तो में शिथिलता–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ यह आयोग के परामर्श से उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जाएगा।

27. व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

{नियम–5 (क) देखिये}

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान	पद की संख्या	तकनीकी अर्हता
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ अभियंता लघु सिंचाई	5000–8000	125	1–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त कृषि/ सिविल/ यांत्रिकी अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा या 2–आखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कृषि/सिविल/यांत्रिक अभियन्त्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण–पत्र

आज्ञा से,
एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई अनुभाग
संख्या–1260/ ।।/2008–01(01)/2003
देहरादून दिनांक 14 अगस्त, 2008
<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

अधिसूचना संख्या–1239/ ।।/2008–01(01)/2003, दिनांक 12–08–2008 उत्तराखण्ड, लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) कनिष्ठ अभियन्ता (समूह ''ग'') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008 की हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तर की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, राजकीय आटोलिथो प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संलग्न नियमावली की पांच सौ मुद्रित प्रतियाँ लघु सिंचाई अनुभाग को उपलब्ध करने का कष्ट करें।

(विनोद कुमार)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई विभाग
संख्या–1239/11/2008/01(01)/2003
देहरादूनः दिनांक 12 अगस्त, 2008
अधिसूचना
प्रकीर्ण

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तरांचल लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग), कनिष्ठ अभियन्ता (समूह''ग'') सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड लघु सिंचाई उत्तरांचल लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग), कनिष्ठ अभियन्ता (समूह''ग'') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) कनिष्ठ अभियन्ता (समूह ''समूह ग'') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008 है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 के खण्ड (ब), (व), (छ) तथा (ज) का प्रतिस्थापन–

2. उत्तरांचल लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग), कनिष्ठ अभियन्ता (समूह ''ग'') सेवा नियमावली, 2003, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 3 के खण्ड (ब), (व), (छ) तथा खण्ड (ज) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गए खण्ड रख दिए जाएगें, अर्थात–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
3–परिभाषाएँ (ब)''समिति'' का तात्पर्य चयन समिति से है जिसका गठन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, (व)''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल कनिष्ठ अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग (सिंचाई विभाग) समूह 'ग' से है। (छ)''मुख्य अभियन्ता'' का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता स्तर–2 से है।	**3–परिभाषाएँ** (ब)''आयोग'' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है, (व)''सेवा'' से उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग की कनिष्ठ अभियंता (समूह ''ग'') सेवा अभिप्रेत है, (छ)''विभागाध्यक्ष'' से ''मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग'' अभिप्रेत है, (ज)''मुख्य अभियंता'' से मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, अभिप्रेत है,

नियम 5 (क) के शीर्षक का प्रतिस्थापन

3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 5 (क) के शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 (वर्तमान शीर्षक)	स्तम्भ–2 (एकद्द्वारा प्रतिस्थापित शीर्षक)
5 (क) कनिष्ठ अभियंता (लघु सिंचाई)/ हाईड्रम	5 (क) कनिष्ठ अभियंता (लघु सिंचाई)

नियम 15 का प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (वर्तमान प्रतिस्थापित नियम)
15–सीधी भर्ती की प्रक्रिया– (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा:– (I) अधिष्ठान का मुख्य अभियन्ता – अध्यक्ष (II) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (विभागध्यक्ष) – सदस्य (III) अधीक्षण अभियन्ता, (कार्मिक) – संयोजक उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति /जनजाति का अधिकारी जो एक स्तर से निम्न का न हो, सदस्य रहेगा।	**सीधी भर्ती की प्रक्रिया –** 15 (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयोग, विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।
(2) रिक्तियों की सूचना चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आंमत्रित किए जाएगे जो परिशिष्ट के स्तंभ–5 में विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता रखतें हो और जिनके नाम उत्तरांचल स्थित विभिन्न सेवा– योजन कार्यालयों में पंजीकृत हो।	(2) रिक्तियों की सूचना आयोग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाएगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे, जो परिशिष्ट के स्तंभ–5 में विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता रखते हों और जिनके नाम उत्तराखण्ड स्थित विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हो।
(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास नियुक्त चयन समिति द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।	(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।
(4) चयन समिति द्वारा एक लिखित परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित विषयों में किया जाएगा:– (अ) संबंधित अभियंत्रण शाखा विषय–50 अंक (ब) सामान्य ज्ञान –20 अंक (स) सामान्य हिन्दी –20 अंक (द) साक्षात्कार –10 अंक **योग 100 अंक**	(4) आयोग द्वारा, शासन से अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा 350 अंक एवं व्यक्तिगत परीक्षा 50 अंक की जी जाएगी।
(5) लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जितने इस संबंध में चयन द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों, अभ्यर्थियों कों साक्षात्कार में दिए गए अंक उनके द्वारा लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों में जोड़ दिए जाएंगे।	(5) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् आयोग, निगम के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा

(6) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक होगी) चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंकों को, लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। (6) आयोग, अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किए हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

निमय 16 का प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा संशोधित नियम)
16–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तरांचल विभागीय समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिए) नियमावली, 2003 के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति के माध्यम से की जायगी। (2) चयन समिति चयन किए गए अभर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हों, जिनसे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी ओर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	**16–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया** कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदोन्नति भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर यथोसंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा, आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया), नियमावली 2003 के अनुसार होगीः परन्तु यह कि, यदि दो या अधिक संवर्गों के वेतनमान समान हों, तो पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रमानुसार रखे जाएगें।

आज्ञा से,
(विनोद फोनिया)
सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
ग्राम्य विकास विभाग
अुनभाग–4
अधिसूचना
20 जून 1983 ई0

सं0 543/38–4–1345–78– संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को सेवा को शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली, 1983

भाग एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा नियमावली, 1983 कही जायगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2–सेवा की प्रास्थिति– उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा एक अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह ''ग'' और ''घ'' के पद समाविष्ट हैं।
3–परिभाषा– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–
(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य यथास्थिति अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई से अपनी अपनी अधिकारिता में पदों के संबंध में हैं:
(ख) 'मुख्य अभियन्ता'' का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश से है
(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,
(घ) ''संविधान का तात्पर्य'' भारत का संविधान'' से है:
(ड) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है:
(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है:
(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों का आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है :
(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा से है:
(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्य पालन अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो:
(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो –संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।
(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी:
(एक) बोरिंग मैकेनिक–1003 पद
(दो) सहायक बोरिंग मैकेनिक–1118 पद।

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेंगी:

(क) बोरिंग मैकेनिक– ऐसे स्थायी सहयाक बोरिंग मैकेनिकों में से पदोन्नति द्वारा–

(एक) जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को सहायक बोरिंग मैकेनिक के रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो:

(दो) जिन्होंने पिछले तीन वर्ष में जिले में विहित न्यूनतम 90 प्रतिशत बोरिंग मीटरेज प्राप्त किया हो।

(ख) सहायक बोरिंग मैकेनिक– सीधी भर्ती द्वार।

6–आरक्षण – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग चार–अर्हतायें

7–राष्ट्रिकता– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका से या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगान्डा और यूनाइटडे रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के प्रब्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्ते पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी –ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो, और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्ते पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायगा उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–शैक्षिक अर्हता–सहायक बोरिंग मैकेनिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(दो) (क) राजकीय प्राविधिक केंद्र, गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूल मैकेनिक पाठ्‌क्रम का प्रमाण–पत्र या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र रखता हो, यो

(ख) निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षिण निदेशालय, उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया दो वर्ष के पाठ्क्रम का डिप्लोमा रखता हो–

1–यांत्रिक (मैकेनिस्ट)।

2–फिटर।

3–मोटर मैकेनिक।

4–मैकेनिक (अन्तर्दहन इंजन)।

5–प्लम्बर।

6–औजार साज (टूल मेकर)

9–अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यार्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की होः या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10–आयु– सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किए जाये, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारीं इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अघमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही होः

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13–शारीरिक स्वस्थता– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शरीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और यह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हों। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फान्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैन्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेः

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग पाँच–भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों का अवधारण– नियुक्ति प्रधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और निमय 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेंगा। सहायक बोरिंग मैकेनिक के पद की जो रिक्तियाँ सीाधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली हों, उसकी सूचना सेवायोजना कार्यालय को तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार दी जायेगी।

15–सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(एक) अधिशासी अभियन्ता के पद से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, जो मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम विर्दिष्ट किया जायगा।

(दो) अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान)।

(तीन) अधिशासी अभियन्ता, जो मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्क्रम और उसकी प्रक्रिया परिशिष्ट में दी गई है।

(3) चयन समिति लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध करने के पश्चात् लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची तैयार करेगी और उसे मुख्य अभियन्ता को अग्रसारित करेगी।

(4) मुख्य अभियन्त नियुक्त करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को अपेक्षित संख्या में नाम भेजेगा।

16– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया –

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उससे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17–नियुक्ति–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाये, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथाअवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से अस्थायी या स्थानापन रूप में भी नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ

कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किए जाने तक इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी।

18—परिवीक्षा—(1) किसी पद पर किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारों ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा—अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा—अवधि या बढ़ायी गयी, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी मौलिक पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

(6) मूख्य अभियन्ता नियम 15 के अधीन नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को ऐसी अवधि के जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर विहित की जाय, प्रशिक्षण के लिए बुलाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर एक लिखित परीक्षा ली जाएगी ओर साक्षात्कार किया जाएगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को सेवा में रहने दिया जाएगा।

19—स्थायीकरण— किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि—

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए और।

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

20—ज्येष्ठता—(1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाये तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हों, अवधारित की जाएगीः

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगाः

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक जारी किए जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो।

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गई।

भाग सात—वेतन इत्यादि

21—वेतन—(1) सेवा में, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त वेतमान निम्नलिखित हैं:—

पद का नाम	वेतनमान
(एक) सहायक बोरिग मैकेनिक	330—7—365—8—381—दा0रो0—8—405—9—450—द0 रो0 —9—495 रू0।
(दो) बोरिंग मैकेनिक	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514द0रो0—12—550 रू0।

22—परिवीक्षा—अवधि में वेतन—(1) फण्डामेंडल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा—अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

23— दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—किसी व्यक्ति को—

(1) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने पिछले पांच वर्ष में कुल बोरिंग लक्ष्य का कम से कम नब्बे प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त न कर लिया हो, उसका कार्य और आचरण अन्यथा संतोषजनक हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(2) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने निरन्तर तत्परता और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसने कुल बोरिंग लंक्ष्य का कम से कम नब्बे प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त न कर लिया हो और जब तक कि सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

24–पक्ष समर्थन– किसी पद या सेवा के संबंध मे लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभयर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

25–अन्य विषयों का विनियमन– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियम, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

26–सेवा की शर्तों में शिथिलता–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सामम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

27–व्यावृत्ति– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यथियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

(नियम 1,5 देखिए)

सहायक बोरिंग मैकेनिक की लिखित परीक्षा का पाठ्क्रम उक्त पद के लिए लिखित परीक्षा 3 विषयों में होगी–

क्र0सं0	विषय	पूर्णाक	समय
1	हिन्दी	100	3 घण्टे
2	गणित	100	3 घण्टे
3	औद्योगिक तकनीक	100	3 घण्टे

परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा :–

1–हिन्दी–हाई स्कूल के समकक्ष, निबंध गद्य का अर्थ, भावार्थ, सारांश, कवि एवं लेखकों का जीवन परिचय, गद्य शैली, एवं काव्यगत्, विशेषता संधि–बिच्छेद एवं संधि तथा उनके प्रकार एवं प्रयोग, दीर्घ, गुण अलंकार, विलोम एवं पर्यायवाची शब्द, मुहावरे तथा उनका प्रयोग।

2–गणित–(हाई स्कूल स्टैण्र्ड की) प्राकृत संख्यायें, पूर्णाक धन तथा, ऋण काम तथा समय के प्रश्न, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण एवं चकवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, सरल सूत्र, गुणनखण्ड, महत्तम एवं लघुत्तम समापवर्तक, भिन्नों का गुण भाग, वर्ग समीकरण, युगपात समीकरण बारम्बारता, बारम्बारता बंटन, ज्योतिमीय परिभाषा, त्रिभुज एवं चतुर्भुजों की रचना, पाइथोगोरस प्रमेय, आयत एवं वर्गों की रचना, बिन्दुपथ, वृत्त, आयतफलम् प्रिज्य, पिरामिड बेलन, शंकु तथा गोले का पृष्टीय क्षेत्रफल एवं आयतन।

3–औद्योगिक तकनीक माप, माप उपकरण, कैलिपर्स, स्कूगेज रेती, बाइस, छेनी, आरी , हथौडा एवं अन्य टूल्स, फोलिंग आपरेशन, अपसेटिंग, जंपिंग, बेण्डिंग होट ट्रीटमेंड एवं फजिंग टूल्स।

नलकूप बोरिंग व नलकूप के विभिन्न भाग, बोरिंग, उपकरण, बोरिंग टाइप आदि लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन की बनावट एवं कार्य प्रणाली, विभिन्न कार्यविधियां जैसे प्लेन और टेयर टनिंग, नलिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, कार्यशाला गणनायें, विद्युत मोटर इण्टरनल कम्पस्टन इंजन का सिद्धांत प्रकार तथा उसके बारे में सामान्य जानकारी।

n pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 548/ 38.4-78,dated june 20,1983:

No 543/38-4-1345-78

June 20,1983

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in perscssion of all existing of all existing rules and orders on the subject, the Governor I pleased to make the following rules regulating recruitment and condition of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Minor Irrigation Department Boring Technioians Service.

The Uttar PARDESH MINOR OR IRRIGATION DEPARTMENT BORING TECHNICIALS SERVICE RULES, 1983

PART 1-General

1. Short tittle and commencement-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Irrigation Department Boring Technician Service Rules, 1983.

(2) They shall como into force at once.

2. Status of the service-Tho uttar Pradesh Minor Irrigation Department Boring Technicians service is a no-Gagestted service comprising groups ‘G’and ‘D’ posts.

3. Definition-In these rules, unless there is anything ropugnont in the subjoot or context:

(a) “Appointing Authority” means Additional District Magistrato officer/Chief Development officer/Chief Development officer, Executive Engineer, Minor Irrigation as the case may be in respect of the posts in their jurisdiction;

(b) “Chief Enginner” means chief Engineer Minor Irrigation Department Uttar Pradesh.

(c) “Citizen of India” means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution;

(d) “Constitution” means the Constution of India ;

(e)“Government”meansthe Government of Uttar Pradesh;

(f) “Government” means the Government of Uttar Pradesh;

(g) “Member of the service” means a person substantively appointed under these rules or the rules or order in forooprior to the commencement of those rules to a post in the cadre of the service;

(h) “Service” means the uttar Pradesh Minor Irrigation Department Boring Technician Service;

(i) “Substantive Appointment” means an appointment not being an adhoe appointment not being an adhot appointment on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules in accordance with the procedure preseribed for the time being by Executive instructions issued bv the Government;

उत्तर–प्रदेश सरकार
ग्राम्य विकास अनुभाग–4
संख्या 1183 एम0आई/38–4–1345/78
लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 1993

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्त को विनियमित करके के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली, 1993

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमवाली, 1993 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2– उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ एक अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएँ

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:–

(क)''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग के सम्बन्धित मण्डल के अधिशासी अभियन्ता से है।

(ख)''मुख्य अभियंता'' का तात्पर्य मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से है,

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(घ)''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है,

(ड)''संविधान'' का तात्पर्य भारत का ''संविधान'' से है,

(च)''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(छ)''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ज)''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग से किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(झ)''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा से है,

(ट)''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो,

(ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) दो अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगीः—

पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	योग
(1) बोरिंग प्रविधिज्ञ	1303	500	1803
(2) सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ	1118	—	1118

परन्तुः

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होना।

(दो) राज्यपाल समय—समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजनकर सकते, जिन्हें वे उचित समझें।

भाग तीन भर्ती

भर्ती का श्रोत

5— सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जाएगीः—

(क) बोरिंग प्राविधिज्ञ मौलिक रूप से नियुक्त सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ख) सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्भियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग चार अर्हत

राष्ट्रियता

7— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी , 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटिड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होनाा चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह ओर कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी के यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिक प्राप्त कर ले।

टिप्पणी

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु वहन तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

8—सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो:

(दो) (क) राजकीय प्राविधिक केन्द्र, गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूल मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण—पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण—पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है, या

(ख) निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया दो वर्ष के पाठ्क्रम का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है:—

(एक) मशीन मिस्त्री (मशीनिष्ट)

(**दो**) फिटर

(तीन) मोटर मैकेनिक

(चार) मैकेनिक (अन्तर्दहन इंजन)

(पाँच) प्लम्बर

(छः) औजार साज (टूल मेकर)

(**सात**) राजकीय प्राविधिक केंद्र, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर के नलकूप मशीन का प्रमाण पत्र पाठ्क्रम।

(आठ) वायरमैन

(नौ) टर्नर

अधिमानी अर्हता

9— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायगा जिसने:—

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10— सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें पहली जुलाई को अटठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधीमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होना जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वास्थ्यता

13– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी का दक्षतापूर्वक पालने करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हेण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिए गए फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण–प्रत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता के चिकित्सा प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14–मुख्य अभियंता भर्ती के वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15–(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सरणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् आयेाग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यक को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेंगा, जो इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थी को जितनी वह नियुक्ति करेगा, एक सूची तैयार की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यार्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को सूची में ऊपर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तयों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16– (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर एक विभागीय चयन समिति के माध्यम से, की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर से पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा:

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नुियक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17— (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) या किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामें का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिन्हें, उन्हें पदोन्नति किया जाय।

परिवीक्षा

18—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसी दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जायः

परन्तु आपराधिक परिस्थितियों में दो वर्ष से अधिक एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रायोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

(6) मुख्य अभिंयता नियम 15 के अधीन अभ्यर्थियों को उतनी अवधि के प्रशिक्षण के लिए बुलायेगा जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय, प्रशिक्षण पूरा होने पर एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिया जायगा। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जायगी।

स्थायीकरण

19—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा मौलिक रूप में नियुक्त और नियम 18 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गये व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पर बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थयी कर दिया जाएगा, यदिः

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जायः

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 उपनियम (3) की गयी घोषणा। यह घोषणा करते हुए कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जाएगा।

श्रेष्ठता

20—किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

वेतनमान

21—(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्न प्रकार हैः

पदों का नाम	वेतनमान
(एक) सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ	920—20—1150—द0तें0—25—1500रू0
(दो) बोरिंग प्रविधिज्ञ	1200—30—1440—द0रो0—30—1800रू0

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22—(1) फन्डामेन्टल रूल में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा मे ंन हो, समयमान मे ंउसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जहाँ विहित हो प्रशिक्षिण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटस रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवक पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायगा।

किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने विगत पांच वर्षों के दौरान सम्पूर्ण वोरिंग लक्ष्य का कम से कम 90 प्रतिशत प्राप्त न कर लिया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25— ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशो के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

26— जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उसे मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तें के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यवृत्ति

27— इस निमयावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगी, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई विभाग
संख्या– / ।।–2009–01(15)/2006
देहरादूनः दिनांक मार्च, 2009
अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल महोदय ' उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा ' में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग, बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा

नियमावली, 2009

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा नियमावली , 2009 कहलाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

सेवा की प्रास्थिति –

2. उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह–''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाशाए–

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से लघु सिंचाई विभाग के सम्बन्धित खण्ड का अधिशासी अभियन्ता अभिप्रेत है,

(ख) 'मुख्य अभियन्ता' से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ग) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है,

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है,

(ड) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है,

(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है,

(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग, बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा अभिप्रेत है,

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो

सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो तथा

(ट) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,

(ठ) ''छंटनीशुदा कर्मचारी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है–

(एक) जिसने राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी रूप में, मौलिक रूप में, कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये निरन्तर सेवा की हो,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अंतर्गत तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं होगा।

भाग–दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग–

4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो इस नियमावली के नियम 24 (2) में दी गयी है।

परन्तु उपबन्ध यह है किय

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत–

5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) **बोरिंग प्रविधिज्ञ**–(1) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ के रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा,

(ख) **सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ**– सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण–

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार– अर्हताएं

राष्ट्रीयता–

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो,

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया होय

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं–

8. सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं

(दो) निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया दो वर्ष के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक हैः–

(1) मशीन मिस्त्री (मशीनिस्ट)। (2) मिस्त्री (फिटर)।

(3) मोटर प्रविधिज्ञ (मैकेनिक) (4) प्रविधिज्ञ (अंतर्दहन इंजन)।

(5) नलसाज (प्लम्बर)। (6) औजार साज (टूलमेकर)।

(7) तार मिस्त्री (वायरमैन)। (8) खरादी (टर्नर)

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् कम से कम एक वर्ष का एप्रेन्टिस किया हो, या

(दो) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु– **10.** सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र–

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति–

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो,

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता–

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण–

14. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया–

15. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1	अधिशासी अभियन्ता के पद से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, जो मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	अध्यक्ष
2	अधिशासी अभियन्ता, सह वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान)	सदस्य
3	मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिशासी अभियन्ता	सदस्य

उपरोक्त में यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई अधिकारी न हो तो उपरोक्त क्रमांक–3 पर ऐसे वर्ग के अधिशासी अभियन्ता अथवा एक स्तर निम्न के एक अधिकारी को मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) सेवा में सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में रिक्तियां विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे, जिनके नाम उत्तराखण्ड में स्थित किसी एक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हों।

(3) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और ऐसे अभ्यर्थियों, जो अपेक्षित अर्हतायें पूर्ण करते हैं, को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित करेगी।

(4) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions with Multiple Choice) की रखी जायेगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, औद्योगिक तकनीक के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जायेगा एवं प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। परीक्षा 02 घंटे की होगी। प्रश्नपत्र हाईस्कूल स्तर तथा सम्बन्धित व्यवसाय के स्तर के पूछे जायेंगे।

(5) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की 'प्रश्न बुकलेट' परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(6) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(7) परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) को उत्तराखण्ड की बैबसाईट www.ua.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(8) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों एवं अन्य मूल्यांकनों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। चयन समिति द्वारा सूची नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

(9) मुख्य अभियन्ता, नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को अपेक्षित संख्या में नाम भेजेगा।

(10) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर रखा जायेगा।

फीस–

16. चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समितिको ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, सही उत्तरों का प्रदर्शन एवक प्रकाशन–

17. जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की बैबसाइट पर, जनपद के जिला कार्यालय और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छंटनी शुदा कर्मचारी के अंकों को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में (Descending Order) उत्तराखण्ड की वैवसाइट www.minorirrigation.uk.gov.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण–

18. अभ्यर्थियों को ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर भाग पांच के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करें तो उसे दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियॉ भी दी जायेगी।

पदोन्नति की प्रक्रिया–

19. (1) सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ से बोरिंग प्रविधिज्ञ के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) मे निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताक्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति—

20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम के अधीन तैयार की गई सूचियों में हों।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये, किया जायेगा।

परिवीक्षा—

21. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक—पृथक मामले में परिवीक्षा की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा—अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा—अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ायी गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं गया किया है या वह अन्यथा संतुष्टि प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण–

22. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा–अवधि की समाप्ति पर उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 के अंतर्गत स्थायी किया जा सकेगा यदि :–

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(घ) उसकी सत्यनिश्ठा अभिप्रमाणित है, तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता–

23. (1) एतद्पश्चात की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त किसी श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनके नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है, तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाए।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध करणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की वैधता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

भाग सात– वेतन आदि

वेतनमान–

24. (1) सेवा में, विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय, चाहे नियुक्ति मौलिक अथवा स्थानापन्न अथवा अस्थायी उपाय के रूप में की गई हो।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान निम्नलिखित हैं :–

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतन बैड (रू0 में)	सादृश्य ग्रेड वेतन
सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ	46	5200.20,200	1900
बोरिंग प्रविधिज्ञ	24	5200.20,200	2400

परिवीक्षा के दौरान वेतन

25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि संतुष्टि प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्य निदेश न दें, ऐसी बढ़ायी गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग आठ– अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन–

26. किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी लिखित अथवा मौखिक संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन–

27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विर्निदिष्ट रूप से इस नियमावलीं या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण–

28. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यता पूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति–

29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-------------dated---------------- for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
MINOR IRRIGATION DEPARTMENT
NO. /II-2009-01(15)/2006
Dehradun Date March, 2009

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Minor Irrigation Department, Boring Technicians Service.

UTTARAKHAND MINOR IRRIGATION DEPARTMENT, BORING TECHNICIANS SERVICE RULES, 2009

PART 1- General

Short title and commencement. 1- (1) These Rules may be called The Uttarakhand Minor Irrigation Department, Boring Technicians Service Rules, 2009.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service. 2- The Uttarakhand, Minor Irrigation Department Boring Technicians service is a Non-Gazetted Service, comprising group "C" posts .

Definitions . 3- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) “Appointing Authority” means Executive Engineer of concerned Division of Minor Irrigation Department.

(b) "Chief Engineer" means Chief Engineer of Minor Irrigation Department, Uttarakhand.

(c) “Citizen of India” means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part 2 of the Constitution;

(d) “Constitution” means the Constitution of India;

(e) “Government” means the State Government of Uttarakhand.

(f) “Governor” means the Governor of Uttarakhand;

(g) “Member of the Service” means a person substantively appointed under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules.

(h) “Service” means the Uttarakhand Minor Irrigation Department, Boring Technicians Service;

(i) “Substantive appointment” means an appointment not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and

(j) “Year of recruitment” means a period of 12 months commencing from the 1st day of July of a calendar year,
(k) "Retrenched Employee " means a person,
(i) Who has worked continuously for a minimum period of one year on a post in permanent, temporary or substantive capacity under the rule making power of the Governor,
(ii) Who has been or may be relieved from the Service on account of reduction or abolition of the Establishment, and
(iii) In whose favour by the Appointing Authority certificate to the effect of being a Retrenched Employee, provided that it will not include any person employed on ad hoc basis.

Part II – CADRE

Cadre of Service: . 4- (1) The Strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Strength of the Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in Rule-24 (2) provided that:-
(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
(b) The Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

PART III- RECRUITMENT

Source of Recruitment. 5- Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources:

(1) Boring Technician-(i) By promotion on the basis of seniority, subject to rejection of unfit from amongst such substantively appointed Assistant Boring Technicians , who have completed minimum 5 years of continuous service as such, on the first day of the year of recruitment.
(2) Assistant Boring Technician:- By Direct Recruitment

Reservation. 6- Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes,Other Backward Classes and other Categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART- IV- QUALIFICATIONS

Nationality. 7- A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be:-
(a) A citizen of India, or
(b) A Tibetan refugee, who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
(c) A person of Indian origin, who has migrated form Pakistan, Myanmar (FormerlyBurma), Sri Lanka (Formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania (formerly

Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand

Provided also that, if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in the Service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note – A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may, also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualifications.8- A candidate for the direct recruitment to the posts of Assistant Boring Technician must have :-

(i) Passed High School Examination from the.Board of Secondary Education, Uttarakhand /Uttar Pradesh or an examination recognized by the government as equivalent thereto, and

(ii) Must have diploma of to years course awarded by the Directorate of Employment and Training, Uttar Pradesh/ Uttarakhand or Industrial Training Institute in any of the following Trades:-

(a) Machinist,
(b) Fitter,
(c) Motor Mechanics,
(d) Mechanic (Internal Combustion Engine)
(e) Plumber,
(f) Tool Maker
(g) Wireman
(h) Turner

Preferential Qualifications.9- A candidate shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment,

(i)who has completed minimum one year Apprenticeship after obtaining Technical Diploma; or

(ii) has served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(iii) Obtained a 'B' Certificate of National Cadet Corps,

Age. 10- A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period from January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period from July 1 to December 31:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other Categories as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

Character. **11-** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government shall not be eligible for appointment to any post in the Service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also not be eligible.

Marital Status. **12-** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service.

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness. **13-** No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of Financial Hand-Book, Volume II, Part III.

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V-PROCEDURE OF RECRUITMENT

Determination of vacancies **14-** The Appointing Authority shall determine and intimate to the Employment Exchange, in accordance with the rules for the time being in force, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories, belonging to the State of Uttarakhand, under Rule 6.

Procedure for Direct Recruitment **15-** (1) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a Selection Committee comprising the following members :-

1	An Officer not below the rank of Executive Engineer to be nominated by the Chief Engineer	Chairman
2	Executive Engineer cum Personal Assistant. (Establishment)	Member
3	An Executive Engineer nominated by Chief Engineer	Member

If in the above committee no Officer belongs to Schedule Caste / Schedule Tribe, an Executive Engineer belonging to such category or an officer of next below rank, shall be nominated at serial.no.3 above by the Chief Engineer.

(2) For direct recruitment in the Service, the Appointing Authority shall advertise the vacancies in two daily Newspapers, having wide circulation, and invite applications from such candidates whose names are registered with any one of the Employment Exchanges in Uttarakhand .

(3) The Selection Committee shall scrutinize these applications and invite such candidates for the written examination who fulfil the required qualifications.

(4) The Selection Committee shall conduct a objective written examination (Objective Type Questions with Multiple Choice) of the candidates. The written examination shall carry 100 Marks in which questions on General Knowledge, General Hindi and Industrial Technology shall be asked. For each correct answer 01 mark will be awarded and 1/4 negative mark will be given for each incorrect answer. The examination shall be of two hours duration. The questions in the question paper will be of High School standard and of concerned occupation..

(5) Candidates will be allowed to carry back the Question paper booklet with them after the written examination.

(6) The Answer Sheet of written examination will be in duplicate including the carbon copy and after the examination, the candidates shall be allowed to carry back the duplicate copy with them.

(7) After the written examination, the Answer key of the written examination shall be displayed on Uttarakhand website WWW.minorirrigation.uk.gov.in or published in daily news paper having wide circulation.

(8) The Selection Committee shall prepare a list of candidates arranged in order of proficiency, as disclosed by the aggregate of marks obtained by every candidate in the written examination and other evaluations. If two or more candidates obtained equal marks in aggregate, the name of candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of vacancies. The Selection Committee shall forward the list tothe Appointing Authority.

(9) Chief Engineer shall send the names in appropriate number to the Appointing Authority for making appointments.

(10) The result of the selection after declaration along with the marks obtained by all the candidates in the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website.

Fee **16-** The candidates for selection shall be required to pay to the

committee a fee as may be determined by The Government time to time.

Display and publication of the marks obtained by the candidates and the correct answers

17- When the selection process is complete and the selection list forwarded to the Appointing Authority the aggregate of marks obtained in the list of selection be the selected candidate, shall be published in the daily news paper having wide publicity and shall be displayed on the Uttrakhand website, District office of the District and on the notice board of the concerned office.

The aggregate of marks (in the written examination, marks of the retrenched employee, category wise) obtained by all the candidates along with the maximum marks shall be displayed on the Uttarakhand website www.minorirrigation.uk.gov.in in the descending order.

Inspection of Records by the candidates **18-** The candidates shall be permitted to inspect the records pertaining to the selection process followed and marks awarded there in by the selection committee under part five on payment of such fee as determined by the Government from time to time. If a candidate, if he so desires, shall also be provided with the photo copies of such records on payment of fee at the rate of Rs. 2/- per page.

Procedure for Recruitment by Promotion. **19-**

(1) Recruitment by promotion to the posts of Boring Technicians shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, through a Selection Committee constituted under Rule-15.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates and place it before the Selection Committee along with the character rolls and such other records pertaining to them as may be considered necessary.

(3) The Selection Committee shall consider the suitability of the candidates on the basis of the documents submitted under sub-rules (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of the selected candidates in order of seniority and submit the same to the Appointing Authority.

PART-VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment. **20-**

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued,

mentioning the names of the selected persons on the basis of seniority as determined in the selection or, in the order as, it stood in the cadre from which they will be promoted, as the case may be.

Probation. **21-** (1) A person on appointment to a post in Service in or against a permanent vacancy, shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation- 22- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation under Uttrakhand Government servants confirmation Rules, 2002 if-

(a) He has passed the prescribed departmental examination, if any;

(b) He has successfully undergone the prescribed training, if any;

(c) His work and conduct are reported to be satisfactory;

(d) His integrity is certified; and

(e) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority. **23-** (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules 2002. If two or more persons are appointed together, their seniority shall be determined by the order in which their names are arranged in their appointment order:

Provided that, if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other cases, it will mean the date of issue of the order:

(2) The inter seniority of persons, appointed directly as a result of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee:

Provided that, a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons shall be final.

PART-VII- PAY ETC.

Scales of Pay **24-** (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time of the commencement of these Rules are as follows:-

Name of Post	No. of Sanctioned Posts	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
Assistant Boring Technician	46	5200-20,200	1900
Boring Technician	24	5200-20,200	2400

Pay during probation. **25-** (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and has undergone training, where prescribed, and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extended period shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person, already in permanent Government Service, shall be regulated by the relevant Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing- **26-** No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature, will disqualify him for appointment.

Regulation

of other matters-	**27-**	In regard to the matters, not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulation and orders, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
Relaxation in the conditions of service-	**28-**	Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service cause undue hardship in a particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.
Savings.	**29-**	Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

(Vinod Fonia)
Secretary

उत्तर प्रदेश सरकार
ग्रम्य विकास विभाग
अनुभाग 7
अधिसूचना
8 दिसम्बर 1992 ई0

स0 5863/38–7–92–1236–79 सविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उस विषय पर समस्त विघमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लघु सिचांई विभाग लिपिक वर्गीय लेखा परीक्षा और लेखा कर्मचारी सेवा मे भर्ती और उसमे नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो की विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है

उत्तर प्रदेश लघु सिचांई विभाग लिपिक वर्गीय, लेखा परीक्षा और लेखा कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992

भाग एक सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लघु सिचांई विभाग लिपिक वर्गीय लेखा परीक्षा और लेखा कर्मचारी सेवा नियमावली 1992 जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवत्त होगी

2– सेवा की प्रास्थिति– उत्तर प्रदेश लघु सिचांई विभाग लिपिक वर्गीय, लेखा परीक्षा और लेखा कर्मचारी सेवा अधीनस्थ सेवा है जिसमे समूह ख और ग के पद समाविष्ट है।

3– परिभाषाएं– जब तक विषय या संदर्भ से कोई एक बात न हो इस नियमावली में––

(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य किसी पद के उसमें परिशिष्ट में इस रूप में उल्लिखित प्राधिकारी है।

(ख) मुख्य अभियन्ता का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता, सिचांई विभाग उत्तर प्रदेश से है।

(ग) आयोग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है।

(घ) सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ड) राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(च) भारत का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(छ) सेवा का सदस्य का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवत्त नियमों या आदेशो के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(**ज**) सेवा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (लिपिकवर्गीय लेखा परीक्षा ओर लेखा) कर्मचारी सेवा से है।

(झ) मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्भ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय निहित प्रकिया के अनुसार की गई हो

(ञ) भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है

भाग दो संवर्ग

4– सेवा का संवर्ग (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदो की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदो की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है ।

परन्तु

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन भर्ती

5–– भर्ती का स्रोत ––सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी :

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई मुख्यालय लिपिकवर्गीय

(1) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी :– मौलिक रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षक (मुख्यालय) और ज्येष्ठ सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में क्रमशः पांच वर्ष और सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा।

(2) कार्यालय अधीक्षक (मुख्यालय) :– मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायक ज्येष्ठ श्रेणी मुख्यालय में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) ज्येष्ठ सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) :– मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायक कनिष्ठ श्रेणी मुख्यालय में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पद द्वारा।

(4) ज्येष्ठ सहायक कनिष्ठ श्रेणी मुख्यालय :– मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक टंकण मुख्यालय में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा।

(5) कनिष्क सहायक एवं टंकण मुख्यालय :– चयन समिति के माध्यम से सभी भर्ती द्वारा।

लेखा

(6) लेखाकार, मुख्यालय :– (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (दो) 50 प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार मुख्यालय में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(7) सहायक लेखाकार, मुख्यालय :– मौलिक रूप से नियुक्त लेखा लिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(8) लेखा लिपिक, मुख्यालय :– कनिष्ठ सहायक एवं टंकण मुख्यालय और कनिष्ठ सहायक एवं खजान्ची मुख्यालय लेखा में से जिन्होने एक विषय के रूप में लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में इंटर मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(9) कनिष्क सहायक एवं खजान्ची मुख्यालय लेखा :– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

लेखा–परीक्षा

(10) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक :– मौलिक रूप से नियुक्त लेखा परीक्षकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(11) लेखा परीक्षक :– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आशुलिपिक

(12) वैयक्तिक सहायक :– मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिक ज्येष्ठ श्रेणी मुख्यालय और आशुलिपिक कनिष्ठ श्रेणी मुख्यालय में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में क्रमशः पांच वर्ष और सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(13) आशुलिपिक ज्येष्ठ श्रेणी, मुख्यालय :– मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिक कनिष्ठ श्रेणी मुख्यालय में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(14) आशुलिपिक कनिष्ठ श्रेणी, मुख्यालय :– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त
(लिपिक वर्गीय)

(15) कार्यालय अधीक्षक, वृत्त :– मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायक ज्येष्ठ श्रेणी वृत्त और ज्येष्ठ सहायक कनिष्ठ श्रेणी वृत्त में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में क्रमशः पांच वर्ष और सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा

(16) ज्येष्ठ सहायक ज्येष्ठ श्रेणी, वृत्त :– मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायक कनिष्ठ श्रेणी वृत्त और कनिष्ठ सहायक एवं टंकण वृत्त में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में क्रमशः पांच वर्ष और दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(17) ज्येष्ठ सहायक, कनिष्ठ श्रेणी :– मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायक एवं टंकण वृत्त में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(18) कनिष्ठ सहायक एवं टंकक, वृत्त :– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(19) आशुलिपिक, वृत्त :– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

लघु सिंचाई, प्रशिक्षण केन्द्र
लिपिक वर्गीय

(20) ज्येष्ठ सहायक, प्रशिक्षण केन्द्र :– मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक, प्रशिक्षण केन्द्र में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(21) कनिष्ठ सहायक :– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(22) आशुलिपिक, प्रशिक्षण केन्द्र :– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(23) सहायक लेखाकार, प्रशिक्षण केन्द्र :– मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षण केन्द्र में से जिन्होने एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में इण्टरमीडियट परीक्षा उर्त्तीण की हो और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद, पदोन्नति द्वारा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते है।

(24) पुस्तकालयाध्यक्ष :– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई मण्डल
लिपिक वर्गीय

(25) ज्येष्ठ सहायक, मण्डलीय :– मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक मण्डलीय में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(26) ज्येष्ठ सहायक, जिला :– मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक मण्डलीय में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(27) लेखा लिपिक, मण्डलीय :– मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक, मण्डलीय में से जिन्होंने वाणिज्य में एक विषय के रूप में लेखाशास्त्र के साथ इण्डरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।

(28) सहायक लेखाकार, मण्डलीय :– मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक, मण्डलीय में से जिन्होंने वाणिज्य में एक विषय के रूप में लेखाशास्त्र के साथ इण्डरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।

(29) आशुलिपिक मण्डलीय :– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(30) कनिष्ठ सहायक, मण्डलीय :– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

परन्तु पन्द्रह प्रतिशत तक कनिष्ठ सहायक एवं टंकण मुख्यालय कनिष्ठ सहायक एवं टंकण मुख्यालय लेखा, कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षण केन्द्र और कनिष्ठ सहायक मण्डलीय के पदो की रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समूह घ के हाई स्कूल उत्तीर्ण कर्मचारियों में से समय समय पर जारी सरकार के आदेशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जा कते है।

6––आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशो अनुसार किया जायेगा।

भाग चार अर्हताएं

7––राष्ट्रियता–– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌गम का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया पूर्ववर्ती तांगानिया और जंजीधार से प्रवजन किया हो :

(घ) परन्तु उपर्युक्त श्रेणी ख या ग के अभ्यर्थी को सम्बन्धित व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो

परन्तु यह और कि श्रेणी ख के अभ्यर्थी से यह की उपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ग का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष

की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिपणी——ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

8——शैक्षिक अर्हता——सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है :–

पद	**अर्हता**
1.लेखाकार मुख्यालय	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विष्वविद्यालय से लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
2.सम्परीक्षक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विष्वविघालय से लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
3.सहायक लेखाकार, प्रशिक्षण केन्द्र	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विष्वविघालय से लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
4.लेखा लिपिक मण्डलीय	
5.सहायक लेखाकार मंडलीय	
अनिवार्य	
6. कनिष्ठ सहायक एवं टंकक, (मुख्यालय)	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को इण्टर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो ।
7. कनिष्ठ सहायक एवं खजांची (मुख्यालय लेखा)	
8. कनिष्ठ सहायक एवं टंकक, (वृत्त)	
9. कनिष्ठ सहायक,	
अधिमानी	
10. कनिष्ठ सहायक	अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।
अनिवार्य	
11. आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी), (मुख्यालय)	1 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 हिन्दी आषुलेखन में अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति और हिन्दी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।
12. आशुलिपिक, (वृत्त)	
13 आशुलिपिक प्रशिक्षण	
14. आशुलिपिक मण्डलीय	
अधिमानी	
	अंग्रेजी आषुलिपि और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान
15. पुस्तकालयाध्यक्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पुस्कालय विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष

	मान्यताप्राप्त कोई उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्याप्राप्त किसी उपाधि के साथ सरकार द्वारा मान्याप्राप्त किसी संस्था से पुस्कालय विज्ञान में डिप्लोमा।

9——अधिमानी अर्हता——सीधी भर्ती के मामले में, अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

(एक) जिसके पास नियम 8 में उल्लिखित किसी पद के सम्बन्ध में अधिमानी अर्हता हो : या

(दो) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो : या

(तीन) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10—— आयु— सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्तियॉ विज्ञापित की जाय, या सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जाय, अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्श से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्च्तर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिविष्टि की जाय।

11——चरित्र— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह उपयुक्त हो सके नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी नियम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगे नैतिक अद्यामता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

12——वैवाहिक प्रास्थिति— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छुट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विघमान है।

13 शारीरिक स्वस्थता— किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगाा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे उपने कर्तव्यो का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अतिंम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेषियल हैण्ड बुक खंड दो, भाग 3 के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पॉच भर्ती की प्रकिया

14——रिक्तियों का अवधारण— नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियॉ, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यथियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की

सूचना उनको दी जायेगी चयन समिति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी नियुक्ति प्राधिकारी, उन व्यक्तियों से सीधें भी आवेदन पत्र आमन्त्रित कर सकता है, जिन्होने अपने नाम सेवायोजन कार्यालय में, पंजीकृत कराये हों इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना चिपकवाने के साथ साथ किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञापन भी जारी करेगा ऐसे सभी आवेदन पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेगे।

15——आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया—— (एक) प्रतियोगिता परीक्षा में सर्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेगे।

(दो) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगी जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा किया गया प्रवेष पत्र न हो।

(तीन) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारिणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहॅूच सके हों।

(चार) आयोग अभ्यर्थियो को उनकी प्रवीणताक्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझें, प्रस्तुत करेगा यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर बराबर अंक प्राप्त करे तो आयोग उनकी सामान्य उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगा सूची मे नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16——चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया 1 सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित समाविश्ट होगे ।

(क) नियुक्ति प्राधिकारी

(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति अनूसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमे से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछडी जाति का होगा यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके संगठन में उपलब्ध न हो तो, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर ऐसे अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगे और उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण उनके ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी मंडलीय आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारिणीबद्ध कर लिये जाने के पष्चात चयन समिति नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियें और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्भव प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उन अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जो इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहॅूच सके हों।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियो को उनकी प्रवीणताक्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में

अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझें, प्रस्तुत करेगा यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर बराबर अंक प्राप्त करे तो अभ्यर्थियो के नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर रखें जायेंगे सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत के अनधिक होगी चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया(1)पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमे निम्नलिखित होगे :–

1–– नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष

2–– नियुक्ति प्राधिकारी सदस्य

नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी

2–– नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियो की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित अन्य ऐसे अभिलेखो के साथ, जो उचित समझें जायें, उसे चयन समिति के समक्ष रखेंगा :

परन्तु जहां दो भिन्न भिन्न पोशक संवर्ग हो वहां :

(क) भिन्न भिन्न वेतनमानों की स्थिति में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियो को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा

(ख) समान वेतनमान की स्थिति में अभ्यर्थियों नाम उनके अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची मे रखें जायेगें।

(3) चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलो पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक सतझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में, जैसी कि वह संवर्ग में भी जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी औरउसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

18–– संयुक्त चयन सूची– यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से लिये जायेगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा

भाग छ नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19––नियुक्ति–– (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15 16 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनो स्रोतो से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिससे व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा जैसी कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उसे संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 18 में निदिश्ठ क्रम के अनुसार रखे जायेगें।

20——परिवीक्षा (1) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगे अलग अलग मामलों में परवीक्षा अवधि बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थितियों दो वर्ष से अधिक नही बढाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी की यह प्रतीत हो कि परवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरो का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोश प्रदान करने में अन्यथा विफल रही है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावतित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परवीक्षाधीन व्यक्ति जिस उपनियम 3 के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसको सेवायें
समाप्त की जाय किसी प्रातिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी
पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की समगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21——स्थायीकरण (1) उपनियम 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि——

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण नियमावली, 1191 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम 3 के अधीन यह घोशणा करते हुए आदेश, कि संबधित व्यक्ति ने परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगाा।

22——ज्येष्ठता— किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात वेतन इत्यादि

23—— वेतनमान (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिषिश्ट में दिये गये है।

24—— परिवीक्षा अवधि में वेतन (1) फन्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकुल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पष्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फन्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवको पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25—— दक्षता रोक पार करने का मापदण्ड़– किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं की जयेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोष जनक न पाया जाय और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ अन्य उपबन्ध

26——पक्ष समर्थन किसी पद पर लागू नियमों के एवं अधीन अपेक्षित सिफारिषों से विभिन्न किन्ही सिफारिषों पर चाहे लिखित हो या मौलिक, विचार नहीं किया जायेगा किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थियो के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिऐ अनर्ह कर देगा।

27——अन्य विषयों का विनियमन ऐसे विषयों के सम्बन्धों में जो विनिर्दिष्ट रूप से नियमावली या विशेष आदेशो के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशो द्वारा नियंत्रित होगे।

28——सेवा की शर्तो में शिथिलता जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विषिश्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के हेाते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक ओर ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्य पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्ष से बनाया गया हो यहां उस नियम की अपेक्षाओ को शिथिल या अभियुक्त करने से पूर्व उस निकाय से परामर्ष किया जायेगा।

29—— व्यावृत्ति इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभावि ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतो पर नही पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार नुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

नियम 3 (क) 4 0(2) और 22 (2) देखिये

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
		अस्थायी	स्थायी	योग		
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई (मुख्यालय) लिपिक वर्गीय						
1	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	2000—60—2300—द0रो—75—3200 रूपये	मुख्य अभियन्ता
2	कार्यालय अधीक्षक मुख्यालय	0	1	1	1400—40—1600—50—2300द0रो0 —60—2600 रूपये	तदैव
3	ज्येष्ठ सहायक मुख्यालय	0	10	10	1400—40—1800—द0रो0—50—2300 रूपये	तदैव
4	ज्येष्ट सहायक, क0 श्रेणी, मुख्या0	5	1	6	1200—30—1560—द0रो0—40—2040 रूपये	तदैव
5	कनिष्ठ सहायक एवंटंकक, मुख्या0	0	19	19	950—20—1150—द0रो0—25—1500 रूपये	तदैव
लेखा						
6	लेखाकार, मुख्या0	0	6	6	1400—40—1600—50—2300 द0रो0—60—2600 रूपये	तदैव
7	सहायक लेखाकार, मुख्या0	0	3	3	1400—40—1800—द0रो0—50—2300 रूपये	तदैव
8	लेखा लिपिक, मु0	4	0	4	1200—30—1560—द0रो0 40—2040 रूपये	तदैव
9	कनिष्ठ सहायक एवं खजांची मु0	4	1	5	950—20—1150—द0रो0—25—1500 रूपये	तदैव
लेखा परीक्षा						
10	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	2	0	2	1400—40—1600—50—2300 द0रो0—60—2600 रूपये	तदैव
11	लेखा परीक्षक	4	0	4	1400—40—1600—50—2300 द0रो0—60—2600 रूपये	तदैव
आशुलिपिक						
12	वैयक्तिक सहायक मुख्यालय	0	1	1	1640—60—2600—द0रो0 75—2900 रूपये	तदैव
13	आशुलिपिक ज्येष्ठ श्रेणी मु0	0	1	1	1400—40—1600—50—2300 द0रो0—60—2600 रूपये	तदैव
14	आशुलिपिक कनिष्ठ श्रेणी मुख्यालय	1	3	4	1200—30—1560—द0रो0 40—2040 रूपये	तदैव
अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त लिपिक वर्गीय						
15	कार्यालय अधीक्षक	2	4	6	1400—40—1600—50—2300 द0रो0—60—2600 रूपये	संबंधित वृत्त केअधी0 अभि0
16	ज्येष्ठ सहायक, ज्येष्ठ श्रेणी	2	4	6	1350—30—1440—40—1300—द0रो0—50—2200 रूपये	तदैव

17	ज्येष्ठ सहायक, कनिष्ठ श्रेणी	1	0	1	1200—30—1560—द0रो0 40—2040 रूपये	तदैव
18	आशुलिपिक	4	5	9	1200—30—1560—द0रो0 40—2040 रूपये	तदैव
19	कनिष्ठ सहायक	9	4	13	950—20—1150—द0रो0—25—1500 रूपये	तदैव
लघु सिंचाई प्रशिक्षण केन्द्र लिपिक वर्गीय						
20	ज्येष्ठ सहायक	0	1	1	1200—30—1560—द0रो0 40—2040 रूपये	निदेशक, प्रशिक्षण, लघु सिंचाइ
21	कनिष्ठ सहायक	0	2	2	950—20—1150—द0रो0—25—1500 रूपये	तदैव
22	आशुलिपिक	0	1	1	1200—30—1560—द0रो0—40—2040 रूपये	तदैव
23	सहायक लेखाकार	0	1	1	1200—30—1560—द0रो0 40—2040 रूपये	तदैव
24	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1	1400—40—1600—50—2300 द0रो0—60—2600 रूपये	तदैव
अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई मण्डल लिपिक वर्गीय						
25	ज्येष्ठ सहायक	15	28	33	1200—30—1560—द0रो0 40—2040 रूपये	सम्बन्धित मण्डल के अधि0 अभि0
26	ज्येष्ठ सहायक जिला	13	117	130	1200—30—1560—द0रो0 40—2040 रूपये	तदैव
27	लेखा लिपिक	24	16	40	तदैव	तदैव
28	सहायक लेखाकार	0	2	2	तदैव	तदैव
29	आशुलिपिक	15	18	33	तदैव	तदैव
30	कनिष्ठ सहायक	27	194	221	950—20—1150—द0रो0—25—1500 रूपये	तदैव

आज्ञा से
के0 आर0 भाटी,
सचिव

टिप्पणी राजपत्र दिनांक 4.12.93 भाग 1 क में2 प्रकाशित
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित
पी0एस0यूपी0 14 सा0 ग्रम्य विकास 23.3.90.2000 मोनो

उत्राखण्ड शासन
लघु सिंचाई विभाग

संख्याः 1355/11/2007–01(402)/2006
देहरादूनः दिनांक 14 नवम्बर, 2007

अधिसूचना
प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग (लिपिक वर्गीय, लेखापरीक्षा और लेखा) कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992 को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (लिपिक वर्गीय, लेखा परीक्षा और लेखा) कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992) (संशोधन) नियमावली, 2007

भाग–1
सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (लिपिक वर्गीय, लेखा परीक्षा और लेखा) कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992) (संशोधन) नियमावली, 2007 है

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी

नियम 16 का प्रतिस्थापन–

2. उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (लिपिक वर्गीय, लेखा परीक्षा और लेखा) कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 16 के स्थान पर स्ताम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेग, अर्थात–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
नियम 16– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया– (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगे– (क) नियुक्ति प्राधिकारी (ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित	**नियम 16– सीधी भर्ती की प्रकिया** **कनिष्ट सहायक** (1) (क) कनिष्ठ सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए मुख्य अभियन्ता द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होगें:– (एक) अधीक्षण अभियन्ता – अध्यक्ष (दो) अधिशासी अभियन्ता – सदस्य (तीन) समिति के अध्यक्ष द्वारा

जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अध्धिकारी यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी (ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछडी जाति का होगा यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके संगठन में उपलब्ध न हो तो, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर ऐसे अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण उनके ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी मंडलीय आयुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट किय जायेगे	नामित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक अधिकारी – सदस्य (ख) (एक) सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञाप्ति की जायेगी और ऐसे अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेगे, जिनके नाम उत्तराखण्ड में स्थित किसी एक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो (दो) सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ट प्रश्नों (Objective Type Questions with Multiple choice) की रखी जायेगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का 100 अंको का एक प्रश्न पत्र होगा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतू 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा
(2) चयन समिति आवेदन –पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी	(तीन) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी
(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारिणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखतें हुए, उन अभ्यर्थियों कीएक सूची तैयार करेगी, जो इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहॅुच सके हों	(चार) लिखित परीक्षा की उत्तर षीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी (पांच) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) को उत्तराखण्ड की वैबसाहट पर प्रदर्शित जायेगी
(4) चयन समिति अभ्यथियों की उनकी प्रवीणता कम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत	(छः) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीकरण करने के पश्चात् चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर देवनागरी हिन्दी टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होनें लिखित

करेगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो अभ्यर्थियों के नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर रखें जायेगे सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक ; किन्तु पच्चीस प्रतिशत के अनधिकद्ध होगी चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी	परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होनें लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो एवं 01 पद हेतू 10 अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतू बुलाये जायेगे टंकण परीक्षा के कुल 50 अंक आवंटित होगे कम्प्यूटर पर टंकण हेतू 4000 Key Depressions प्रति घंटे की गति अनिवार्य होगी । (सात) छंटनी शुदा कर्मचारियों को सेवा में एक वर्ष के लिए 05 अंक और अधिकतम 15 अंक दिये जायेगे । (आठ) चयन समिति, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा/टंकण परीक्षा एवं अन्य मूल्यांकनो के आधार पर प्राप्त कुल अंको द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगी और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगी, जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझती है । यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंक बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को योग्यता सूची में उपर रखा जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में आयु के अभ्यर्थी को योग्यता सूची में उपर रखा जायेगा । सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक ; किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहींद्ध होगी । चयन समिति द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी (नौ) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा/टंकण परीक्षा एवं अन्य मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त अंको को उत्तराखण्ड की वेबासाईट पर रखा जायेगा **<u>आशुलिपिक ग्रेड–2</u>** 2. (क) आशुलिपिक ग्रेड–2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिससे निम्नलिखित सदस्य होगें– (एक) अधीक्षण अभियन्ता – अध्यक्ष

	(दो) अधिशासी अभियन्ता – सदस्य (तीन) समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक अधिकारी – सदस्य (ख) (एक) सीधी भर्ती हेतू रिक्तियों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कम से कम दो व्यापक प्रचार–प्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे जिनके नाम उत्तराखण्ड में स्थित जिले के किसी एक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हों । (दो) चयन समिति द्वारा एक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (Objective Type Questions with Multiple choice) की परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का 100 अंको की होगी । (तीन) छंटनी शुदा कर्मचारियों को सेवा के एक वर्ष के लिए 05 अंक किन्तु अधिकतम 15 अंक दिये जायेगे । (चार) प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येंक सही उत्तर परीक्षा एवं हिन्दी आषुलिपि के प्रतिलेखन/ कम्प्यूटर पर टंकण एवं अन्य मूल्यांकनो से प्राप्त कुल अंको द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम मे चयन सूची बनायेगी। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंक बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को योग्यता सूची में उपर रखा जायेगा। यदि ऐसे दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में भी बराबर अंक प्राप्त किये हों तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को योग्यता सूची में उपर रखा जायेगा सूची में नामो की संख्या, रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। चयन समिति द्वारा चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी

	(दस) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छटनी शुदा कर्मचारी के अंक तथा आषुलिपि / टंकण परीक्षा के अंको कों वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही कम में (Descending Order) उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे ।

आज्ञा से

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई अनुभाग
अधिसूचना
विविध
08 मई, 2013 ई0

संख्या 447/2013–01(18/2006–"भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग लिपिक वर्गीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग लिपिक वर्गीय (समूह–"ग") सेवा नियमावली, 2013

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ, 1. (१) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग लिपिक वर्गीय (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग एक लिपिक वर्गीय सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें. 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड़ अभिप्रेत है,
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के ' भाग––द्यद्य के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,
(ग) "मुख्य अभियन्ता" से लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड का मुख्य अभियन्ता अभिप्रेत है,
(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है, (ड) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,
(च) "राज्यपाल से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,
(छ)"सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,
(ज) सेवा" से उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग लिपिक वर्गीय (समूह–"ग") सेवा अभिप्रेत है।

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा:तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ट) "भर्ती का वर्ष से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2 संदर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) लिपिक वर्गीय सेवा राज्यस्तरीय सेवा होगी, सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय !
(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपधारा (१) के अधीन पारित आदेशों के द्वारा परिवर्तित न की जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट में दी गई है।
परन्तु
(क)नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित रख सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी एवं अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें ।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :

(1) कनिष्ठ सहायक के पदों पर

(क) सीधी भर्ती– 75 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा)

(ख) (एक) 15 प्रतिशत पदों पर भर्ती लघु सिंचाई विभाग के समूह––"ध" के हाईस्कूल अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कार्मिकों से जिन्होंने समूह 'ध' के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,

(दो) 10 प्रतिशत पदों पर भर्ती लघु सिंचाई विभाग के समूह–"घ" के इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा 10+2 परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यतः प्राप्त समकक्ष परीक्षा उर्तीण ऐसे कार्मिकों से जिन्होने समूह ''घ' के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,

कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा, सीधी भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2008 के प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(2) सेवा के अन्य पदों में भर्ती एवं पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली 2011 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार की जायेगी ।

आरक्षण **6.** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4 अर्हतायें

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आदश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या ।

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, यो ।

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, लंका तथा कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्ववर्ती देशों से प्रव्रजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसा अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा। **टिप्पणी–** जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और ना ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं **8.** (1) कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडियट,परीक्षा प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हो, तथा ।

(2) अभ्यर्थी की कम्प्यूटर संचालन में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है एवं कम्प्यूटर हिन्दी टंकण (देवनागरी लिपि) में दक्ष होना आवश्यक है।

अधिमानी

अर्हताएं **9.** ऐसे अभ्यर्थी को अन्य बाते समान होते हुए, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान प्राप्त किया हो,

(दो) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या (तीन) नैशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु **10.** सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 21 जनवरी को 18 वर्ष और उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी और यदि पद 01 जुलाई से 31 : दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष और और उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसे श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र **11.** सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं का समाधान कर लेगा। टिप्पणी संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसी अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यार्थिनी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो;

परन्तु यदि सरकार को समाधन हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेंगी।

शारीरिक स्वस्थता **13.** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी। अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट भूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–5 भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण **14.** नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड़ की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया **15.** (1) उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमादली, 2008 के अनुरूप की जायेगी।

अनिवार्य अर्हता **15.**(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के

पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

भर्ती के लिए वांछनीय अर्हता **15.**(3)(1) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा ओयाग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित चयन संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए चयन हेतु नामित किया। जाय, द्वारा लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रश्नों को भी । प्रश्नपत्रों में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित चयन संस्था द्वारा जिन पदों के लिए चयन प्रक्रियाओं में संगत सेवा नियमावली के अनुसार साक्षात्कार की व्यवस्था निहित हो, उनमें उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रश्न भी पूछे जाने की व्यवस्था की जायेगी।

पाठ्यकमों में संशोधन **15.**(4)(1) लोक सेवा अयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित चयन संस्थाएँ यन हेतु निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा पाठ्यक्रमों में इस नियामवली में दिये गये उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

(2) लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित चयन संस्था उक्त अनिवार्य / वांछनीय अर्हताओं को जारी की जाने वाली सार्वजनिक विज्ञप्ति में भी समाविष्ट करेंगे तथा इस निमित्त आवेदन पत्रों के प्रारूप में भी यथाआवश्यक संशोधित करेंगे।

पदोन्नति के लिए भर्ती प्रक्रिया **16.** (1) इस सेवा के पदोन्नति के पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के नियम 3(1)(2)(3)(4)(5)6)7) के तहत विभागाध्यक्ष द्वारा चयन समिति का निम्नानुसार गठन करते हुए किया जायेगाइ :—

(क) मुख्य अभियन्ता	अध्यक्ष
(ख) वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(ग) अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
(घ) समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी	सदस्य

संयुक्त चयन सूची **17.** यदि किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति **18.** (1) उपनियम (2) के अध्याधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17, यथास्थिति, के अधीन बनायी गई सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्य द्वारा की जानी हैं, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया गया हो और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न कर ली गयी हो।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें

चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस काम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो चयनित व्यक्तियों के नाम नियम 17 में निर्दिष्ट वकीय कृम में कमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा **19.** (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्याक्त दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ायी गई है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ायी गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है। तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो, या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल। किसी पद पर अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी द्य रूप में प्रदान की गई हो ।

स्थायीकरण **20.** परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि
(क) उसका कार्य के आचरण संतोषजनक बताया गया हो,
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है तथा ।
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त हैं।

ज्येष्ठता **21.** (1) किसी कार्मिक की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तरांचल सरकारी सेवा (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उनके नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया " जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं, तो ज्येष्ठता वह होगी, जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव्र प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की वैद्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा एक से अधिक स्रोतों द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा दिहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चकीय कृम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की। जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

परन्तु :–

(एक) जहां, किसी स्रोत से नियुक्ति विहित कोटे से अधिक की जाती है। वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या । वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियां अनुवर्तीय वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची (इस नियम के । अधीन तैयार की जाने वाली सूची) में उनका नाम चकीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(तीन) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति इसके कोटे की रिक्ति के विरुद्ध की गयी है।

भाग–7 वेतन इत्यादि

वेतनमान **22.** (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के दौरान वेतन **23.** (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्य निर्देश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से । ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो तब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–8 अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन **24.** किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति पर, चाहे लिखित हो अथवा मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

उन्य विषयों का विनियमन **25.** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण **26.** यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्य कार्यवाही करने के लिए उचित समझे ।

व्यावृत्ति **27.** इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[देखिए नियम 5 (1) (2) एवं 22(2)]

क्र.स.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का स्त्रोत
1	कनिष्ठ सहायक	32	5200–20,200 ग्रेड पे–2000	नियम 5(1)(क)(ख)
2	वरिष्ट्र सहायक	30	5200–20,200 ग्रेड पे–2800	नियम 5 (2)
3	प्रधान सहायक	18	9300–34800 ग्रेड पे–4200	नियम 5 (2)
4	प्रशासनिक अधिकारी	18	9300–34,800 ग्रेड पे–4600	नियम 5 (2)
5	विरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	9300–34,800 ग्रेड पे–4800	नियम 5 (2)
	योग	**99**		

आज्ञा से,

आर0 सी0 पाठक,
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. *44*7/11-2013-01(1*8)/*2006 dated *M*ay 08, 2013 ior general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

May 08, 2013

No. 447/14-2013-01(18*V*2006 In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in super session of all existing rules and orders on the subject, Governor is pleased to make the following rules regulating.recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Minor Irrigation Department Clerical Grade Service.

UTTARAKHAND MINOR IRRIGATION DEPARTMENT CLERICAL GRADE
(GROUP-'C') SERVICE RULES, 2013

PART 1- General

Short title and commencement 1- (1) These rules may be called The Uttarakhand Minor Irrigation Department, Clerical Grade (Group 'C') Service Rules, 2013.

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service 2 The Uttarakhand Government Minor Irrigation Department Clerical Grade Service is a Non-Gazetted Service, comprising group "C" posts.

Definitions 3 In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context

(a) "Appointing Authority" means Chief Engineer of Minor Irrigation Department Uttrakhand.

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) "Chief Engineer" means Chief Engineer of Minor Irrigation Department, Uttarakhand;

(d) “Constitution" means the Constitution of India;

(e)"Government” means the State Government of Uttarakhand;

(f) "Govemor" means the Governor of Uttarakhand;
(g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
(h) "Service" means the Uttarakhand Minor Irrigation Department Clerical Grade (Group 'C') Service;

(13)

(i) "Substantive Appointment" means an appointment not being an adhoc appointment, on a post and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and

(i) "Year of recruitment" means a period of 12 months commencing from the 1st day of July of a calendar year.

Part II - CADRE .

Cadre of Service: **4- (1)** Clerical Grade (Group- 'C) Service shall be State level
Service. The Strength of the Service and of each category of posts therein, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix provided that:
(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
(b) The Govemor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

PART III- RECRUITMENT

Source of Recruitment 5 Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources:

(1) Recruitment to the posts of Junior Assistant:
(a) Direct Recruitment-On 75 percent of posts.
(b) (i) 15 percent of posts are filled from Group 'D' employees of Minor Irrigation Department, who have passed High School examination or equivalent

examination recognized by the Government and have completed minimum 5 years of service as such on the first day the recruitment year. (ii) 10 percent of posts are filled from Group 'D' employees of Minor Irrigation Department, who have passed Intermediate or 10+2 or equivalent examination recognized by the Government and have completed minimum 5 years of service as such on the first day the recruitment year.

Selection on the basis of merit shall be made according to the provisions of Uttarakhand Subordinate Clerical Grade Employee Service, Direct Recruitment (Revised) Rules, 2008. Rest of the posts of Service shall be filled in according to the provisions of Determination of Eligibility Period for Promotion to the posts of Ministerial Grade Cadre in Services under the State of Uttarakhand Rules 2011as Amended from time to time.

Reservation- 6 Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and other Categories, belonging to the State of Uttarakhand, shall

be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV-QUALIFICATIONS

Nationality- ***7.*** A candidate for direct recruitment to a post in the **Service must be:**

(a) A citizen of India, or

(b) A Tibetan refugee, who came over to India before January 01, 1962 with the intention of permanently settling in India, or.

(c) A person of Indian origin, who has migrated form Pakistan, Burma, Sri Lanka(Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a Candidate belonging to category (b) or (C) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Stat**e** Government:

Provided further, that a Candidate belonging to. category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that, if a Candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a Candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note - A Candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualifications 8. (1) A Candidate for direct recruitment to the posts of Junior Assistant must possess minimum academic qualification of Intermediate from Uttar Pradesh Board of Intermediate Education or Uttarakhand Board of education and Examination or equivalent qualification recognized by the Government.

(2) A **candidate should have F**our thousand key depression per hour in computer operation and Hindi (Devnagari Script) typing on computer,

Preferential Qualifications 9. (i) A candidate having knowledge of English Typing on computer, or

(ii) A candidate who has served in the Territorial Amy for a minimum period of two years; or

(iii) Who has obtained a 'B' Certificate of National Cadet Corps. Shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

***(* 15)**

Age **10-** Age of the candidates for direct recruitment, if the vacancies are advertised in the period from 15 January 10 3014 June, on 15 January of the year of recruitment, 18 years of age and for permanent resident of Uttarakhand maximum limit of age would be 40 years and for other candidates maximum limit of age would be 35 years, and if the vacancies are advertised in the period from 1st July to 31st December, on 15 July of the year of recruitment, 18 years of age and for permanent resident of

Uttarakhand maximum limit of age would be 40 years and for other candidates maximum limit of age would be 35 years.

Provided that the upper age limit in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other Categories as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

Character 11- The character of a candidate for direct recruitment to a post, in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point. Note- Persoas dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Govemment shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status 12- A male candidate, who has more than one wifes living or a female candidate, who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service,

Provided that the Government may, if satisficd that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness 13- No Candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of Financial Hand-Book, Volume II, Part III,

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V-PROCEDURE OF RECRUITMENT

Determination of vacancies 14- The Appointing Authority shall determine and notify to the Employment Exchange, in accordance with the rules and orders for the time being in force, the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes. Scheduled Tribes and other categories belonging to the State of Uttarakhand under Rule 6.

Procedure for Direct Recruitment 15-(1) According to Uttarakhand (Outside The Purview of The Uttarakhand Public Service Commission) Employee Service, Procedure for Direct Recruitment to the posts of Group 'C' Rules, 2008.

Essential Qualification for the selection 15(2) The candidates enrolled in any of Employment Exchange of Uttarakhand State, shall be eligible for the direct appointment on the posts of Group 'C' within the purview of Public Service Commission and for the direct appointment on the posts of Group 'C' beyond the purview of Public Service Commission.

Desired Qualification for the selection 15(3)(1) The candidates, for the direct appointment on the posts of Group 'C' within the purview of Public Service Commission and for the direct appointment on the posts of Group 'C' beyond the purview of Public Service Commission, should have knowledge about culture and customs of Uttarakhand State and fitess for posting in peculier circumstances present in the state shall be desirable.

(2) In the syllabus for written examination for the direct appointment on the posts of Group 'C' within the purview of Public Service Commission and for the posts beyond the purview of Public Service Commission, questions based on geographical, cultural, economical and historical backgrounds of Uttarakhand State shall be included by the Public Service Commission and the concerned selection body, nominatted by State Government for the selection on the posts beyond the purview of Public Service Commission.

(3) The posts, for which interview is necessary as per applicable Service Rules, for the direct appointment on the posts of Group 'C' within the purview of Public Service Commission and for the posts beyond the purview of Public Service Commission, questions based on geographical, cultural, economical and historical backgrounds of Uttarakhand State

(17)

shall also be asked by the Public Service Commission and the concerned selection body,

Ammendments in the Syllabus 15(4)(1) For the direct appointment on the posts of Group 'C' within the purview of Public Service Commission and for the posts beyond the purview of Public Service Commission, action shall be taken as per provisions in this rule, by the Public Service Commission and the concerned selection body in preperation of the syllabus for the selection.

.

(2) Public Service Commission and the concerned selection body shall include the above essential and desirable qualifications in the public notice also and required ammendments shall also be made in the prescribed application forms.

Procedure for Recruitment by Promotion. 16- For the recruitment by promotion to the posts of the Service, according to Uttarakhand (Outside The Purview of The Uttarakhand Public Service Commission) Employee Service, Procedure for Promation Rules, 2013 under Rules, 3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7). Selection Committee shall be constituted by the Head of the Department, as follows:

(a) Chief Engineer **Chairman**
(b) Senior Superintend Engineer **Member**
(c) Executive Engineer **Member**
(d) An Officer belonging to Scheduled Caste*l* Scheduled Tribes, nominated by the Chairman of the committee **Member**

Combined Select List – 17- If in any year of recruitment, appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined list shall be prepared by taking the names of

candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment- 18- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15, 16 or *17* as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued,

mentioning the names of persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 17.

Probation 19- (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period or two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and . in no circumstances beyond two years**.**

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has

otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he docs pot hold a lien on any substantive post, his services may be dispensed with.

(4) A prob**ationer who is reverted or whose services a**re dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation,

Confirmation- **20** A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if

(a) His work and conduct are reported to be satisfactory;

(b) His integrity is certified, and

(c)The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confimation.

Seniority- **21-** **(1)** The seniority of persons in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 and if two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that, if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other cases, it will mean the date of issue of the order:

Provided that, if in particular case, more than one appointinent orders are issued after the selection, the seniority

(19)

shall be as per the combined appointment order issued under Rule 18 (3).

(2) The inter-se seniority of persons appointed directly on the result of any one selection shall be the same as determined by the Selection Committee:

Provided that, a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The inter-se seniority of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointment are made both by promotion and direct recruitment or from more then one source and the respective quota of the sources is prescribed, the inter-se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 17 in such manner that the prescribed percentage is maintained.

Provided that

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the

seniority of the year in which their appointments are made, however, in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vecancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of thet very year as if they are appointed against the vacancies quota.

PART-VII- PAYETC.

Scales

of pay 22- (1) The scales of pay, admissible to persons appointed to the various categories of post in the Service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time of the commencement of these rules shall be as per Appendix 'A'.

Pay during probation 23- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in. permanent Government service, shall be allowed first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs. **otherwise.**

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of unsatisfactory work and conduct, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise

(3) The pay during probation of a person who was already in permanent Government service, shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing- 24. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any evidence or attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters- **25-** In regard to the matters not specifically covered by their rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulation and orders, applicable generally to Government servants serving in correction with the affairs of the State,

Relaxation in the conditions of service- **26-** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons

(21)

appointed to the Service of persons appointed to the service **cau**ses undue hardship in a particular case, it may in consultations with commission notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispersed with or relax, the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings- **27-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes Other Backward Classes of citizens and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard,

APPENDIX
(See Rule 5(1)(2) and 22(*2*)]

Sl. No.	**Name of Post**	**No. of posts**	**Pay Scale & Grade Pay Rs.**	**Source of recruitment**
1	Junior Assistant	32	5200-20,200 Grade Pay 2000	As per Rule-5 (1) (k) (kh)
2	Senior Assistant	30	5200-20,200 Grade Pay 2800	As per Rule-5 (2)
3	Chief Assistant	18	9300-34,800 Grade Pay 4600	As per Rule-5*(*2*)*
4	**Administrative** Officer	18	9300-34800 Grade Pay 4200	As per Rule-5(2)
5	Senior **Administrative Off**icer	01	9300-34,800 Grade Pay 4800	As per Rule-5(2)
	Total	**99**		

By Order,
R. C. PATHAK,
Secretary

.

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या 6570/स्था0–5/160/92 दिनांकः लखनऊ : नवम्बर 24, 1992

विषयः उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा नियमावली, 1992

1– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ल0सि0 उत्तर प्रदेश ।

2– विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई कोश्ठ, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।

3– निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ ।

4– समस्त अधिशासी अभियन्ता, ल0सि0, उत्तर प्रदेश

उक्त सेवा नियमावली को शासकीय विज्ञाप्ति संख्या 3074/54–2–1299/74/91 दिनांक 14–7–92 द्वारा प्रकाशित की गई है कि हिन्दी एवं अग्रेजी की एक एक प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है कृपया प्राप्ति सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आई0 जे0 सिंघल)
वैयक्तिक सहायक अधि0
कृते मुख्य अभियन्ता

उत्तर प्रदेश सरकार
क्षेत्रीय विकास विभाग
अनुभाग–2
विभिन्न
दिंनाक 14 जुलाई 1992

संख्या 3074/54–2–1299 (74)–91–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विघमान नियमों और आदेशो का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग रेखाकन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग, रेखाकन सेवा नियमावली, 1992

भाग–एक–सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग रेखांकन सेवा नियमावली, 1992 कही जाएगी

(2)– यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2– सेवा की प्रास्थिति– उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग रेखांकन सेवा एक अराजपत्रित सेवा है जिसमे समूह ग और समूह घ के पद समाविष्ट है ।

3– परिभाषाएं– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य, मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में अनुरेखक के पद के सम्बन्ध में, मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक एवं अधिशासी अभियन्ता से है, मण्डल कार्यालय मे अनुरेखक के पद के सम्बन्ध में सम्बन्धित मण्डल के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता से है और नकशा नवीस और संगणक कम्प्यूटर के पदों के सम्बन्ध में, मुख्य अभियन्ता से है :

(ख) भारत का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए

(ग) मुख्य अभियन्ता का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता से है

(घ) अधिशासी अभियन्ता का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता से है

(ड) सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है

(च) राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(छ) सेवा का सदस्य का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशो के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ।

(ज) सेवा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग रेखांकन सेवा से है

(झ) मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमो के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशो द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गई हो

(ट) भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जूलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग–दो–संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमे प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये ।

(2) जब तक कि उपनियम 1 के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है :–

क्रम संख्या	पद का नाम	पदो की संख्या		योग
		स्थायी	अस्थायी	
1	संगणक कम्प्यूटर	6	2	8
2	नकशानवीस	31	8	39
3	अनुरेखक	25	..	25

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ।

(दा) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझें ।

5– भर्ती का स्रोत (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी ।

(1)	अनुरेखक	सीधी भर्ती द्वारा
(2)	नकशा नवीस	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त उन अनुरेखकों से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम दस वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हो, पदोन्नति द्वारा
(3)	संगणक कम्प्यूटर	मौलिग रूप से नियुक्त उन नकशानवीसों में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम दस वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हो पदोन्नति द्वारा

6– आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशो के अनुसार किया जाएगा ।

भाग चार– अर्हतायें

7 –राष्ट्रियता– सेवा मे किसी पद सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

क– भारत का नागरिक हो, या

ख– तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आ या हो या

ग– भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलका या किसी पूर्व, अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया पूर्ववर्ती तांगातिका और जंजीवार से प्रवजन कि या हो

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी ख या ग के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में
सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

परन्तु यह और कि श्रेणी ख के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ग का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी कि या जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8–– शैक्षिक अर्हता– (1) नकशा नवीस के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि उत्तीर्ण कर ली हो और उत्तर प्रदेश राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद से नकशा नवीस का प्रमाण पत्र, या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(2) अनुरेखक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवष्यक है कि अभ्यर्थी ने ज्यामितीय रेखांकन के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्याप्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

9–– अधिमानी अर्हतायें– ऐसे अभ्यर्थी को जिसने प्रादेशिक सेवा में न्यूतम दो वर्ष की अवधि
तक सेवा की अन्य बार्तो के समान होने पर भर्ती के मामले में अधिमान दिये जायेगा।

10–– आयु–– सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी से उस कैलेण्डर वर्ष की जिससे रिक्तियां विज्ञाप्ति की जाये पहली जूलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट जाये ।

11––चरित्र–– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान लेगा ।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या
संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी नियम या निकाय द्वारा पदच्यूत व्यक्ति सेवा में किसी पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र होगे ।

12–– वैवाहिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न हो जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो की पहले से एक पत्नी जीवित हेा ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विघमान है ।

13——शारीरिक स्वस्थता– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडनें की सम्भावना हो किसी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेशियल डाकबुक खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिए गए फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार स्वास्थता–प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी

भाग पॉच भर्ती की प्रकिया

14——रिक्तियों का अवधारण—— नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों संख्या ओर नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित जायेगी नियुक्ति प्राधिकारों उन व्यक्तियों से जिनके नाम सेवायेाजन कार्यालय में पंजीकृत हों, सीधें आवेदन पत्र भी आमन्त्रित कर सकता है इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सूचना–पट पर उसकी सूचना चिपका के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन जारी करेगा ऐसे समस्त आवेदन–पत्र चयन समिति समक्ष प्रस्तुत किए जायेगे ।

15—— सीधी भर्ती की प्रकिया–(1) अनुरेखक और नकशा नवीस के पद पर सीधी–भर्ती एक चयन समिति माध्यम से की जाएगी जिसका गठन, निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगाः

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी **अध्यक्ष।**

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो **सदस्य**

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का होगा और दूसरा पिछडे वर्ग का यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त जिला अधिकारी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर ऐसे उपयुक्त जिला अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा ना निर्दिष्ट किये जायेंगे **सदस्य**

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की समीक्षा करेगी और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में जितने वह उचित समझें, अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते है साक्षात्कार के लिए बुलाएगी।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थि द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करे तो चयन समिति सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यताक्रम में रखेगे सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सूची अग्रसारित करेगी ।

16––पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया–(1) नकशा नवीस और संगणक कम्प्यूटर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्सीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमे निम्नलिखित होगेः–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी **अध्यक्ष**

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिदिष्ट दो अधिकारी **सदस्य**

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखो के साथ, जो उचित समझें जाये चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

टिप्पणी––पदोन्नति के प्रयोजन के लिए राज्य स्तर पर अनुरेखक के पद की ज्येष्ठता सूची मुख्य अभियन्ता द्वारा रखी जाएगी ।

(3)––चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर सभी पात्र अभ्यर्थियो की उपयुवतता पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

4––चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता–क्रम में जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाना हों, तैयार करेगी और उसकी नियुक्ति प्राधिकारी की अग्रसारित होगी ।

17–– संयुक्त चयन सूची– यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनो ही प्रकार से की जाए तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी जिससे अभ्यर्थियों के नामों को सम्बन्धित सूचियों में से इस प्राकर से लेकर रखा जाएगा कि विहित प्रतिशत बना रहे सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

18–नियुक्ति–(1) उपनियम 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेते हुए जिसमें उनके साथ, यथास्थिति, नियम 15 या 17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आए हो नियुक्ति करेगा ।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनो स्रोतो से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध मे नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाए, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिससे व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता–क्रम में किया जाएगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो ही प्रकार से की जानी हो, तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जाएगा ।

19––परिवीक्षा–(1) सेवा मे किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा ।

(2)––नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अग्रलिखित किया जायगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढाई जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जाएगी ।

(3)– यदि परिवीक्षा अवधि या बढाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरो का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है ।

(4)–ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम 3 के अधीन प्रत्याविर्तित किया जाये या जिसकी सेवाये समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा ।

(5)–नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुज्ञा दे सकता है ।

20––स्थायीकरण– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण नियमावली 1991 के अनुसार उसकी नियुक्तियां में स्थायी कर दिया जायेगा यदि

(क)– उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय

(ख)– उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए

(ग)–नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थयीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है

21–– ज्येष्ठता– एतद्पश्चात् तथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता, नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

भाग सात–वेतन इत्यादि

22–– वेतनमान (1)– सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदो पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए ।

(2)– इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये है ।

क्र0सं0	**पदनाम**	**वेतनमान**	**अभ्युक्ति**
1	अनुरेखक	825–15–900–द0रो0–20–1200 रूपये	उन अनुरेखको को जिनके पास अनुरेखण का प्रमाण–पत्र हो ओर जिन्होने सात वर्ष की उत्तम सेवा कर ली हो को 950–20–1150–द0–रो0–25–1500 रूपये का वेतनमान दिया जाएगा
2	नकशा नवीस	1200–30–1560–द0 रो0 40–2040 रूपये	
3	संगणक	1400–40–1600–50–2300–द0रो0–60–2600 रूपये	

23––परिवीक्षा अवधि में वेतन–(1) फन्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकुल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोशप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परीवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसको स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि असंतोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाये तो इस प्रकार बढाई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी निदेश न दे ।

(2)—ऐसे व्यक्तियों का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहे हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

परन्तु यदि असंतोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाय तो इस प्रकार बढाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नही की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3)—ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

24——दक्षता— रोक पार करने का मानदण्ड किसी व्यक्ति की दक्षतारोक पार करने की अनुमति नही दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाए ।

25— पक्षासमर्थन— किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिषों से भिन्न किन्हीं सिफारिषों पर लिखित हो या मौलिक, विचार नहीं किया जाएगा किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

26— अन्य विषयों का विनियमन— ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामन्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा।

27—— सेवा की शर्तों में शिथिलता— जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विषिश्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामले मे न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है ।

28—— व्यावृत्ति— इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से

(ह0) अस्पष्ट
सचिव

टिप्पणी—गजट दिनांक 12.9.92, भाग1 में प्रकाशित
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित
पी0एस0यू0पी0—2 सा0 क्षेत्रीय—25.9.92.2000 मोनो

उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई विभाग
संख्याः 1357/11/2007/.01(400)/2007
देहरादूनः दिनांक 15 नवम्बर, 2007

अधिसूचना
प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग रेखांकन सेवा नियमावली, 1992 यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग रेखांकन सेवा नियमावली, 1992 संशोधन नियमावली, 2007

भाग—1
सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग रेंखाकन
सेवा नियमावली, 1992 संशोधन नियमावली, 2007 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त है ।

2 उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग रेखांकन सेवा नियमावली, 1992 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम—15 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात—

स्तम्भ—1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सीधी भर्ती की प्रकिया	**सीधी भर्ती की प्रकिया**
15. (1) अनुरेखक और नकशानवीस के पद पर सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगाः **(एक)** नियुक्ति प्राधिकारी ...... **अध्यक्ष** **(दो)** यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अध्धिकारी यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो..... **सदस्य**	15.(1) प्रारूपकार के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होगें:— **(एक)** मुख्य अभियन्ता............ **अध्यक्ष** **(दो)** वरिष्ट स्टाफ अधिकारी......... **सदस्य** **(तीन)** अधीक्षण अभियन्ता स्तर का एक अधिकारी, जिसे मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा **सदस्य** **टिप्पणी—** उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समुदाय के सदस्य को, जिसका पद

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमे से एक अल्पसंख्यक समुदाय का होगा और दूसरा पिछडे वर्ग का यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर ऐसे उपयुक्त अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे और उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण उनके द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ....**सदस्य** (2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की समीक्षा करेगी और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखतें हुए उतनी संख्या में जितनें वह उचित समझें, अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करतें हों, साक्षात्कार के लिए बुलाएगी (3) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति सेवा के लिए उनकी समान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यताक्रम में रखेगी सूची में नामें की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत) से अनधिक होगी समिति नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगी	अधिशासी अभियन्ता से निम्न न हो, नामित किया जायेगा **(2)** सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञाप्ति की जायेगी और ऐसे अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेगे, जिनके नाम उत्तराखण्ड में स्थित किसी एक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो **(3) (एक)** चयन समिति के लिए 200 अंको की एक लिखित परीक्षा होगी छंटनी शुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक वर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 15 अंक दिये जायेगे प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांको व अन्य मूल्यांकनो के योग के आधार पर तैयार की जायेगी **(दो) (क)** लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन का 100 अंक एक प्रश्न पत्र तथा तकनीकी ज्ञान का दूसरा प्रश्न–पत्र 100 अंक का होगा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा **(ख)** लिखित परीक्षा की प्रश्न–बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी **(ग)** लिखित परीक्षा की उत्तर षीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी **(घ)** लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) को उत्तराखण्ड की वैबसाहट www. minorirrigation.uk.gov.inपर प्रदर्शित किया जायेगा या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, प्रकाशित किया जायेगा **(4)** चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको एवं अन्य मूल्यांकनो, जिसमें छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतू अधिमान अंको का जोड होगा, के कुल योग से जैसा प्रकट हो, एक सूची तैयार की जाएगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिक

	आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगे चयन समिति, सूची नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगी **(5)** चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंको को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा

आज्ञा से

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव

उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 2003

कार्मिक अनुभाग–2

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की
2003

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 590 / कार्मिक–2 / 2003–55(26) / 2002

देहरादून, 13 मई, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

भाग–1

सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (1) यह नियमावली ''उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति :– 2. किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह ''क'' के पदसमाविष्ट हैं।

3–इन नियमों का लागू होना :– यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालयों में ड्राइवरों पर लागू होगी।

4–अध्यारोही प्रभाव :– यह नियमावली संविधान के अनुच्छेंद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बाात के होते हुये भी प्रभावी होगी।

5–परिभाषाये :– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी हैं।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है।

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है।

(ङ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(च) ''सेवा'' का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन गठित ड्राइवर सेवा से है।

(छ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।
(ज) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–2
संवर्ग

6–सेवा का संवर्ग :– प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

भाग–3
भर्ती

7–भर्ती का श्रोत :–सेवा मे ंकिसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

8–आरक्षण :–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4
अर्हताएं

9– राष्ट्रियता :– सेवा में किसी पर पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो।
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो : या
(ग) भारतीय उद्‌भव या ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष मे राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अथ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष मे ंजारी कर दिया जाय।

10.–आयु– सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायें पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताए :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निमन अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो : और

(दो) यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

12–अधिमानी अर्हता :– अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में अधिमान दिया जायेगा, जिसमे –

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हों :

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो :

(तीन) प्रादेशित सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

13.–चरित्र :–सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा मे किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें।

14–वैवाहिक स्थिति :–सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यथ्री पात्र न होगा किसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया जो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

15–शारीरिक स्वस्थ्यता:– किसी व्यक्ति को सेवा मे नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और यदि किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने मे बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन मे दिये गये फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भाग–5
भर्ती की प्रक्रिया

16–रिक्तियों का अवधारण :– नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार पत्रों मे रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा।

17–सीधी भर्ती की प्रक्रियाः–(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी। **अध्यक्ष**

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का काई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न काई अधिकारी **सदस्य**

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़ें वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। **सदस्य**

(चार) **(1)** सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निमन स्तर का न हो।

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐस व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलायेगा।

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेनस की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी जितना वह उचित समझे।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम मे जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा मे उनके द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हे, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता कों उनकी आयु के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामो की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची में नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। **सदस्य**

भाग–6
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18–नियुक्ति :– (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमे वे नियम 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन मे अवधारित की जाय।

19–परिवीक्षा :– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढाई जाय।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या सतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवायें उप नियम (3) के अधीन समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

20–स्थायीकरण :– ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त मे उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :–

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय :

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय : और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

21–ज्येष्ठता :– ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–7
वेतन आदि

22– वेतनमान :– सेवा मे किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

23–परिवीक्षा अवधि :– फण्डामेण्टल रूल्स मे किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन मे वेतन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा मे न हो, समयमान मे उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगा जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी तब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

भाग–8
अन्य विनियमन

24–पक्ष समर्थनद :– सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे नियुक्ति के अनर्ह कर देगा।

25–अन्य विषयों का विनियमन :– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा मे नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

26–सेवा की शर्तों :– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों में शिथिलता की सेवा की शर्तों का विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें

मे ंअनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें मे लागू नियमों मे किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले मे ंन्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अवमुक्त या शिथिल कर सकती है।

27– व्यावृत्ति :– इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन
सचिव

UTTARANCHAL GOVERNMENT

UTTARANCHAL GOVERNMENT
DRIVER SERVICE RULE 2003

KARMIC SECTION- 2

In pursuance of provisions of clause (3) of Articla 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following Engilis translation of notification no. 590/Karmic-2/2003-55(26)/2002, dated May 13, 2003 for general information :

No. 590/Karmic-2/2003-55(26)/2002
Dated: Dehradun, May 13, 2003
NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferrd by the proviso to Articla 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules rgulating recrutment and conditions of service of person appointed to the Uttaranchal Government Department Driver's Service:-

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVER'S SERVICE RULES, 2003

PART – I
General

Short title & Commencment

1. (1) These Ruled may be called the Uttaranchal Government Department Driver;s Srvice Rules, 2003
(2) They shall come into force at once.

Status of office Service

2. The service of Drivers in a Government department or comprises group "C" posts.

Application department or of these the rules

3. These rules shall apply to Drivers in a Government office under the rule making power of the Governer under proviso to Article 309 of the Consitution.

Overriding the effect under time

4. These rules shall have effect notwithstanding anything to contrary sontained in any other rules made by the Governor proviso to Article 309 of the Constutution, or orders, for the being in force.

Definitions

5. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject of context –

a. "Appointing Authority" means an authority empowered to make appointment to a post of Driver in a Government department of office, under relevant service rules or exicutive instructions as the case may be;

b. "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of india under Part-Ii of the Constitution ;

c. "Constitution" means the Constitution of India ;

"Government" means the Government of Uttaranchal ;

d. "Member of the service" means a person substantively appointed under these ruled or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;

e. "Service" means the Service of Drivers in Government department or office, consituted under relevant service rules or executive instructions, as the case may be :

f. "Substantive appointment" means an appointment not being an ad-hoc- appointment on a post in the cadre of the Service made after selection in sccordance with the rules and, if there are no reles, In accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

g. "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of july of calendar year.

PART – II
Cadre

Cadre of of Service from — 6. The strength of the Service in each Government Department office shall be such as may be determined by the Government time to time under the relevant Service Rules of executive instructions, as the case may be.

PART –III
Recruitment

Source of direct recruitment — 7. Recruitment to a post in the Service shall be made by recruitment.

Reservation — 8. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Sheculed Tribes and Other Categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time or recruitment.

PART – IV
Qualifications

Nationality — 9. A candidate for direct recrutment to a post in the servie must be –

(a) A Citizen of India, or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India ;

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic to Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention or permanently settling in india :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c)above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provide also that if a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Polic, Intelligence Branch, Uttaranchal :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship

NOTE :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refuse, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Age 10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty-one years and must not have attained the age of more than thirty-five years or the first day of the year of recruitment in which vacancies are advertised or notified :

Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from rime to time shall be greater by such number of years as may be specfied.

Technical & acadmic Qualifications 11.A candidate for direct recruitment to the service must –

(i) have passed class VIII examination from a recognised educational institution ; and

(ii) prossess a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years preceding the date on which vacancy is notified to the employment exchange under rule 16

Preferential Qualification 12. A cadidate who has –

(i) passed High School examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar pradesh or Uttaranchal Shiksh & Pariksh Parishad ;

(ii) knowledge of vehicle michanism ;

(iii) served in the territorial army for a minimum period of two years;

shall, other things being equal, be given prefernce in the matter of recruitment to the service.

Character 13.The character of a candidate for recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in

Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point

NOTE: Persons dismissed by the Union government of a State government of a Loacal authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government of State Government shall be ineligible for recruitment to the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

14.A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for recruitment to the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule

Physical Fitness

15. No person shall be appointed to service by direct recruitment unless be in good mental and bodily health and free from all physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties Before a candidate is finally approved for appointment to the service, he shall be required to produce a certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapte- III of the Financial Hand Book, Volume- II, Part III

PART – V
Procedure of Recruitment

determination of vacancies

16. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other categories under rule 8. The appointing authority shall, notity the vacancies to the Employment exchange in accordance with the rules and orders of the government for the time being inforce, and he may also advertise the vacancies in the leading newspapers.

Procedure for direct recruitment

17. (1) for the purpose of direct recruitment there shall be constituted a selection committee comprising –

chairman (i) Appointing authority :

Member (ii) An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe nominated by the appointing authority if the appointing authority does not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. If the appointing authority belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, an officer other than

belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, to be nominated by the appointing authority ;

Members (iii) Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be an officer belonging to Minority Commumity and the other belonging to Backward Class. if such suitable officers are not available in his department or roganisation, such officers shall on the reques of the appointing authority be nomiated by the converned District Magistrate ;

Member (iv)(1) Regional Transport Officer of the concerned region or his nominee not below the rand of Assistant Regional Transport Officer.

(2) The applications received directly or through the Employment Exchange shall be scrutinised by the appointing authority who shall call for an interview and driving test to such persons as appear qualified under these rules :

Provided that for the purpose of direct recruitment the selection committee shall call such number of applicants on the basis of educational qualification and length of period of valid driving licence for interview and driving test as it may consider fit.

(3) The Selection Committee shall, after the interview and driving test, prepare a list of candidates in order of their profiency aas disclosed by the aggregate of marks obtained by them in interview and driving test. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in orde of merit on the basis of their age of general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The selection committee shall forward the list to the appointing authority.

PART – VI
Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment 18.(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 17.

(2) if more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

Probation 19.(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, except in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended byond one year and in no circumjstance beyond two years.

(3) If is appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation of extended period of probation that p probationed has not made suffcient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfatction his services may be dispensed with.

(4) A probationer whose services are dispernsed with under sub rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation 20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if –

(a) his work and conduct are found to be satisfactory :

(b) his integrity is certified ; and

(d) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority 21. The seniority of persons substantively appointed to the posts of driver shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rule, 2002 as amended from time to time.

PART – VII
Pay Etc.

Scale of Pay 22. The scale of pay admissible to person appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Pay during probation 23. Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanentGovernment Service, shall be allowed his first increment into the time scale when has completed one year of satisfactory service and secong increment after two years service when ha has completed the probvationary period and also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

PART – VIII
Other Provisions

Canvassing24. No recommendation, either written of oral other than these required under these rules applicable to the Service will be taken into condidertaion. Any attempt on the part of a candidated to enlist support directly or indirectly for his candidature by other means shall disqualify him for appointment.

Regulation 25. In regard to matters not specifically covered by these rules, or by of other special orders persons appointed to the Service shall be governed by matters the rules, regulations and orders applicable gernerally to government servants serving in conncetion with the affairs of the State.

Relaxation 26. Where the State Government is satisfied that the operation of any in the rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Conditions Service causes undue hardship in any particular case, it may of service notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case by order, dispense with or relas the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consier necessary for dealing with the case in a just and equitable nanner.

Saving 27. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provoded for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,
ALOK KUMAR JAIN
secretary

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 178 / XXX(2) / 2008
देहरादूनः दिनांक 11 फरवरी, 2008

अधिसूचना संख्या 178 / संख्याः 178 / XXX(2) / 2008 दिनांक 11 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित, उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यामंत्री जी।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ / समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से ,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 178/XXX(2)/2008
देहरादून, दिनांक 11 फरवरी, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** **(1)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 9 के खण्ड (ग) की टिप्पणी एवं नियम 17 के उप नियम (2) एवं (3) का प्रतिस्थापन– 2. उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 9 (ग) के अंत में अंकित टिप्पणी एवं नियम 17 के उपनियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया टिप्पणी/उप–नियम रख दिया जाएगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 **(वर्तमान नियम/उप–नियम)**	**स्तम्भ–2** **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम/उप–नियम)**
9. (ग) टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।	**9 (ग)** टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।
17.(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के लिए बुलायेगाः परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग, लाइसेन्स की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को ड्राईविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी जितना वह उचित समझे।	**17.(2)** सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी चयन समिति ऐसे व्यक्तियों को, जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, लिखित परीक्षा और ड्राईविंग परीक्षा के लिए बुलाएगा।
(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता को उनकी आयु के आधार पर नामों की संख्या निक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस	**(3)(एक)** चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा व ड्राईविंग परीक्षा के प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जायगी। **(दो)** 25 अंकों की लिखित परीक्षा में वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। कुल 25 प्रश्न पूछे

प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

जायेंगे व प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(तीन) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

(चार) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(पांच) लिखित परीक्षा के पश्चात्, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (aaaAnswer Key) उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

(छः) उपरोक्त खण्ड (एक) के अधीन लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात्, आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, ड्राइविंग परीक्षा आयोजित की जायेगी। ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या की छः गुना होगी। ड्राइविंग परीक्षा 75 अंकों की होगी।

(सात) चयन समिति लिखित परीक्षा एवं ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम चयन समिति योग्यता क्रम में ऊपर रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(आठ) नियुक्ति प्राधिकारी, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और ड्राइविंग परीक्षा को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित करेगा।

आज्ञा से

(सुभाष कुमार)

प्रमुख सचिव।

क्रम संख्या–91 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तारांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, सोमवार, 14 जून, 2004 ई0
ज्येष्ठ 24, 1926 शक संवत्

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 888/XXX–(2)/2004–55(39)/2004 ई0
देहरादून, 14 जून, 2004

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0–10

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तरांचल सरकार के विभिन्न विभागों में समूह ''घ'' की कतिपय श्रेणियों के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004
भाग एक
सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– सेवा नियमावली का लागू होना–(1) इस नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में निमय 6 में निर्दिष्ट ''घ'' के सभी पदों पर लागू होगी।

(2) कोई विशेष पद गैर–तकनीकी पद है या नहीं, ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

3–इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव :– इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से संबंधित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में–

(एक) इस नियमावली में दिए गए उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाए गए हो,

(दो) विशिष्ट नियमों में दिए गए उपबन्ध अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाए जायें।

4. परिभाषायें–जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के पदो के संबंध में, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, नियुक्ति प्राधिकारी विनिदिष्ट किया जाये,

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(ग)''सवंधिान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है,
(घ)''अधिष्ठान'' का तात्पर्य समूह ''घ'' के उस अधिष्ठान से हे जिसके अन्तर्गत पद हों,
(ङ)''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है,
(च)''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,
(छ)''उच्च न्यायालय'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है,

(ज)''अधीनस्थ कार्यालय'' का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं है,

(छ)''छंटनी किया गया कर्मचारी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है—

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किए जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं हैं,

(ट)''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो
संवर्ग

5—सेवा की सदस्य संख्या—किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह ''घ'' के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जायः

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा।

भाग तीन
भर्ती

6. भर्ती का स्रोत— समूह ''घ'' के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित होगाः—

(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, सीधी भर्ती द्वाराः पनीवाला, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीक पद	स्थायी चपरासी में से पदोन्नति द्वारा, अर्ह चपरासियों, सन्देशावाहकों या फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा,
(ख) चपरासी–जमादार	स्थायी फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा,
(ग) दफ्तर / जिल्द–साज / साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर	स्थायी सफाईकारों में से पदोन्नति द्वारा,
(घ) फर्राश–जमादार	स्थायी माली में से पदोन्नति द्वारा,
(ड) सफाईकार–जमादार	
(च) प्रधान माली	

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिए कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपबन्ध न हो तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

भाग चार
अर्हता

7–आरक्षण :–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य–श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी–अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रीयता–समूह ''घ'' के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का, ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश–केन्या, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले,

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9.आयु– समूह ''घ'' के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वार समय–समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

10.शैक्षिक अर्हताएं–(1) चपरासी, संदेशवाहक या साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए जो कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता है।

(2) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली व कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(3) कोई व्यक्ति दफ्तरी जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उस जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान अपेक्षित न हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के संबंध में समुचित अनुभव न हो।

(5) समूह ''घ'' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो, परन्तु यह शर्ते महिला अभ्यर्थियों तथा पर्वतीय क्षेत्र के पदों पर लागू न होंगी।

(6) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो।

11. भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिए छूट– भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा शैक्षिक अर्हता या और भर्ती का किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी।

12.चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13.वैवाहिक प्रास्थिति– अधिष्ठान में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसके एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो, परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

14. शारीरिक स्वस्थता– किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जाएगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाए गए और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड दो भाग 3 के अध्याय तीन में दिए गए नियमों के अनुसार स्वास्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच
भर्ती की प्रक्रिया

15. चयन समिति का गठन– सीधी भर्ती एक चयन सीमित द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधाकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचति जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचति जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जनजाति का न हो।

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसा अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा।

16.भर्ती प्रति वर्ष की जाएगी– इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिए चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जाएगा।

17.चयन की प्रक्रिया–(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित, जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी, जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो, आवेदन–पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराएगा। ऐस समस्त आवेदन–पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जाएगे।

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिए सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियां आरक्षित करनी अपेक्षित हो) दोनों के नाम प्राप्त हो जाये तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदो के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(3) चयन समिति चयन करने में छंटनी किए गए कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) देने के लिए निम्नलिखित रीति से अंक देगी:–

(एक) प्रथम वर्ष की पूरी सेवा के लिए 5 अंक

(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिए 5 अंक

परन्तु छंटनी किए गए किसी कर्मचारी को इस उपनियम के अधीन दिया जाने वाला अधिकतम अंक 15 से अधिक नहीं होगा।

(4) चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिए चयन किया गया है, संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगी। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिए गए अंकों के अनुसार रखे जाएंगे।

18.सामान्य सूची– जब चयन किए गए सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जाये तब नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध करेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चाम् आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम होगा और इसी प्रकार आगे भी।

इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

19. पदोन्नति की प्रक्रिया–(1) सभी पदो के सम्बन्ध में पदोन्नति का मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगी।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन करके की जाएगी। विभागीय चयन समिति का गठन जिसमें तीन सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जाएगा।

भाग छः
नियुक्ति, परीवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

20.नियुक्ति–(1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति नियम 20 या 21 के अधीन तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची में नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उपनियम (1) में रीति से नियुक्ति करेंगे।

21.परिवीक्षा—(1) अधिष्ठान में, किसी पद पर, स्थायी रिक्ति में नियुक्ति किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा,

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को उस पद के लिए परिवीक्षा—अवधि की सगणना करनें में गिने जाने के लिए की जा सकती है,

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा—अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाएगी।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा—अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी।

(2) यदि परिवीक्षा—अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा—अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

22. स्थायीकरण— किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति, परिवीक्षा—अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा—अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाये, नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किए जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये।

23. ज्येष्ठता—(1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाये तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जाएगी।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश से किसी व्यक्ति की मोलिक नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जाएगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किए गए व्यक्ति की परस्पर ज्येष्ठता वह होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गई हो,

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्तावित किए जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। युक्तियुक्त के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गई।

भाग सात
वेतन इत्यादि

24. वेतनमान—(1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में जो अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमाननीचे दिए हैं:—

पद का नाम	वेतनमान (रू0)
(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, पनीवाल, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीक पद	2550—55—2660—60—3200
(ख) चपरासी—जमादार	2610—60—3150—65—3540
(ग) दफ्तर / जिल्द—साज / साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर	
(घ) फर्राश—जमादार	

(ड) सफाईकार–जमादार
(च) प्रधान माली

25.परिवीक्षा–अवधि में वेतन–(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि संतोषप्रद सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्ष–अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियतिम होगा,

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवाकों पर समान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ
अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन– पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियमन– ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28. सेवा की शर्तों में शिथिलता– जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उसे नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से
नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई विभाग
संख्या–58 / ।।–2006–01(22) / 2004
देहरादून, दिनांक : 14 जनवरी, 2008

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" में निहित प्राविधानों के आधार पर लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांखण्ड शासन के कार्यालय आदेश सं0 531 / ।।–2006–01(22) / 04 दिनांक 20–07–2006 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेश सं0 29 (बी0) / 2007 दिनांक 25–04–2007 के द्वारा श्री राजीव कुमार सक्सेना, सहायक अभियन्ता को उत्तराखण्ड आवंटित किया गया है, के क्रम में लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश सं0 928 / ।।–2007–01(22) / 04 दिनांक 10–08–2007 द्वारा लघु सिंचाई विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री राजीव कुमार सक्सेना का नाम शामिल कर अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों से आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी। इस सम्बन्ध में मात्र 01 आपत्ति प्राप्त हुआ। प्राप्त आपत्ति का सार तथा उन पर लिया गया निर्णय निम्नवत् है :–

श्री बृजेश कुमार तिवारी ने अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया है कि श्री राजीव कुमार सक्सेना उत्तर प्रदेश (मैदानी संवर्ग) के कार्मिक थे। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई मैदानी संवर्ग का कार्मिक राज्य गठन के पश्चात विकल्प के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होता है तो उसे वरिष्ठता क्रमांक में कनिष्ठतम स्थान पर रखा जायेगा। इसलिए श्री राजीव कुमार सक्सेना को सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठतम मानते हुए क्रमांक–15 पर रखा जाय।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1370 / कार्मिक–02 / 2001, दिनांक 30–08–2001 के द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्न कार्मिकों के उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प दिये जाने की स्थिति में उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण उस संवर्ग में उनके द्वारा विकल्प देते समय पोषित पद पर कनिष्ठतम कार्मिक के रूप में किया जायेगा, लेकिन उक्त शासनादेश को चुनौति देते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में कई याचिकायें दायर की गयी यथा– 823(एस0 / बी0) 2001, 889 (एस0 / बी0) / 2001, 843 (एस0 / बी0) / 2001, 69 (एस0 / बी0) / 2002, 844(एस0 / बी0) / 2001,7033 (एस0 / बी0) / 2001,875(एस0 / बी0) / 2001,849(एस0 / बी0) / 2001,823(एस0 / बी0) / 2001,835(एस0 / बी0) / 2001,940(एस0 / बी0) / 2001,821(एस0 / बी0) / 2001,939(एस0 / बी0) / 2001,882 (एस0 / बी0) / 2001 एवं 832(एस0 / बी0) / 2001, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने सामूहिक रूप से दिनांक 10–04–2003 को उक्त शासनादेश को विखण्डित कर दिया, जिसका समादर करते हुए कार्मिक विभाग, उतराखण्ड शासन ने शासनादेश सं0 606 / कार्मिक–2 / 2003, दिनांक 22–05–2003 के बिन्दु–3 के द्वारा यह व्यवस्था की है कि **"उपरोक्त शासनादेश को मा0 न्यायालय द्वारा विखण्डित कर दिये जाने के कारण उत्तरांचल राज्य की ऐसी सेवाओं और संवर्गों, जिनमें राज्य गठन से पूर्व पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग गठित किया गया था, के पदों पर राज्य के गठन के**

पूर्व उत्तरांचल का विकल्प देने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिकों के सन्दर्भ में ज्येष्ठता उत्तरांचल का विकल्प देते समय पोषित पद पर कार्यरत पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों में कनिष्ठतम कार्मिक के रूप में नहीं की जायेगी"। अतः श्री बृजेश कुमार तिवारी के प्रत्यावेदन के उपर्युक्त बिन्दु ग्राह्य नहीं है।

अतः कार्यालय आदेश सं0 928/।।—2007—01(22)/04 दिनांक 10.08.2007 के द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में प्राप्त आपत्ति का उपरोक्तानुसार सम्यक विचारोपरान्त निराकरण करते हुए संलग्न विवरणानुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची को इस प्रतिबन्ध के साथ जारी की जाती है कि निर्धारित ज्येष्ठता भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य कार्मिकों के अन्तिम आवंटन के अधीन परिवर्तनीय है अर्थात यदि अन्तिम आवंटन के फलस्वरूप ज्येष्ठ कार्मिक उत्तराखण्ड को आवंटित होते हैं तो तद्नुसार ज्येष्ठता सूची को यथा समय परिवर्तित/परिमार्जित किया जायेगा।

संलग्न — यथोक्त।

पी0के0महान्ति
सचिव।

<u>**संख्या—58/।।—2006—01(22)/2004 तद्दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई, उत्तरांखण्ड।
2— सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
3— सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को उनके पत्र सं0 635/ल0सिं0/स्था0(ज्ये)/2007—08, दिनांक 21—08—2007 के क्रम में।
5— अधीक्षण अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6— गार्ड फाईल।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव,।

कार्यालय आदेश सं0 58/ ।।–2007–01(22)/2004, दिनांक 14 जनवरी, 2008 का संलग्नक।

(सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची)

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	नम	प्राविधिक योग्यता	नियमित नियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	7	श्री चेतन दास अरोड़ा	बी0ई0(एग्री0)	03.12.1985	
2	7ए	श्री राजीव कुमार सक्सेना	बी0ई0(एग्री0)	23.08.1989	
3	8	श्री हरीश राम आर्य	डिप्लोमा (मै0)	07.04.1995	
4	8ए	श्री रविन्द्र प्रसाद	डिप्लोमा (सि0)	25.05.1995	
5	9	श्री बृजेश कुमार गुप्ता	बी0ई0 (मै0)	27.11.1997	
6	10	श्री सुभाष चन्द्र गर्ग	डिप्लोमा (मै0)	28.05.1998	
7	11	श्री बृजेश कुमार तिवारी	बी0ई0 (मै0)	03.06.1999	
8	12	श्री प्रमोद कुमार सिंह	बी0ई0 (सि0)	02.02.1999	
9	13	श्री सुरेश चन्द्रा	बी0ई0 (एग्री0)	02.02.1999	
10	14	श्री संजय कुमार भाष्कर	बी0ई0 (सि0)	02.02.1999	

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

सहायक अभियन्तओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची वर्ष,2009 वैबसाइट WWW. minorirrigation.uk.gov.in पर Acts and Rules के अन्तर्गत उपलब्ध है।

पत्रांक 46 /ल0सिं0/1–5(ज्येष्ठता सूची)/2004–2005 दिनांक 20 नवम्बर,2004

लघु सिंचाई विभाग उत्तरॉचल में कार्यरत कनिष्ट अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची (माह नवम्बर,2004)

क0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम	गृहजनपद	कार्यरत जनपद	जन्मतिथि	जाति	योग्यता		विभाग में नियुक्ति की तिथि	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन /विनि0	सम्वर्ग	अन्य विवरण
						शैक्षिक	प्राविधिक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री रवीन्द्र जोशी	नैनीताल	अल्मोडा	3.11.45	सामान्य	इण्टर	डि0सिवि0इन्जी0	7.2.66	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
2	श्री बी0आर0के0 पन्त	अल्मोड़ा	नैनीताल	15.3.47	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	6.11.66	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
3	श्री एस0आर0नाडिग	चिकमंगलूर	उ0सिंनगर	22.11.44	सामान्य	स्नातक	डि0सि0इन्जी0	24.3.67	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
4	श्री अशोक कुमार गुप्ता	देहरादून	सहारनपुर	1-3-49	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	8-6-72	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	टी0एफ0ए0एल0द्वारा आवंटित
5	श्री भरतलाल शाह	नैनीताल	उ0सिंहनगर	25.3.51	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	16.3.73	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
6	श्री प्रकाशचन्द्र पाण्डेय	नैनीताल	नैनीताल	7.11.46	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	19.5.73	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
7	श्री हेमचन्द्र उप्रेती	अल्मोड़ा	नैनीताल	18.6.50	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	18.6.73	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
8	श्री मोहनचन्द्र पाण्डेय	नैनीताल	पिथौरागढ़	13.6.49	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	23.7.73	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
9	श्री आर0एल0गुप्ता	गाजियाबाद	हरिद्वार	15.3.50	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	16.8.73	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	कोर्ट के निर्देशानुसार सहा0अभि0 के पद पर कार्यरत
10	श्री कुंवरसिंह मटियाली	नैनीताल	नैनीताल	5.3.47	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	20.8.73	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	प्रतिनियुक्ति पर जलागम में सहा0 अभि0 पद पर कार्यरत
11	श्री गणेशलाल वर्मा	नैनीताल	नैनीताल	12.12.50	पि0जा0	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	18.10.73	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
12	श्री ललितकुमार पाण्डेय	पिथौरागढ़	नैनीताल	6.4.55	सामान्य	स्नातको0	डि0मैके0इन्जी0	1.11.73	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	सेवा वाधित
13	श्री हरीश राम आर्य	अल्मोड़ा	बागेश्वर	10-1-49	अनु0जा0	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	23-1-74	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
14	श्री सतीशचन्द्र मैठाणी	पौड़ी	देहरादून	15.6.52	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	3.2.75	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	

15	श्री गजेन्द्र कुमार पाण्डेय	नैनीताल	उ0सिंहनगर	1.5.54	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	6.2.75	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
16	श्री आर0एम0एस0 चौहान	पौड़ी	पौड़ी	10.3.51	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	14.2.75	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
17	श्री डी0एस0भण्डारी	चमोली	रूद्रप्रयाग	15.9.51	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	15.2.75	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
18	श्री विनोदकुमार मित्तल	लखीमपुर	देहरादून	30.6.50	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	16.2.75	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
19	श्री मनोजकुमार करगेती	देहरादून	पौड़ी	10.5.48	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	20.5.75	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	7.8.88 से प्रतिनि0पर जला0 में सहा0 अभि0 के पद पर कार्यरत
20	श्री दर्शनसिंह	हरिद्वार	हरिद्वार	23.7.49	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	1.8.75	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
21	श्री पीयूषचन्द्र पाण्डेय	नैनीताल	नैनीताल	25.12.57	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	1.5.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
22	श्री कमलसिंह चौहान	टिहरी	टिहरी	12.1.54	सामान्य	हाईस्कूल	डि0सि0इन्जी0	8.5.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
23	श्री किशनसिंह रावत	पौड़ी	पौड़ी	1.9.56	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	9.5.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	28.8.98 से प्रतिनि0 पर जला0में सहा0अभि0के पद पर कार्यरत
24	श्री निर्मलकुमार पन्त	पिथौरागढ़	अल्मोडा	7.2.52	सामान्य	हाईस्कूल	डि0सि0इन्जी0	10.5.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
25	श्री के0एस0नेगी	पौड़ी	हरिद्वार	28.10.53	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	10.5.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
26	श्री कुलानन्द नौटियाल	उत्तरकाशी	देहरादून	28.9.55	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	11.5.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
27	श्री वी0एम0लखेड़ा	पौड़ी	पौड़ी	15.5.58	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	12.5.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
28	श्री कमलेश भट्ट	नैनीताल	नैनीताल	30.6.57	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	8.6.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
29	श्री टी0एस0नेगी	पौड़ी	पौड़ी	12.9.55	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	14.6.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
30	श्री एस0के0भट्ट	पौड़ी	पौड़ी	1.7.56	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	14.6.78	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
31	श्री एम0एस0परसोला	पौड़ी	पौड़ी	8.3.57	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	21.9.79	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
32	श्री डी0एन0सिंह	बलिया	चमोली	1.7.53	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	26.11.79	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
33	श्री ए0 के0श्रीवास्तव	गाजीपुर	देहरादून	1.7.56	सामान्य	स्नातक	डि0कृ0इन्जी0	11.12.79	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
34	श्री एल0पी0बडोनी	टिहरी	टिहरी	6.10.57	सामान्य	स्नातक	डि0मैके0इन्जी0	14.4.80	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
35	श्री के0ए0शर्मा	बिजनौर	पौड़ी	1.1.56	पि0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	15.5.80	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	

36	श्री अमरनाथ जुकड़िया	चम्पावत	पिथौरागढ़	16.6.60	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	23.6.80	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
37	श्री ए0 के0 भारद्वाज	मुजफ्फरनगर	टिहरी	13.11.59	सामान्य	हाईस्कूल	डि0सि0इन्जी0	11.8.80	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
38	श्री बी0बी0सिंह	वाराणसी	पौड़ी	1.7.58	सामान्य	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	17.6.82	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
39	श्री सन्तोषकुमार श्रीवास्तव	गाजीपुर	नैनीताल	21.8.59	सामान्य	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	25.7.82	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
40	श्री आर0के0अग्रवाल	बुलन्दशहर	देहरादून	1.5.57	सामान्य	इण्टर	डि0इलै0इन्जी0	5.8.82	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
41	श्री पुष्करसिंह भण्डारी	चमोली	चमोली	3.8.53	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	11.8.82	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
42	श्री रक्षपालसिंह	बदायूँ	उत्तरकाशी	22.7.59	पि0जा0	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	23.9.82	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
43	श्री ओ0एन0तिवाड़ी	बलिया	देहरादून	1.7.61	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	16.10.82	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
44	श्री पी0के0विश्नोई	बिजनौर	देहरादून	10.10.56	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	22.10.82	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
45	श्री राजेशकुमार सिंह	गाजीपुर	नैनीताल	15.10.59	सामान्य	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	1.1.83	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
46	श्री आलोककुमार श्रीवास्तव	बरेली	अल्मोडा	1.1.62	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	18.1.83	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
47	श्री अंगद सिंह	गाजीपुर	उ0सिंहनगर	15.10.60	सामान्य	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	24.1.83	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
48	श्री शिवमंगलसिंह	फर्रूखाबाद	अल्मोडा	27.7.51	पि0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	1.2.83	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
49	श्री अवधूसिंह यादव	गाजीपुर	उत्तरकाशी	1.1.59	पि0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	8.4.83	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
50	श्री जयप्रकाश सिंह	देवरिया	उत्तरकाशी	1.2.57	सामान्य	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	25.5.83	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
51	श्री आशुतोषकुमार शुक्ला	गोरखपुर	देहरादून	1.1.60	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	23.7.83	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
52	श्री रवीन्द्र प्रसाद	देवरिया	देहरादून	15-7-62	अनु0जा0	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	9-11-83	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
53	श्री राकेश बाबू त्रिवेदी	कानपुर	अल्मोडा	15.4.58	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	17.11.83	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
54	श्री शेरसिंह वोरा	अल्मोड़ा	अल्मोडा	1.7.46	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	15.2.84	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
55	श्री विनोदचन्द्र जोशी	अल्मोड़ा	अल्मोडा	25.12.50	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	12.3.84	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
56	श्री ए0के0सक्सैना	बदायूँ	टिहरी	9.6.57	सामान्य	स्नातक	डि0मैके0इन्जी0	1.6.84	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
57	श्री अरूणप्रकाश तिवाड़ी	सौनपुर	पिथौरागढ़	7.3.62	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	25.6.84	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
58	श्री हरिराजसिंह यादव	इटावा	देहरादून	4.4.61	पि0जा0	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	5.7.84	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
59	श्री जयप्रकाश भाष्कर	फैजाबाद	उ0सिंहनगर	5.8.59	अनु0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	6.7.84	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	

60	श्री टी0एन0सिंह यादव	गाजीपुर	पौड़ी	5.3.60	पि0जा0	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	6.7.84	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
61	श्री रामशरण यादव	इटावा	चम्पावत	8.3.62	पि0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	6.7.84	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
62	श्री सुभाष बाबू यादव	इटावा	अल्मोडा	25.1.61	पि0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	11.7.84	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
63	श्री रामअवतार यादव	इटावा	पिथौरागढ़	20.7.62	पि0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	9.10.84	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
64	श्री राकेशकुमार यादव	मैनपुरी	नैनीताल	1.10.63	पि0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	23.11.84	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
65	श्री ए0पी0घिल्डियाल	पौड़ी	पौड़ी	2.7.63	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	23.4.85	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
66	श्री रमेशचन्द्र तिवारी	टिहरी	देहरादून	20.4.62	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	27.4.85	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	शारदा सहा0 परियोजना से विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
67	श्री पृथ्वीसिंह भण्डारी	टिहरी	पौड़ी	5.12.63	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	27.4.85	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
68	श्री नरेन्द्रसिंह बर्त्वाल	रूद्रप्रयाग	हरिद्वार	4.12.61	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	17.8.85	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
69	श्री महेश ध्यानी	देहरादून	उत्तरकाशी	22.6.62	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	9.1.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
70	श्री बच्चीराम कोहली	पौड़ी	चमोली	20.12.58	अनु0जा0	हाईस्कूल	डि0मैके0इन्जी0	13.1.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
71	श्री डी0एस0नेगी	पौड़ी	पौड़ी	9.11.63	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	13.1.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
72	श्री जे0ए0समी	मऊ	देहरादून	15.4.64	पि0जा0	स्नातक	डि0सि0इन्जी0	13.1.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
73	श्री विनय भटट	चमोली	चमोली	15.6.63	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	16.1.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
74	श्री अनिलकुमार	बुलन्दशहर	चम्पावत	30.6.64	पि0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	16.1.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
75	श्री गुरूदेवसिंह	जालन्धर	उत्तरकाशी	10.3.64	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	20.1.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
76	श्री सोहनलाल गैरोला	पौड़ी	उत्तरकाशी	15.1.57	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	30.1.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	12.9.03 से जि0पं0में प्रतिनि0 पर अभि0के पर पर कार्यरत
77	श्री सुनील कुमार गोयल	टिहरी	टिहरी	12.1.60	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	28.6.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
78	श्री पंकज जैन	लखनऊ	पौड़ी	8.6.60	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	2.7.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
79	श्री रामवृक्ष यादव	गाजीपुर	नैनीताल	1.1.63	पि0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	20.7.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
80	श्री रामाश्रय राय	गाजीपुर	चमोली	1.6.62	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	20.9.86	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	
81	श्री सतीशचन्द्र मोर्य	वाराणसी	पौड़ी	25.10.57	पि0जा0	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	13.6.88	अनु0 / विनि	उत्तरॉचल	

82	श्री एम0एस0चौहान	मुजफ्फरनगर	चमोली	1.1.55	सामान्य	बी0एस0सी0	डि0सि0इन्जी0	1.2.89	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	शारदा सहा0 परियोजना से विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
83	श्री जी0बी0उपाध्याय	चम्पावत	नैनीताल	2.1.59	सामान्य		डि0सि0इन्जी0	1.2.89	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	शारदा सहा0 परियोजना से विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
84	श्री वी0के0वर्मा	शाहजहाँपुर	रूद्रप्रयाग	6.2.55	पि0जा0	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	10.2.89	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	शारदा सहा0 परियोजना से विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
85	श्री जे0एस0नेगी	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	3.5.60	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	17.8.89	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
86	श्री बी0डी0बैंजवाल	चमोली	चमोली	23.3.65	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	1.10.91	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
87	श्री एम0एस0फर्स्वाण	चमोली	चमोली	9.1.66	सामान्य	हाईस्कूल	डि0सि0इन्जी0	1.10.91	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
88	श्री त्रिलोकसिंह रावत	टिहरी	टिहरी	20.12.46	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	17.12.91	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
89	श्री सुखवीरसिंह रावत	पौड़ी	पौड़ी	19.2.61	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	5.8.93	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
90	श्री ए0जेड0बेग	सुल्तानुपर	पौड़ी	2.3.66	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	31.10.94	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
91	श्री अतुलकुमार पाठक	इटावा	टिहरी	1.2.72	सामान्य	इण्टर	बी0टेक कृषि	24-8-99	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	डिग्रीधारी
92	श्री दिनेशचन्द्र मिश्र	देवरिया	टिहरी	15.4.74	सामान्य	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	24-8-99	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
93	श्री सन्दीप	देहरादून	उत्तरकाशी	21.8.67	सामान्य	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	24-8-99	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
94	श्री राजीव रंजन	लखनऊ	बागेश्वर	15.3.72	सामान्य	इण्टर	बी0टेक कृषि	24-8-99	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	डिग्रीधारी
95	श्री राकेशकुमार	मिर्जापुर	अल्मोडा	6.7.70	पि0जा0	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	24-8-99	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
96	श्री विनयकुमार सिंह	इलाहाबाद	चम्पावत	2.6.73	पि0जा0	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	24-8-99	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	डिग्रीधारी
97	श्री नरेशकुमार	बिजनौर	टिहरी	1.5.63	अनु0जा0	हाईस्कूल	डि0कृ0इन्जी0	24-8-99	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	डिप्लोमा
98	श्री गोवर्द्धन सिंह	अलीगढ़	पिथौरागढ़	5.11.75	अनु0जा0	इण्टर	डि0कृ0इन्जी0	24-8-99	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	डिप्लोमा
99	श्री भरत राम	महाराजगंज	पौड़ी	20.4.75	अनु0जा0	इण्टर	डि0मैके0इन्जी0	14.7.2000	अनु0/विनि	उत्तरॉचल	
100	श्री मुहम्मद फारूख	अल्मोड़ा	अल्मोडा	17.7.45	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
101	श्री श्याम सिंह विष्ट	अल्मोड़ा	अल्मोडा	14.1.60	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत

102	श्री रामसिंह मलसूनी	पिथौरागढ़	उधमसिंनगर	8.9.51	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
103	श्री रमेश चन्द्र गरजोला	नैनीताल	उधमसिंनगर	6.12.51	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
104	श्री मोहनचन्द्र त्रिपाटी	पौड़ी	बागेश्वर	14.11.59	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
105	श्री सुरेन्द्र लाल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	7.7.55	अनु0जा0	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
106	श्री प्रमोद सिंह	बागेश्वर	अल्मोडा	3.4.58	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
107	श्री प्रकाश चन्द्र तिवाडी	अल्मोड़ा	अल्मोडा	2.5.59	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
108	श्री सतीश चन्द्र	पीलीभीत	बागेश्वर	11.7.55	पि0जा0	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
109	श्री सौकार सिंह रावत	टिहरी	टिहरी	1.2.53	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
110	श्री अमर सिंह	बिजनौर	पौड़ी	28.11.57	अनु0जा0	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
111	श्री बीरेन्द्रसिंह पयाल	देहरादून	देहरादून	10.6.55	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
112	श्री दिनेशचन्द्र चमोली	पौड़ी	पौड़ी	8.12.56	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
113	श्री वीरेन्द्र कुमार चौहान	बिजनौर	टिहरी	1.1.59	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
114	श्री जगदीशसिंह खोलिया	अल्मोडा	नैनीताल	1.7.58	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
115	श्री नत्थु सिंह	बिजनौर	पौड़ी	10.6.59	अनु0जा0	बी0ए0	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
116	श्री बद्री प्रसाद	पौड़ी	पौड़ी	28.11.57	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
117	श्री मनोहरसिंह राना	उधमसिंहनगर	चम्पावत	10.4.63	अनु0जा0	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
118	श्री विश्व चन्द्र विश्वास	उधमसिंहनगर	देहरादून	1.12.57	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
119	श्री पी0सी0जोशी	बागेश्वर	नैनीताल	8.6.63	सामान्य	बी0ए0	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
120	श्री एम0एस0 बहुगुणा	टिहरी	रूद्रप्रयाग	25.10.58	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
121	श्री कैलाश चन्द्र पाठक	पिथौरागढ़	नैनीताल	18.12.61	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत

122	श्री धनीराम	नैनीताल	पिथौरागढ़	3.1.64	अनु0जा0	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	5-2-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
123	श्री रामकृष्ण	इटावा	चमोली	8.11.54	अनु0जा0	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	7-6-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
124	श्री जयसिंह चौहान	देहरादून	हरिद्वार	5.9.52	सामान्य	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	7-6-04	नहीं	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत

(एस0ए0असगर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत कनिष्ट अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

संख्या 1439/ल0सिं0/स्था0–1(ज्ये0सू0)/2012–13 दिनांक 27 नवम्बर 2012

क0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता का नाम	गृहजनपद	कार्यरत जनपद	जन्मतिथि	जाति	योग्यता		विभाग में नियुक्ति की तिथि	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन /विनि0	सम्वर्ग	अन्य विवरण
							शैक्षिक	प्राविधिक				
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	125	श्री राजीव रंजन	हरिद्वार	हरिद्वार	30.12.68	सामान्य	इण्टर	बी0टैक0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
2	126	श्री राजेन्द्रसिह रावत	पौड़ी	पिथौरागढ़	13.6.76	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
3	127	श्री सतीश कुमार शर्मा	देहरादून	रूद्रप्रयाग	30.6.71	सामान्य	एम0ए0	डि0सि0इन्जी0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
4	128	श्री आशीष ममगांई	चमोली	चमोली	26.1.80	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
5	129	श्री राजेन्द्रसिंह नेगी	नैनीताल	चमोली	30.6.70	सामान्य	इण्टर	डि0मै0इंजी0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
6	130	श्री नन्दनसिंह मेलड़ा	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	28.12.69	सामान्य	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
7	131	श्री अम्बरीश राठी	देहरादून	पौड़ी	1.6.71	पि0जा0	हाईस्कूल	डि0सि0इन्जी0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
8	132	श्री मोहन लाल	टिहरी	पिथौरागढ़	15.6.69	अनु0जा0	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
9	133	श्री गजेन्द्र पाल	हरिद्वार	पिथौरागढ़	6.3.69	अनु0जा0	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
10	134	श्री राकेश कुमार	देहरादून	टिहरी	7.10.80	अनु0जा0	इण्टर	डि0सि0इन्जी0	30-11-04	अनु0/विनि0	उत्तरॉचल	–
11	135	श्री आर0चौधरी	नैनीताल	उ0सिंहनगर	31.3.54	पि0जा0	इण्टर	आई0टी0आई0	02.08.05	नहीं/विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
12	136	श्री आनन्द सिंह बिष्ट	अल्मोड़ा	चम्पावत	14.12.59	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	02.08.05	नहीं/विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
13	137	श्री नरेन्द्र सिह अधिकारी	नैनीताल	अल्मोडा	25.3.59	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	02.08.05	नहीं/विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
14	138	श्री ख्यालीदत्त काण्डपाल	बागेश्वर	पिथौरागढ़	3.5.59	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	02.08.05	नहीं/विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
15	139	श्री पी0सी0शर्मा	नैनीताल	उधमसिंनगर	17.7.61	सामान्य	इण्टर	आई0टी0आई0	02.08.05	नहीं/विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत

16	140	श्री बी0आर0आर्य	नैनीताल	उ0सिं0नगर	15.4.60	अनु0जा0	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	02.08.05	नहीं / विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
17	141	श्री मोहन लाल	नैनीताल	चम्पावत	25-9-58	अनु0जा0	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	02-8-11	अनु0 / विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
18	142	श्री टी0सी0दुर्गापाल	नैनीताल	अल्मोडा	15-5-61	सामान्य	बी0ए0	आई0टी0आई0	02-8-11	अनु0 / विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
19	143	श्री महावीर सिंह	बिजनौर	नैनीताल	14-3-57	पि0जा0	इण्टर	आई0टी0आई0	02-8-11	अनु0 / विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
20	144	श्री विजय कुमार	मिर्जापुर	पौड़ी	26-4-60	पि0जा0	हाईस्कूल	आई0टी0आई0	02-8-11	अनु0 / विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
21	145	श्री सतीश कुमार गुप्ता	सहारनपुर	पौड़ी	15-12-61	सामान्य	बी0ए0	डि0यांत्रिक	02-8-11	अनु0 / विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत
22	146	श्री पुष्कर सिंह नेगी	पौड़ी	टिहरी	16-4-64	सामान्य	बी0ए0	आई0टी0आई0	02-8-11	अनु0 / विनि0	उत्तरॉचल	बो0टैक्नी0से प्रोन्नत

(मुहम्मद उमर)

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग के सहायक बोरिंग टैक्नीशियन वेतनक्रम 3050–4590 (पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे–1900) में कार्यरत कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

संख्या 1443 / ल0सिं0 / स्था0–7(X) / ज्ये0सू0 / 2013–14 दिनांक : 30 अक्टूबर 2013 का संलग्नक

ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	गृहजनपद	कार्यरत जनपद एवं पद		जन्मतिथि	जाति	शैक्षिक / प्राविधिक योग्यता	सहायक बोरिंग टैक्नीशिन के पद पर नियुक्ति की तिथि	स्थाई / अस्थाई	अन्य विवरण
			जनपद	पद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री पूरण सिंह	देहरादून	देहरादून	बोरिंग टैक्नीशियन	04-03-1953	सामान्य	हाईस्कूल / आई0टी0आई0	06-12-1978	स्थाई	दिनांक 31–03–2013 को सेवानिवृत्त।
2	श्री सुरेन्द्र सिंह	देहरादून	उत्तरकाशी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	02-06-1955	अनु0जा0	हाईस्कूल / आई0टी0आई0	26-12-1980	स्थाई	–
3	श्री महिपाल सिंह	चमोली	चमोली	बोरिंग टैक्नीशियन	23-12-1951	सामान्य	मिडिल / आई0टी0आई0	16-02-1982	स्थाई	दिनांक 31–12–2011 को सेवानिवृत्त।
4	श्री रमेश चन्द्र	देहरादून	टिहरी	बोरिंग टैक्नीशियन	05-11-1957	पि0जाति	मिडिल / आई0टी0आई0	06-12-1982	स्थाई	–
5	श्री माधो	देहरादून	देहरादून	बोरिंग टैक्नीशियन	03-04-1953	अनु0जा0	मिडिल / आई0टी0आई0	28-02-1983	स्थाई	दिनांक 30–04–2013 को सेवानिवृत्त।
6	श्री किशन सिंह कार्की	बागेश्वर	बागेश्वर	बोरिंग टैक्नीशियन	03-08-1958	सामान्य	हाईस्कूल / आई0टी0आई0	19-05-1986	स्थाई	–
7	श्री एम0एस0गौड़	ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	बोरिंग टैक्नीशियन	01-07-1965	सामान्य	एम0ए0 / आई0टी0आई0	25-05-1986	स्थाई	–
8	श्री कुंवर सिह रावत	रूद्रप्रयाग	टिहरी	बोरिंग टैक्नीशियन	16-06-1958	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	01-07-1986	स्थाई	मृत्यु हो चुकी है।
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	नैनीताल	नैनीताल	बोरिंग टैक्नीशियन	22-01-1960	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	01-07-1986	स्थाई	–
10	श्री राजेश कुमार कम्बौज	नैनीताल	पौड़ी	बोरिंग टैक्नीशियन	13-04-1961	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	01-7-1986	स्थाई	–
11	श्री जी0सी0लोहनी	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	बोरिंग टैक्नीशियन	12-02-1962	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	01-07-1986	स्थाई	–
12	श्री गोविन्द राम	नैनीताल	चमोली	बोरिंग टैक्नीशियन	02-12-1968	अनु0जा0	हाईस्कूल / आई0टी0आई0	17-01-1991	स्थाई	–

13	श्री नारायण राम	पिथौरागढ़	टिहरी	बोरिंग टैक्नीशियन	20-05-1960	अनु0जा0	हाईस्कूल / आई0टी0आई0	28-01-1991	स्थाई	–
14	श्री रामेश्वर दास	हरियाणा	हरिद्वार	बोरिंग टैक्नीशियन	03-06-1953	अनु0जा0	मिडिल / आई0टी0आई0	16-08-1995	अस्थाई	मृत्यु हो चुकी है।
15	श्री धर्मपाल	देहरादून	उत्तरकाशी	बोरिंग टैक्नीशियन	14-12-1956	अनु0जा0	इण्टर / आई0टी0आई0	01-04-1997	अस्थाई	–
16	श्री प्रमोद सिंह मेहता	बागेश्वर	बागेश्वर	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	10-08-1979	सामान्य	हाईस्कूल / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
17	श्री संजीव वर्मा	देहरादून	देहरादून	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	02-04-1966	अ0पि0वर्ग (अनारक्षित)	बी0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
18	श्री कांती प्रसाद पेटवाल	टिहरी	टिहरी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	21-08-1978	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
19	श्री राजेन्द्र सिंह	पौड़ी	पौड़ी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	04-08-1964	सामान्य	हाईस्कूल / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
20	श्री भगवान सिंह पंवार	टिहरी	टिहरी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	03-05-1978	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
21	श्री दिनेश कुमार	देहरादून	देहरादून	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	15-06-1975	अनु0जा0 (अनारक्षित)	एम0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
22	श्री मंगलसिंह	टिहरी	टिहरी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	28-04-1976	सामान्य	बी0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
23	श्री लक्ष्मीदत्त जोशी	देहरादून	टिहरी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	30-06-1972	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
24	श्री संजय कुमार बहुगुणा	देहरादून	चमोली	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	02-08-1971	सामान्य	इण्टर /त्रिवर्षीय डिप्लोमा	18-12-2006	स्थाई	–
25	श्री गिरीश लाल शाह	नैनीताल	अल्मोड़ा	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	20-02-1972	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
26	श्री अजीत कुमार	हरिद्वार	रूद्रप्रयाग	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	01-07-1981	अ0पि0वर्ग (अनारक्षित)	एम0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
27	श्री रोहित कुमार	ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंनगर	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	08-04-1986	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
28	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	नैनीताल	अल्मोड़ा	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	06-07-1979	सामान्य	बी0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–

29	श्री दीपक चन्द्र	पौड़ी	पौड़ी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	18-08-1977	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
30	श्री महेन्द्र सिंह	नैनीताल	नैनीताल	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	22-06-1977	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
31	श्री भूपेन्द्र सिंह रावत	पौड़ी	पौड़ी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	28-06-1977	सामान्य	इण्टर / त्रिवर्षीय डिप्लोमा(मैके0)	18-12-2006	अस्थाई	
32	श्री महेन्द्र सिंह सतवाल	ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंनगर	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	22-12-1975	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
33	श्री पार्थ कुमार बडोनी	देहरादून	रूद्रप्रयाग	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	07-05-1978	सामान्य	हाईस्कूल / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
34	श्री सुरजीत सिंह रावत	देहरादून	देहरादून	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	21-07-1974	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
35	श्री महेश लाल आर्य	नैनीताल	अल्मोड़ा	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	25-07-1973	अनु0जा0 (अनारक्षित)	एम0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
36	श्री अनवर अली	देहरादून	चम्पावत	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	10-07-1977	अ0पि0वर्ग	बी0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	–	सेवा से त्याग–पत्र।
37	श्री जितेन्द्र सिंह कार्की	देहरादून	चमोली	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	26-05-1969	अ0पि0वर्ग	बी0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
38	श्री डब्बल सिंह रावत	पौड़ी	चमोली	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	05-03-1975	सामान्य	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
39	श्री संजय कुमार	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	25-06-1971	अ0पि0वर्ग	बी0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
40	श्री रविन्द्र सिंह	हरिद्वार	हरिद्वार	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	10-10-1976	अ0पि0वर्ग	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
41	श्री हंसराज	हरिद्वार	हरिद्वार	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	05-03-1974	अनु0जा0	हाईस्कूल / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
42	श्री प्रमोद कुमार सिंह	नैनीताल	पिथौरागढ़	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	15-06-1978	अनु0जा0	बी0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–
43	श्री विजय शंकर कौशिक	देहरादून	पौड़ी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	23-01-1970	अनु0जा0	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	अस्थाई	–

44	श्री राजेन्द्र सिंह पाल	देहरादून	उत्तरकाशी	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	01-02-1968	अ0पि0वर्ग	इण्टर / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	–
45	श्री धर्मदेव त्यागी	हरिद्वार	देहरादून	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	10-07-1978	सामान्य	बी0ए0 / आई0टी0आई0	18-12-2006	स्थाई	
46	श्री गिरीश चन्द्र मुनगली	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	08-07-1975	सामान्य	बी0ए0 / आई0टी0आई0	02-06-2007	अस्थाई	–
47	श्री महेश कुमार	नैनीताल	नैनीताल	सहा0बोरिंग टैक्नीशियन	05-01-1980	अनु0जा0	इण्टर / आई0टी0आई0	04-06-2007	स्थाई	–

स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग में प्रारूपकार सम्वर्ग 4000–6000 में कार्यरत कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची

क0सं0	कर्मचारी का नाम	तैनाती स्थान	जन्मतिथि	पद पर योगदान	जाति	स्थाई/अस्थाई	अन्य विवरण
1	श्री तिलक सिंह नेगी	देहरादून	1-7-52	23-5-79	सामा0	स्थाई	–
2	श्री सुरेन्द्र कुमार टम्टा	पिथौरागढ़	5-8-59	13-7-81	अनु0जा0	स्थाई	–
3	श्री पुष्कर सिंह बिष्ट	नैनीताल	29-5-58	16-3-85	सामा0	स्थाई	–
4	श्री नवीन चन्द्र शर्मा	देहरादून	4-1-53	30-10-2000	सामा0	अस्थाई	–
5	श्री राजेन्द्र सिंह मस्युनी	नैनीताल	1-1-66	16-11-2000	सामा0	अस्थाई	–

(एस0ए0असगर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून

लघु सिंचाई विभाग में अमीन सम्वर्ग 3050–4590 में कार्यरत कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची							
क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	तैनाती स्थान	जन्मतिथि	पद पर योगदान	जाति	स्थाई/अस्थाई	अन्य विवरण
1	श्री घनानन्द शर्मा	देहरादून	25-7-50	27-11-71	सामा0	स्थाई	–
2	श्री हुकमसिंह चौहान	अल्मोडा	10-9-60	22-3-82	सामा0	स्थाई	–
3	श्री जगदीश चन्द्र जोशी	चम्पावत	30-12-57	15-2-84	सामा0	स्थाई	–
4	श्री किशन राम	अल्मोडा	12-1-56	5-4-84	अनु0जा0	स्थाई	–
5	श्री सुधीर जोशी	पिथौरागढ़	9-7-78	30-8-96	सामा0	स्थाई	–
6	श्री नन्दन सिंह	पौड़ी	5-4-68	1-8-97	सामा0	स्थाई	–
7	श्री रोशन लाल	टिहरी	15-6-64	6-8-97	अनु0जा0	स्थाई	–
8	श्री चन्दन सिंह महेता	नैनीताल	22-5-72	17-3-2001	सामा0	स्थाई	–

(एस0ए0असगर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून

लघु सिंचाई विभाग में अनुरेखक सम्वर्ग 3050–4590 में कार्यरत कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची

क0सं0	कर्मचारी का नाम	तैनाती स्थान	जन्मतिथि	पद पर योगदान	जाति	स्थाई/अस्थाई	अन्य विवरण
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद	पौड़ी	20-3-59	28-5-82	सामा0	स्थाई	–
2	श्री विद्याघर पाण्डे	अल्मोडा	8-7-86	13-8-84	सामा0	स्थाई	–
3	श्री खेमपालसिंह धपोला	नैनीताल	15-5-64	5-9-85	सामा0	स्थाई	–
4	श्री बिनोद चन्द्र पाण्डे	नैनीताल	15-11-64	5-9-85	सामा0	स्थाई	–
5	श्री मनोज कुमार	उत्तरकाशी	5-9-69	1-8-97	सामा0	स्थाई	–

(एस0ए0असगर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून

लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत वयैक्तिक सहायक (आशुलिपिक) वेतनक्रम 4000–6000, (पुनरीक्षित–वेतनमान 5200–20200 ग्रेड–वेतन 2800) में कार्यरत कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची।

संख्या 509/ल0सिं0/स्था0–7(XV)/2012–13 दिनांक : 15 जून, 2012

ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम	तैनाती स्थान	जन्मतिथि	आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि	विभाग में आशुलिपिक के पद पर योगदान की तिथि	जाति	स्थाई/ अस्थाई	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री रमेश चन्द्र आर्य	नैनीताल	26-12-1946	20-04-1979	20-04-1979	अनु0जा0	स्थाई	सेवानिवृत्त
2	श्रीमती लता पन्त	पौड़ी वृत्त	02-08-1971	09-01-2004	09-01-2004	सामा0	अस्थाई	–
3	श्री भूपाल सिंह बिष्ट	पौड़ी खण्ड	01-01-1964	25-02-2004	25-02-2004	सामा0	स्थाई	–
4	श्री दिनेश सिंह बिष्ट	मु0अभि0एवं विभा0 कार्या0	28-05-1980	18-12-2006	19-12-2006	सामा0	अस्थाई	–
5	श्री जगमोहन सिंह रावत	वृत्त कार्या0 पौड़ी	01-07-1972	18-12-2006	18-12-2006	सामा0	स्थाई	–
6	श्री रामगोपाल सिंह पंवार	खण्ड, उत्तरकाशी	05-03-1980	18-12-2006	19-12-2006	सामा0	स्थाई	–
7	श्रीमती हेमलता पाठक	खण्ड, बागेश्वर	25-11-1984	18-12-2006	20-12-2006	सामा0	अस्थाई	–
8	श्री दुर्गा दत्त रतूड़ी	खण्ड, टिहरी	10-01-1984	18-12-2006	19-12-2006	सामा0	स्थाई	–
9	श्री नासिर हुसैन	मु0अभि0एवं विभा0 कार्या0	30-06-1979	18-12-2006	23-12-2006	अ0पि0व0	अस्थाई	–
10	श्री दीपक कुमार पट्टनवाल	खण्ड,देहरादून	23-02-1981	18-12-2006	19-12-2006	अनु0जा0	स्थाई	–
11	श्री उमेश कुमार	खण्ड, ऊधमसिंह नगर	21-06-1985	18-12-2006	28-12-2006	अनु0जा0	अस्थाई	–

स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 762 / ल0सिं0 / स्था0–7(XV) / ज्ये0सू0 / 2013–14 दिनांक : 20, जुलाई 2013

लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ लिपिक वेतनक्रम 3050–4590 (पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे–2000) में कार्यरत कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय / जनपद	जन्मतिथि	जाति	शैक्षिक / प्राविधिक योग्यता	विभाग में कनिष्ठ लिपिक पद के पद पर नियुक्ति की तिथि	वर्तमान पद	स्थाई / अस्थाई	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री चतुरा प्रसाद पन्त	चमोली	हरिद्वार	28-07-1956	सामान्य	स्नातक	23-04-1979	प्रशासनिक अधिकारी	स्थाई	–
2	श्री प्रेम सिंह रावत	पौड़ी	देहरादून	07-01-1956	सामान्य	इण्टर	18-05-1979	प्रशासनिक अधिकारी	स्थाई	–
3	श्री भीम सिंह	रूद्रप्रयाग	चमोली	17-04-1960	सामान्य	स्नातक	18-5-1979	प्रशासनिक अधिकारी	स्थाई	–
4	श्रीमती जसवन्ती डेनियल	देहरादून	देहरादून	15-06-1955	सामान्य	इण्टर	26-05-1979	–	स्थाई	प्रधान सहायक के पद पर रहते हुए दिनांक 31.07.2012 को निधन
5	श्री मनबीर सिंह बिष्ट	उत्तरकाशी	देहरादून	20-07-1958	सामान्य	स्नातक	04-06-1979	प्रधान सहायक	स्थाई	–
6	श्री पूरन सिंह	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	11-08-1957	सामान्य	एम0ए0	12-07-1979	प्रधान सहायक	स्थाई	–
7	श्री विजय कुमार आहुजा	देहरादून	देहरादून	19-02-1955	सामान्य	बी0कॉम	14-09-1979	प्रशासनिक अधिकारी	स्थाई	–
8	श्री जोगेश्वर प्रसाद मैठाणी	उत्तरकाशी	पौड़ी	10-11-1954	सामान्य	एम0ए0	02-11-1979	प्रधान सहायक	स्थाई	–
9	श्रीमती कुमुद हावर्ड	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	17-02-1953	सामान्य	इण्टर	29-02-1980	–	स्थाई	प्रधान सहायक पद से दिनांक 28–02–2013 को सेवानिवृत्त
10	श्रीमती नीलमबाला	देहरादून	देहरादून	23-10-1958	सामान्य	एम0ए0	24-04-1981	प्रधान सहायक	स्थाई	–
11	श्री महेन्द्र कुमार	नैनीताल	नैनीताल	24-09-1958	सामान्य	इण्टर	10-07-1981	–	स्थाई	वरिष्ठ सहायक के पद पर रहते हुए निधन।
12	श्री सुरेन्द्र दत्त बिजल्वाण	टिहरी	हरिद्वार	02-12-1961	सामान्य	एम0ए0	04-12-1984	प्रधान सहायक	स्थाई	–
13	श्री अनिल कुमार	हरिद्वार	देहरादून	28-02-1959	सामान्य	एम0ए0	30-05-1987	प्रधान सहायक	स्थाई	–
14	श्रीमती गंगा मेहता	बागेश्वर	नैनीताल	05-01-1964	सामान्य	स्नातक	29-02-1988	प्रधान सहायक	स्थाई	–

15	श्रीमती पुष्पा पन्त	ऊधमसिंहनगर	नैनीताल	12-04-1960	सामान्य	एम0ए0	25-03-1989	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
16	श्री बहादुर राम	अल्मोड़ा	देहरादून	01-12-1958	अनु0जाति	इण्टर	22-05-1992	प्रशासनिक अधिकारी	स्थाई	–
17	श्रीमती हरजीत कौर	देहरादून	देहरादून	26-03-1970	सामान्य	एम0ए0	04-07-1992	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
18	श्रीमती मधु गोयल	अलीगढ़	ऊधमसिंहनगर	14-07-1959	सामान्य	एम0ए0	21-11-1994	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
19	श्री बलवन्त सिंह	सहारनपुर	टिहरी	20-02-1960	अनु0जाति	इण्टर	01-12-1995	प्रशासनिक अधिकारी	स्थाई	–
20	श्रीमती निरूपमा वर्मा	देहरादून	देहरादून	30-08-1958	सामान्य	इण्टर	01-10-1996	–	स्थाई	कनिष्ठ सहायक के पद पर रहते हुए निधन।
21	श्री अजयकुमार	ऊधमसिंहनगर	चम्पावत	06-10-1978	सामान्य	स्नातक	08-04-1997	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
22	श्री दयाल सिंह	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	02-05-1969	अनु0जाति	स्नातक	08-08-1997	प्रधान सहायक	स्थाई	–
23	श्री सतीश कुमार	पौड़ी	पौड़ी	24-2-1975	अनु0जाति	स्नातक	14-08-1997	प्रधान सहायक	स्थाई	–
24	श्री रानेश डोबरियाल	पौड़ी	देहरादून	30-6-1964	सामान्य	स्नातक	30-08-1997	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
25	श्रीमती बबीता	पौड़ी	पौड़ी	04-07-1978	सामान्य	इण्टर	10-05-1999	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
26	श्री जगदीश भाकुनी	अल्मोड़ा	नैनीताल	30-06-1973	सामान्य	एम0ए0	06-01-2000	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
27	श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल	टिहरी	टिहरी	24-06-1952	सामान्य	एम0ए0	04-02-2000	–	स्थाई	वरिष्ठ सहायक के पद से दिनांक 30.06.2012 को सेवानिवृत्त
28	श्री मुनेन्द्र झल्डियाल	टिहरी	चमोली	10-10-1975	सामान्य	स्नातक	23-05-2000	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
29	श्रीमती रूपा रावत	देहरादून	देहरादून	02-09-1971	सामान्य	स्नातक	16-09-2000	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
30	श्री दलवीरसिंह रावत	पौड़ी	पौड़ी	26-02-1972	सामान्य	इण्टर	30-10-2000	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
31	कु0 चन्द्रा बोरा	नैनीताल	ऊधमसिंहनगर	30-04-1965	सामान्य	स्नातक	01-12-2000	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
32	श्रीमती अनिता पुरोहित	चमोली	चमोली	12-03-1982	सामान्य	एम0ए0	01-12-2000	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
33	श्री असदउल्ला खान	रामपुर	अल्मोड़ा	06-01-1982	पि0जाति	एम0ए0	01-01-2001	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
34	श्रीमती ऊषा पन्त	नैनीताल	नैनीताल	28-06-1964	सामान्य	स्नातक	08-05-2001	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
35	श्रीमती सुमन यादव	इटावा	पौड़ी	05-12-1968	पि0जाति	इण्टर	07-07-2001	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
36	श्री ललित सिंह मनराल	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	15-08-1975	सामान्य	इण्टर	05-10-2001	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
37	श्री दीपकचन्द्र पाण्डे	नैनीताल	बागेश्वर	01-12-1980	सामान्य	इण्टर	01-04-2002	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
38	श्री चन्द्र प्रकाश	टिहरी	टिहरी	19-04-1984	सामान्य	स्नातक	01-05-2002	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
39	श्री सुरेशचन्द्र त्यागी	देहरादून	देहरादून	15-11-1947	सामान्य	इण्टर	17-11-2003	–	सामान्य	कनिष्ठ सहायक के पद से दिनांक 30.11.2007 को सेवानिवृत्त
40	श्री मंगत कुमार	पौड़ी	उत्तरकाशी	05-06-1964	अनु0जाति	इण्टर	24-05-2004	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
41	श्री भैरवदत्त काला	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	12-01-1965	सामान्य	इण्टर	24-05-2004	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–

42	श्री पंकज रावत	नैनीताल	पिथौरागढ़	12-12-1980	सामान्य	बी0ए0	15-07-2004	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
43	श्री सुन्दर सिंह दौसाद	बागेश्वर	अल्मोड़ा	24-05-1985	सामान्य	इण्टर	26-08-2004	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
44	श्रीमती गीता पाल	पिथौरागढ़	नैनीताल	03-03-1958	सामान्य	एम0ए0	16-11-2004	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
45	श्रीमती रश्मि मैठाणी	रूद्रप्रयाग	देहरादून	20-03-1976	सामान्य	एम0ए0	04-02-2005	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
46	श्री रामाधार शर्मा	सीतापुर	हरिद्वार	01-07-1952	सामान्य	स्नातक	04-03-2005	–	स्थाई	कनिष्ठ सहायक के पद से दिनांक 30.06.2012 को सेवानिवृत्त
47	श्री ललित कुमार	मथुरा	देहरादून	15-02-1965	सामान्य	एम0ए0	04-03-2005	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
48	श्री राजेन्द्र प्रसाद झल्डियाल	पौड़ी	पौड़ी	20-03-1959	सामान्य	इण्टर	11-04-2005	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	अनुरेखक पद से संवर्ग परिवर्तन
49	श्री बंका सिह पंवार	टिहरी	टिहरी	25-05-1968	सामान्य	इण्टर	21-05-2005	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
50	श्री हरीशचन्द्र पाण्डे	नैनीताल	अल्मोड़ा	01-12-1962	सामान्य	इण्टर	27-05-2005	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
51	श्री प्रवीण कुमार	देहरादून	देहरादून	20-02-1980	सामान्य	इण्टर	06-06-2005	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
52	श्री घनानन्द बिडालिया	पौड़ी	चमोली	30-06-1965	सामान्य	एम0ए0	28-09-2005	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
53	श्रीमती रेनु ध्यानी	देहरादून	देहरादून	31-05-1963	सामान्य	एम0ए0	23-11-2005	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
54	कु0 गुंजन चौहान	पौड़ी	पौड़ी	03-01-1988	सामान्य	इण्टर	29-03-2006	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
55	श्रीमती मधु सक्सेना	बदायूँ	देहरादून	14-8-1962	सामान्य	एम0ए0	12-07-2006	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
56	श्रीमती रीना नेगी	चमोली	चमोली	01-06-1985	सामान्य	एम0ए0	16-09-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
57	श्री हुकुम सिंह चौहान	नैनीताल	अल्मोड़ा	10-09-1960	सामान्य	इण्टर	0 4-10-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	अमीन पद से संवर्ग परिवर्तन
58	श्री सन्दीप सिंह रावत	पौड़ी	देहरादून	05-06-1974	सामान्य	स्नातक	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
59	श्री महेन्द्रप्रताप सिंह	देहरादून	हरिद्वार	08-05-1983	अनु0जाति	एम0ए0	18-12-2006	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
60	श्री विकास चन्द्र आर्य	नैनीताल	नैनीताल	15-08-1980	अनु0जाति	एम0ए0	18-12-2006	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
61	श्री हरीशचन्द्र	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	02-01-1979	अनु0जाति	एम0ए0	18-12-2006	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
62	श्री प्रदीप कुमार	देहरादून	उत्तरकाशी	04-07-1981	पि0जाति	स्नातक	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
63	श्री प्रेम पौहरी	अल्मोड़ा	बागेश्वर	05-07-1982	अनु0जाति	इण्टर	18-12-2006	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
64	श्री नईम अहमद	हरिद्वार	हरिद्वार	24-07-1981	पि0जाति	स्नातक	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
65	श्री हरीशचन्द्र चन्याल	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	02-06-1963	अनु0जाति	इण्टर	18-12-2006	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
66	श्री विनय प्रकाश	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	18-01-1972	अनु0जाति	इण्टर	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
67	श्री शमशेर सिंह	देहरादून	उत्तरकाशी	10-05-1974	अ0ज0जा0	एम0ए0	18-12-2006	वरिष्ठ सहायक	स्थाई	–
68	श्री देवेन्द्र प्रसाद टम्टा	पिथौरागढ़	बागेश्वर	20-10-1971	अनु0जाति	स्नातक	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
69	श्री कुशाल सिंह	टिहरी	टिहरी	10-10-1981	सामान्य	स्नातक	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	क्षैतिज आरक्षण

70	श्री पवन कुमार सिंह	नैनीताल	नैनीताल	07-09-1976	अनु0जाति	एम0ए0	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
71	श्री तीर्थराज निराला	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	0 5-08-1968	अनु0जाति	इण्टर	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
72	कु0 सीमा पाल	देहरादून	पौड़ी	18-06-1980	पि0जाति	एम0ए0	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	–
73	श्री सुरेन्द्रं सिंह चौहान	देहरादून	पिथौरागढ़	26-08-1973	अ0ज0जा 0	इण्टर	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	दिनांक 20.07.2007 को सेवा से त्याग–पत्र।
74	श्री राजेश कुमार	देहरादून	उत्तरकाशी	04-02-1977	पि0जाति	एम0ए0	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
75	श्री महेश कुमार	देहरादून	हरिद्वार	12-08-1979	पि0जाति	स्नातक	18-12-2006	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
76	श्रीमती ममता जोशी	नैनीताल	नैनीताल	12-05-1987	सामान्य	स्नातक	28-12-2006	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
77	श्रीमती दुलारी नेगी	पौड़ी	पौड़ी	18-12-1971	सामान्य	स्नातक	08-05-2007	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	–
78	श्रीमती शान्ति बिष्ट	नैनीताल	नैनीताल	05-03-1964	सामान्य	एम0ए0	05-07-2007	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
79	श्री रघु वर्मा	देहरादून	देहरादून	24-01-1987	सामान्य	इण्टर	09-07-2007	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित

नोट – लिपिक वर्गीय सेवा में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों को, जो दिनांक 12–07–2007 को या इससे पूर्व नियुक्त हैं, को अन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया ग

स्टाफ अधिकारी,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

(मुहम्मद उमर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ सहायक वेतनक्रम वेतन बैंड–1, वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे–रू0 2000 (01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स लेवल–3, वेतनमान रू0 21700–69100) में कार्यरत कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

संख्या 1507/ल0सिं0/स्था0–7(XV)/ज्ये0सू0/2018–19 दिनांक : 05 नवम्बर 2018 का संलग्नक

ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय/जनपद	जन्मतिथि	जाति	शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता	विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की तिथि	वर्तमान पद	स्थाई/ अस्थाई	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ज्येष्ठता क्रमांक–79 से आगे										
80	श्री चन्द्रशेखर	पौड़ी	उत्तरकाशी	25-05-1665	अनु0जाति	इण्टर	16-07-2007	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	चतुर्थ श्रेणी पद से पदोन्नत
81	श्री केशर सिंह बिष्ट	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	20-03-1977	सामान्य	इण्टर	25-07-2007	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	चतुर्थ श्रेणी पद से पदोन्नत
82	श्री दयाल सिंह	अल्मोड़ा	चमोली	22-10-1979	सामान्य	इण्टर	12-07-2007	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	चतुर्थ श्रेणी पद से पदोन्नत
83	श्री पीयूष वर्मा	बस्ती (उ0प्र0)	चम्पावत	25-04-1983	पि0जाति	इण्टर	16-07-2007	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	चतुर्थ श्रेणी पद से पदोन्नत
84	श्री कुलदीप सकलानी	रूद्रप्रयाग	टिहरी	12-09-1989	सामान्य	इण्टर	09-10-2007	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
85	श्री अमित राणा	ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	14-10-1988	अ0ज0जा0	इण्टर	02-05-2008	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
86	श्री रवि चौहान	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	01-03-1983	सामान्य	स्नातक	16-12-2008	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
87	श्री रविन्द्र कुमार	कैथल,हरियाणा	हरिद्वार	02-04-1986	अनु0जाति	एम0ए0	26-02-2009	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	सेवा से त्याग–पत्र
88	श्री विपिन कुमार राय	गाजिपुर	चमोली	01-12-1984	सामान्य	स्नातक	11-10-2010	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित

89	श्री जगदीशचन्द्र जोशी	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	30-12-1958	सामान्य	इण्टर	23-11-2010	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	अमीन पद से संवर्ग परिवर्तन
90	श्री तरूण कुमार	रूद्रप्रयाग	देहरादून	23-07-1991	सामान्य	स्नातक	29-03-2011	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
91	श्री दीपक अधिकारी	ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	20-03-1988	सामान्य	स्नातक	04-07-2011	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	सेवा से त्याग–पत्र
92	कु0ज्योत्सना निधि डेनियल	देहरादून	देहरादून	10-10-1987	सामान्य	इण्टर	31-10-2012	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	सेवा से त्याग–पत्र
93	श्री संजीव कुमार	सीतापुर(उ0प्र0)	नैनीताल	10-12-1986	पि0जाति	इण्टर	29-01-2013	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	मृतक आश्रित
94	श्री हरीश कुमार	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	29-04-1982	अनु0जाति	हाईस्कूल	16-12-2014	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	चतुर्थ श्रेणी पद से पदोन्नत

स्टाफ अधिकारी,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत वाहन चालकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची

संख्या 367/ल0सिं0/स्था0–8(4)/2017–18 दिनांक : 23 मई 2017

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

क0 सं0	कर्मचारी का नाम	तैनाती स्थान	गृह जनपद	जन्मतिथि	मौलिक नियुक्ति की तिथि	पद पर योगदान की तिथि	स्थाई/ अस्थाई	योग्यता शैक्षिक	योग्यता प्राविधिक	जाति	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री दीवान सिंह	नैनीताल	अल्मोड़ा	1.1.1950	1.12.1969	1.12.1969	स्थाई	साक्षर	–	सामान्य	दिनांक 31.12.2009 को सेवानिवृत्त
2	श्री बच्चीराम	अल्मोड़ा	नैनीताल	24.7.1950	1.5.1980	1.5.1980	स्थाई	8वीं	–	अनु0जाति	दिनांक 31.07.2010 को सेवानिवृत्त
3	श्री आनन्द लाल	नैनीताल	नैनीताल	1.12.1948	26.6.1981	26.6.1981	1.12.88	5वीं	–	अनु0जाति	दिनांक 30.11.2008 को सेवानिवृत्त
4	श्री सुन्दर राम	नैनीताल	नैनीताल	15.7.1961	7.11.1985	7.11.1985	स्थाई	8वीं	–	अनु0जाति	–
5	श्री उम्मेद सिंह	टिहरी	टिहरी	12.5.1956	19.3.1987	19.3.1987	2.8.95	5वीं	–	सामान्य	31.05.2016 को सेवानिवृत्त
6	श्री हिम्मत सिंह	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	11.8.1949	15.6.1989	15.6.1989	स्थाई	8वीं	–	सामान्य	दिनांक 31.08.2009 को सेवानिवृत्त
7	श्री पूरनसिंह	चमोली	देहरादून	15.7.1962	1.9.1990	1.9.1990	8.12.95	8वीं	–	सामान्य	–
8	श्री सुरेश लाल	उत्तरकाशी	चमोली	5-4-1959	7-12-1990	7-12-1990	अस्थाई	5वीं	–	अनु0जाति	विगत कई वर्षो से ड्यूटी लगातार अनुपस्थित होने कारण सेवा समाप्त।
9	श्री अजय प्रकाश	मु0अ0कार्यालय	देहरादून	18-3-1967	7-2-1991	7-2-1991	2.8.95	8वीं	–	सामान्य	–
10	श्री मो0हसीन सिद्धीकी	हरिद्वार	ईटावा	30.12.1968	7.2.1991	7.2.1991	1.2.99	8वीं	–	सामान्य	–
11	श्री राधेलाल	देहरादून	चमोली	16.9.1966	1.8.1997	1.8.1997	अस्थाई	8वीं	–	अनु0जाति	–
12	श्री महेशसिंह	वृत्त पौड़ी	अल्मोड़ा	2.5.1970	1.9.2000	1.9.2000	17.6.04	8वीं	–	सामान्य	–
13	श्री नन्दन सिह	ऊधमसिंहनगर	नैनीताल	1.7.1964	5.11.2004	9.11.2004	अस्थाई	8वीं	–	सामान्य	–
14	श्री महेन्द्र सिंह	मु0अ0कार्यालय	नैनीताल	5.2.1967	5.11.2004	6.11.2004	स्थाई	5वीं	–	सामान्य	–

15	श्री गोपाल सिंह	चम्पावत	नैनीताल	27.4.1975	5.11.2004	9.11.2004	अस्थाई	8वीं	–	सामान्य	–
16	श्री नरेन्द्र पॉल	पौड़ी	पौड़ी	1.1.1970	5.11.2004	5.11.2004	अस्थाई	8वीं	–	सामान्य	–
17	श्री भूपेन्द्र सिंह	बागेश्वर	बागेश्वर	1.7.1975	07-07-2005	14.7.2005	अस्थाई	हाईस्कूल	–	सामान्य	–
18	श्री मदन मोहन	पौड़ी	पौड़ी	10.6.1976	07-07-2005	11.7.2005	अस्थाई	हाईस्कूल	–	सामान्य	–
19	श्री प्रेम नारायण	मु0अ0कार्यालय	देहरादून	15.7.1974	07-07-2005	4.8.2005	अस्थाई	हाईस्कूल	–	सामान्य	–
20	श्री कमल हसन	देहरादून	देहरादून	14.9.1980	07-07-2005	15.7.2005	अस्थाई	8वीं	–	पि0जाति	–
21	श्री सुनील कुमार पाल	उत्तरकाशी	देहरादून	15.8.1971	07-07-2005	27.7.2005	अस्थाई	हाईस्कूल	–	पि0जाति	–
22	श्री संजय कुमार जायसवाल	पौड़ी	देहरादून	10.7.1972	07-07-2005	1.8.2005	स्थाई	हाईस्कूल	–	पि0जाति	–
23	श्री सुबोध कुमार	चमोली	पौड़ी	13.7.1975	07-07-2005	14.7.2005	अस्थाई	बी0ए0	–	अनु0जाति	–
24	श्री पवन सिंह बिष्ट	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	23.8.1979	15-07-2005	18.7.2005	अस्थाई	8वीं	–	सामान्य	–
25	श्री रवीन्द्र लस्पाल	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	5.7.1981	18-10-2005	20.10.2005	स्थाई	8वीं	–	अ0ज0जाति	–
26	श्री रामचन्द्र सिंह	टिहरी	टिहरी	6.9.1977	04-03-2006	9.3.2006	अस्थाई	8वीं	–	सामान्य	–
27	श्री जीत सिंह	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	25-05-1975	20-04-2010	21-04-2010	अस्थाई	8वीं	–	सामान्य	–

(जे0पी0भास्कर)
स्टाफ आफिसर
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिचांई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग के अनुसेवक संवर्ग वेतनक्रम 2550–3200 (पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे–1800) में कार्यरत कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

संख्या 393/ल0सिं0/स्था0–7(XI)/ज्ये0सू0/2014–15 दिनांक : 20 जून 2014 का संलग्नक

ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय/ जनपद	जन्मतिथि	जाति	शैक्षिक/ प्राविधिक योग्यता	विभागीय चयन समिति की संस्तुति/ नियुक्ति की तिथि	विभाग में पद पर योगदान की तिथि	वर्तमान पद	स्थाई/ अस्थाई	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री रूप सिंह	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	01-11-1947	सामान्य	पांचवीं	01-06-1966	01-06-1966	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 31–10–2007 को सेवानिवृत्त
2	श्री मोहन सिंह	नैनीताल	पिथौरागढ़	03-03-1948	सामान्य	पांचवीं	08-08-1968	08-08-1968	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 31–03–2008 को सेवानिवृत्त
3	श्री गंगा सिंह	नैनीताल	नैनीताल	17-07-1946	सामान्य	पांचवीं	12-08-1968	12-08-1968	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 31–07–2006 को सेवानिवृत्त
4	श्री शेर सिंह	बागेश्वर	बागेश्वर	24-04-1951	सामान्य	पांचवीं	22-01-1970	22-01-1970	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 30–04–2011 को सेवानिवृत्त
5	श्री मोहन सिंह	नैनीताल	नैनीताल	08-08-1951	सामान्य	पांचवीं	03-02-1970	03-02-1970	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 31–08–2011 को सेवानिवृत्त
6	श्री केशर सिंह	देहरादून	देहरादून	07-06-1946	सामान्य	पांचवीं	10-03-1970	10-03-1970	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 30–06–2006 को सेवानिवृत्त
7	श्री गिरीश चन्द्र	देहरादून	देहरादून	16-04-1952	सामान्य	आठवीं	17-08-1971	17-08-1971	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 30–04–2012 को सेवानिवृत्त
8	श्री विक्रम सिंह	पौड़ी	पौड़ी	25-12-1948	सामान्य	पांचवीं	03-09-1972	03-09-1972	–	स्थाई	अनुसेवक के पद पर कार्यरत रहते हुए मृत्यु
9	श्री मोहन लाल	नैनीताल	नैनीताल	08-05-1953	अनु0जाति	पांचवीं	27-12-1973	27-12-1973	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 31–05–2013 को सेवानिवृत्त
10	श्री वीर सिंह	टिहरी	टिहरी	15-08-1953	सामान्य	पांचवीं	01-04-1975	01-04-1975	अनुसेवक	स्थाई	अनुसेवक के पद से 31–08–2013 को सेवानिवृत्त
11	श्री हुकुम सिंह	टिहरी	उत्तरकाशी	07-05-1947	सामान्य	पांचवीं	01-01-1979	01-01-1979	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 31–05–2007 को सेवानिवृत्त
12	श्री मेहरबान सिंह	पौड़ी	पौड़ी	15-03-1952	सामान्य	छठवीं	29-08-1980	29-08-1980	–	स्थाई	अनुसेवक के पद से 31–03–2012 को सेवानिवृत्त
13	श्री भीम बहादुर	देहरादून	टिहरी	13-03-1963	सामान्य	आठवीं	05-08-1982	05-08-1982	अनुसेवक	स्थाई	–

14	श्री रमेश सिंह	अल्मोड़ा	नैनीताल	04-07-1958	सामान्य	पांचवी	23-11-1984	23-11-1984	अनुसेवक	अस्थाई	—
15	श्री देवेन्द्र सिंह	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	25-05-1956	सामान्य	सातवीं	13-02-1986	13-02-1986	अनुसेवक	स्थाई	—
16	श्री पवन कुमार	टिहरी	देहरादून	13-08-1962	सामान्य	सातवीं	08-05-1987	08-05-1987	अनुसेवक	स्थाई	—
17	श्री रामाधार शर्मा	देहरादून	हरिद्वार	01-07-1952	सामान्य	इण्टर	23-05-1992	23-05-1992	—	स्थाई	कनिष्ठ सहायक पद से 31—07—2012 को सेवानिवृत्त
18	श्री सोवेन्द्र सिंह रावत	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	01-04-1962	सामान्य	पांचवी	23-05-1992	23-05-1992	अनुसेवक	स्थाई	—
19	श्री ललित कुमार	मथुरा	देहरादून	15-02-1965	सामान्य	इण्टर	23-05-1992	23-05-1992	कनिष्ठ सहायक	स्थाई	—
20	श्री विष्णु प्रसाद	देहरादून	हरिद्वार	12-07-1964	सामान्य	आठवीं	26-05-1992	26-05-1992	अनुसेवक	स्थाई	—
21	श्री पुष्कर सिंह	नैनीताल	नैनीताल	20-10-1962	सामान्य	पांचवी	01-11-1992	01-11-1992	अनुसेवक	अस्थाई	—
22	श्री विजय कुमार बिष्ट	अल्मोड़ा	ऊधमसिंहनगर	20-05-1974	सामान्य	आठवीं	28-01-1994	28-01-1994	अनुसेवक	अस्थाई	—
23	श्रीमती पुष्पा बनकोटी	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	31-03-1972	सामान्य	पांचवी	08-09-1994	08-09-1994	अनुसेवक	अस्थाई	—
24	श्री चन्द्रशेखर	पौड़ी	उत्तरकाशी	25-05-1965	अनु0जाति	हाईस्कूल	05-08-1997	05-08-1997	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	—
25	श्री बलवन्त सिंह	चमोली	पौड़ी	07-07-1968	सामान्य	आठवीं	22-08-1997	22-08-1997	अनुसेवक	स्थाई	—
26	श्री केशर सिंह	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	20-03-1977	सामान्य	इण्टर	02-01-1998	02-01-1998	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	—
27	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	चम्पावत	चम्पावत	20-07-1976	सामान्य	आठवीं	06-02-1999	06-02-1999	अनुसेवक	अस्थाई	उ0प्र0 राज्य से आवंटित
28	श्री सुनील कुमार बनकोटी	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	07-01-1977	सामान्य	हाईस्कूल	09-03-2000	10-03-2000	अनुसेवक	अस्थाई	—
29	श्री दयाल सिंह	अल्मोड़ा	रूद्रप्रयाग	22-10-1979	सामान्य	इण्टर	01-12-2000	01-12-2000	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	—
30	श्री सुरजन सिंह	पौड़ी	देहरादून	15-11-1970	सामान्य	आठवीं	26-12-2000	26-12-2000	अनुसेवक	स्थाई	—
31	श्री पीयूष वर्मा	बस्ती	पौड़ी	25-03-1983	पि0जाति	इण्टर	21-05-2001	21-05-2001	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई	—
32	श्री भगवान सिंह राणा	टिहरी	देहरादून	10-03-1973	सामान्य	पांचवी	25-11-2002	25-11-2002	अनुसेवक	अस्थाई	—

33	श्री कुम्दानन्द	चमोली	चमोली	21-07-1965	सामान्य	आठवीं	30-11-2002	30-11-2002	अनुसेवक	स्थाई	—
34	श्री रामदीन मौर्य	सीतापुर	नैनीताल	10-03-1953	पि0जाति	इण्टर	11-02-2003	11-02-2003	—	अस्थाई	अनुसेवक के पद पर रहते हुए मृत्यु।
35	श्रीमती विमला देवी	पौड़ी	देहरादून	21-10-1963	सामान्य	पांचवी	01-05-2003	01-05-2003	—	अस्थाई	अनुसेवक के पद पर रहते हुए मृत्यु।
36	श्रीमती कुन्ती देवी	पौड़ी	देहरादून	01-03-1957	सामान्य	पांचवी	01-01-2005	01-01-2005	अनुसेवक	अस्थाई	मृतक आश्रित
37	श्री आनसिंह पालनी	बागेश्वर	बागेश्वर	04-03-1961	सामान्य	साक्षर	20-05-2005	20-05-2005	अनुसेवक	अस्थाई	—
38	श्री राजेन्द्रसिंह बिष्ट	नैनीताल	नैनीताल	05-08-1952	सामान्य	पांचवी	20-05-2005	20-05-2005	—	अस्थाई	अनुसेवक के पद से सेवानिवृत्त
39	श्री खीम सिंह	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	05-05-1968	सामान्य	आठवीं	20-05-2005	20-05-2005	अनुसेवक	अस्थाई	—
40	श्री मंगल सिंह	पौड़ी	देहरादून	21-05-1962	सामान्य	आठवीं	20-05-2005	20-05-2005	—	अस्थाई	अनुसेवक के पद पर रहते हुए मृत्यु।
41	श्री प्रेमचन्द्र रमोला	उत्तरकाशी	टिहरी	15-11-1967	सामान्य	इण्टर	20-05-2005	20-05-2005	अनुसेवक	स्थाई	—
42	श्री ज्ञान सिंह	पौड़ी	देहरादून	04-03-1970	सामान्य	हाईस्कूल	20-05-2005	20-05-2005	अनुसेवक	अस्थाई	—
43	श्री मोहनलाल श्रीवास्तव	बस्ती	देहरादून	04-04-1968	सामान्य	हाईस्कूल	20-05-2005	20-05-2005	अनुसेवक	अस्थाई	—
44	श्री जयपाल सिंह	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	07-05-1969	सामान्य	आठवीं	20-05-2005	20-05-2005	अनुसेवक	स्थाई	—
45	श्री महावीर सिंह	पौड़ी	चमोली	11-01-1968	सामान्य	आठवीं	20-05-2005	20-05-2005	अनुसेवक	स्थाई	—
46	श्री ओमहरि	मथुरा	नैनीताल	20-09-1965	सामान्य	हाईस्कूल	20-05-2005	20-05-2005	अनुसेवक	अस्थाई	—
47	श्री रतन सिंह राणा	टिहरी	देहरादून	12-06-1973	सामान्य	आठवीं	20-05-2005	20-05-2005	अनुसेवक	अस्थाई	—
48	श्री नत्थू सिंह	पौड़ी	पौड़ी	02-05-1965	अनु0जाति	आठवीं	01-08-2005	03-08-2005	अनुसेवक	अस्थाई	—
49	श्री बलवीर सिंह	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	20-05-1976	पि0जाति	इण्टर	01-08-2005	03-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	—
50	श्री अर्जुन नौटियाल	देहरादून	चमोली	21-04-1985	अ0ज0जाति	बी0ए0	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	—
51	श्री रंजन लाल	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	05-06-1971	अनु0जाति	आठवीं	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	—
52	श्री उमाशंकर	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	04-09-1973	अनु0जाति	आठवीं	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	अस्थाई	—
53	श्री विक्रम सिंह	देहरादून	देहरादून	01-04-1976	अ0ज0जाति	इण्टर	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	अस्थाई	—
54	श्री आदेश कुमार	देहरादून	हरिद्वार	05-12-1980	अनु0जाति	हाईस्कूल	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	—
55	श्री प्रेमलाल नौटियाल	उत्तरकाशी	रूद्रप्रयाग	10-01-1967	पि0जाति	हाईस्कूल	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	—

56	श्री केशव कुमार	देहरादून	टिहरी	29-01-1983	अनु0जाति	बी0कॉम	01-08-2005	04-08-2005	–	अस्थाई	विभाग से त्याग–पत्र
57	श्री हरीश कुमार	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	29-04-1982	अनु0जाति	हाईस्कूल	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	–
58	श्री दरपान लाल	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	29-06-1972	अनु0जाति	आठवीं	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	अस्थाई	–
59	श्रीमती गुलशन आरा	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	05-07-1973	पि0जाति	बी0ए0	01-08-2005	06-08-2005	अनुसेवक	अस्थाई	–
60	श्री मो0अनीस	देहरादून	टिहरी	20-06-1982	पि0जाति	स्नातक	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	–
61	श्री विनोद कुमार	देहरादून	पौड़ी	05-04-1987	अनु0जाति	हाईस्कूल	01-08-2005	03-08-2005	अनुसेवक	अस्थाई	–
62	श्री किशन दास	टिहरी	टिहरी	01-04-1976	अनु0जाति	इण्टर	01-08-2005	10-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	–
63	श्रीमती विनय	देहरादून	देहरादून	05-07-1981	अनु0जाति	बी0ए0	01-08-2005	17-08-2005	अनुसेवक	अस्थाई	–
64	श्री अय्यूब अहमद	देहरादून	हरिद्वार	07-07-1977	पि0जाति	इण्टर	01-08-2005	03-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	–
65	श्रीमती रामवती	देहरादून	हरिद्वार	05-05-1979	अनु0जाति	बी0ए0	01-08-2005	17-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	–
66	श्री अनिल कुमार	देहरादून	हरिद्वार	07-10-1979	पि0जाति	बी0ए0	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	–
67	श्री अनिल कुमार यादव	देहरादून	हरिद्वार	08-06-1978	पि0जाति	हाईस्कूल	01-08-2005	04-08-2005	अनुसेवक	स्थाई	–
68	श्री कृष्णमोहन सिंह	पौड़ी	पौड़ी	03-03-1968	सामान्य, विकलांग	एम0ए0	13-09-2005	26-09-2005	अनुसेवक	अस्थाई	–
69	श्री मनमोहन सिंह	पौड़ी	पौड़ी	12-06-1985	सामान्य	पांचवीं	01-07-2008	01-07-2008	अनुसेवक	अस्थाई	मृतक आश्रित
70	श्रीमती सुमा देवी	पौड़ी	देहरादून	04-08-1974	सामान्य	पांचवी	16-03-2012	16-03-2012	अनुसेवक	अस्थाई	मृतक आश्रित
71	श्री सुमित रावत	पौड़ी	देहरादून	09-07-1993	सामान्य	हाईस्कूल	16-03-2012	16-03-2012	अनुसेवक	अस्थाई	मृतक आश्रित
72	श्री हरीश सिंह	नैनीताल	नैनीताल	08-06-1978	सामान्य	हाईस्कूल	27-04-2012	27-04-2012	अनुसेवक	अस्थाई	–
73	श्री दिगमोहन नैथानी	पौड़ी	पौड़ी	15-01-1968	सामान्य	हाईस्कूल	15-05-2012	15-05-2012	अनुसेवक	अस्थाई	–
74	श्री गंगा सिंह रावत	चमोली	चमोली	05-06-1972	सामान्य	आठवी	16-05-2012	16-05-2012	अनुसेवक	अस्थाई	–
75	श्री रणधीर सिंह चौहान	मुजफ्फरनगर	रूद्रप्रयाग	01-06-1963	सामान्य	आठवी	26-05-2012	26-05-2012	अनुसेवक	अस्थाई	–

76	श्री कुंवर सिंह रावत	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	01-04-1970	सामान्य	बी0ए0	26-05-2012	26-05-2012	अनुसेवक	अस्थाई	–
77	श्री हरीशचन्द्र मेवाल	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	01-06-1974	सामान्य	आठवी	26-05-2012	26-05-2012	अनुसेवक	अस्थाई	–
78	श्री महावीरसिंह जड़धारी	देहरादून	चमोली	05-05-1969	सामान्य	हाईस्कूल	12-07-2012	12-07-2012	अनुसेवक	अस्थाई	–
79	श्रीमती बाला देवी	बिजनौर	पौड़ी	21-05-1960	अनु0जाति	साक्षर	17-07-2012	17-07-2012	अनुसेवक	अस्थाई	–
80	श्री अजय राणा	पौड़ी	पौड़ी	06-12-1963	सामान्य	एम0ए0	17-07-2012	17-07-2012	अनुसेवक	अस्थाई	–
81	श्री महेशचन्द्र जोशी	अल्मोड़ा	बागेश्वर	06-05-1973	सामान्य	साक्षर	22-01-2013	22-01-2013	अनुसेवक	अस्थाई	–
82	श्री बिजेन्द्रसिंह परमार	उत्तरकाशी	टिहरी	30-09-1972	सामान्य	हाईस्कूल	01-02-2013	01-02-2013	अनुसेवक	अस्थाई	–

(जे0पी0भास्कर)
स्टाफ अधिकारी,
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

प्रारूप–I

(संवर्गवार स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे तथा रिक्त पदों का विवरण)

विभाग का नाम : लघु सिंचाई विभाग।

माह–मार्च, 2019

विभागाध्यक्ष का नाम/पदनाम : मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

क0 सं0	संवर्ग/सेवा का नाम	समूहवार स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विभागीय पुनर्गठन की स्थिति	रिक्ति का कारण/अभ्युक्ति संक्षेप में
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य अभियन्ता	(क) सीधी भर्ती –	-	-	शा0सं0 625/ ।। –2006–01 (34)/ 04 दिनांक 13.09.06 द्वारा संरचनात्मक ढांचा स्वीकृत	–
		पदोन्नति – 01	1	-		
2	अधीक्षण अभियन्ता	(क) सीधी भर्ती –	-	-		शासन स्तर पर पदोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है। एक अधिशासी अभियन्ता की जांच लम्बित होने के कारण पदोन्नति का लिफाफा बन्द है।
		पदोन्नति – 04	3	1		
3	अधिशासी अभियन्ता	(क) सीधी भर्ती –	-	-		–
		पदोन्नति – 14	14	0		
4	सहायक अभियन्ता	(ख) सीधी भर्ती – 15	8	7		सीधी भर्ती के 07 रिक्त पदों का अधियाचन लो0से0आ0 को प्रेषित किया गया है।
		पदोन्नति – 23	17	6		पदोन्नति कोटे के 04 पदों का अधियाचन प्रेषित लो0से0आ0 प्रेषित किया जा चुका है। पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत 01 पद पर पदोन्नति हेतु लिफाफा बन्द है तथा 01 सहायक अभियन्ता की पदोन्नति माह जनवरी, 2019 में होने के फलस्वरूप 01 पद और रिक्त हुआ है, जिसका अधियाचयन शीघ्र प्रेषित किया जा रहा है।
5	कनिष्ठ अभियन्ता	(ग) सीधी भर्ती – 109	85	24		सीधी भर्ती के रिक्त 22 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन पत्र शासन को प्रेषित किया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के कारण शासन द्वारा वापस कर दिया गया है। अधियाचयन पुनः प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 17 कनिष्ठ अभियन्ता संविदा के आधार पर तैनात हैं।
		पदोन्नति – 36	18	18	–	पदोन्नति कोटे के 18 पदों हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।

6	बोरिंग टैक्नीशियन	(ग) सीधी भर्ती –	-	-	–	पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।
		पदोन्नति – 24	21	3	–	
7	सहा0बो0टैक्नीशियन	(ग) सीधी भर्ती – 46	40	6	–	02 पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं किया गया है शेष 04 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रा0शि0प0 द्वारा पूर्ण की जानी है।
		पदोन्नति – –	-	-	–	
8	खण्डीय लेखाकार	(ग) सीधी भर्ती– 13	7	6		महालेखाकार कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जानी है।
		पदोन्नति– –	-	-	–	
9	प्रारूपकार	(ग) सीधी भर्ती – 07	5	2		प्रा0शि0प0 द्वारा रिक्त 02 पदों के सापेक्ष 01 अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिसके द्वारा वर्तमान में सेवा से त्यागपत्र दिया गया है।
		पदोन्नति – 06	4	2	–	पदोन्नति कोटे 02 पदों पर पदोन्नति हेतु कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
10	अनुरेखक	(ग) सीधी भर्ती – 05	-	5	–	विभागीय संरचनात्मक ढांचे में संवर्ग मृत घोषित किया जा चुका है।
		पदोन्नति – –	-	-	–	
11	मुख्य प्रशा0अधिकारी	(ग) सीधी भर्ती –00			आ0सं0 1383 दिनांक 16–12–2016 द्वारा मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पूर्व से सृजित कुल 99 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।	–
		पदोन्नति –06	5	1		पात्र कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।
12	व0प्रशा0अधिकारी	(ग) सीधी भर्ती–00				–
		पदोन्नति–08	2	6		पात्र कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।
13	प्रशा0अधिकारी	(ग) सीधी भर्ती –	-	-		–
		पदोन्नति – 8	7	1		पात्र कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।
14	मुख्य वैय0अधिकारी	(ग) सीधी भर्ती –	-	-		
		पदोन्नति – 01	-	1		01 पद पदोन्नति कोटे का रिक्त है। पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
15	वैयक्तिक अधिकारी	(ग) सीधी भर्ती –	-	-		–
		पदोन्नति – 03	3	0	शा0सं0278 / ।।–2017–01(05) / 2011 दिनांक 25.05.17 द्वारा आ0लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित कुल 18 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।	
16	वरि0वै0सहायक	(ग) सीधी भर्ती –	-	-	–	पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।

		पदोन्नति – 06	5	1	–	
17	वैयक्तिक सहायक	(ग) सीधी भर्ती – 08	4	4	–	प0सं0 788 दिनांक 20.08.2016 द्वारा 03 रिक्त पदों का अधियाचन अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया है। माह जून, 2018 में स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति के उपरांत वैयक्तिक सहायक के पदों में कमी आई हैं। माह जून, 2018 में पदोन्नति होैने के कारण 02 पद रिक्त हुए हैं।
		पदोन्नति – –	-	-	–	
18	प्रधान सहायक	(ग) सीधी भर्ती –	-	-	–	–
		पदोन्नति – 18	17	1	–	–
19	वरिष्ठ सहायक	(ग) सीधी भर्ती –	-	-	–	–
		पदोन्नति – 28	28	0	–	–
20	कनिष्ठ सहायक	(ग) सीधी भर्ती – 22	13	9	–	माह फरवरी, 2018 में 07 कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर होने के कारण 09 पद सीधी भर्ती के रिक्त हैं तथा 01 पद पदोन्नति कोटे का रिक्त है। पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत किसी भी कार्मिक द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के कारण पद रिक्त है।
		पदोन्नति – 09	8	1	–	
21	वाहन चालक	(ग) सीधी भर्ती – 26	25	1	–	–
		पदोन्नति – –				
22	अमीन/सींचपाल	(ग) सीधी भर्ती – 08	3	5	–	विभागीय संरचनात्मक ढांचे में संवर्ग मृत घोषित किया जा चुका है।
		पदोन्नति – –	-	-	–	
23	अनुसवेक	(घ) सीधी भर्ती – 85	74	11	–	शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरे जाने पर रोक लगाये जाने के कारण।
		पदोन्नति – –	-	-	–	

स्टाफ आफिसर,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

प्रारूप–II

(आरक्षित पदों के सापेक्ष भरे तथा रिक्त पदों का विवरण)

विभाग का नाम : लघु सिंचाई विभाग **माह–मार्च, 2019**

विभागाध्यक्ष का नाम :

क0 सं0	संवर्ग/सेवा का नाम	समूहवार स्वीकृत पदों की संख्या	लागू रोस्टर के अनुसार आरक्षित पद			भरे पदों की संख्या			क्षैतिज आरक्षण के तहत भरे गये पद		आरक्षण कोटा पूर्ण न होने का कारण
			SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	W	H	
1	मुख्य अभियन्ता,	(क) सीधी भर्ती –	-	-	-	-	-		-	-	एकल पद पर नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
		पदोन्नति – 01	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	अधीक्षण अभियन्ता	(क) सीधी भर्ती –									–
		पदोन्नति – 04	1	-	-	-	-	1	-	-	
3	अधिशासी अभियन्ता	(क) सीधी भर्ती –	-	-	-	-	-	-	-	-	रिक्त पदों की पूर्ति शासन स्तर से होनी है।
		पदोन्नति – 14	3	-	-	8	-	-	-	-	
4	सहायक अभियन्ता	(ख) सीधी भर्ती – 15	4	-	2	2	-	2	-	-	रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अधियाचन प्रेषित कर दिया गया है।
		पदोन्नति – 23	5	-	-	1	-	5	-	-	वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
5	कनिष्ठ अभियन्ता	(ग) सीधी भर्ती– 109	23	3	15	20	3	7	4	-	लो0से0आ0 द्वारा 15 चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से 02 अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं किया गया है। रिक्त 22 पदों हेतु अधियाचन पत्र संख्या–1916 दिनांक 19–01–2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
		पदोन्नति – 36	8	1	-	4	-	1	-	-	वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
6	बोरिंग टैक्नीशियन	(ग) सीधी भर्ती – –	-	-	-	-	-	-	-	-	पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।
		पदोन्नति – 24	5	1	-	3	-	2	-	-	
7	सहा0बो0टैक्नीशियन	(ग) सीधी भर्ती – 46	10	1	6	10	1	5	-	-	–
		पदोन्नति – –	-	-	-	-	-	-	-	-	

8	खण्डीय लेखाकार	(ग) सीधी भर्ती – 13	3	-	1	1	-	1	-	-	महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा रिक्त पद भरे जाने हैं।
		पदोन्नति – –	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	प्रारूपकार	(ग) सीधी भर्ती – 07	2	-	1	1	-	0	1	-	रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की को अधियायचन प्रेषित कर दिया गया है।
		पदोन्नति – 06	1	-	-	-	-	-	-	-	–
10	अनुरेखक	(ग) सीधी भर्ती – 05	-	-	-	-	-	-	-	-	विभागीय संरचनात्मक ढांचे में संवर्ग को मृत घोषित कर दिया गया है।
		पदोन्नति – –	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	मुख्य प्रशा0अधिकारी	(ग) सीधी भर्ती – –	-	-	-	-	-	-	-	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई है।
		पदोन्नति – 06	1	-	-	-	-	-	-	-	
12	वरिष्ठ प्रशा0अधि0	(ग) सीधी भर्ती – –									–
		पदोन्नति – 08	2	-	-	-	-	-	-	-	
13	प्रशासनिक अधिकारी	(ग) सीधी भर्ती – –	-	-	-	-	-	-	-	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई है।
		पदोन्नति – 08	2	-	-	2	-	-	-	-	
14	मुख्य वै0अधिकारी	(ग) सीधी भर्ती – –	-	-	-	-	-	-	-	-	पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
		पदोन्नति – 03	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	वैयक्तिक अधिकारी	(ग) सीधी भर्ती – –	-	-	-	-	-	-	-	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई है। ज्येष्ठतानुसार पदोन्नति हेतु विभागीय कार्यवाही गतिमान है।
		पदोन्नति – 03	1	-	-	-	-	-	-	-	
16	वरि0वैय0सहायक	(ग) सीधी भर्ती – –	-	-	-	-	-	-	-	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई है। ज्येष्ठतानुसार पदोन्नति हेतु विभागीय कार्यवाही गतिमान है।
		पदोन्नति – 06	2	-	-	1	-	-	-	-	
17	वैयक्तिक सहायक	(ग) सीधी भर्ती – 08	2	-	1	3	-	-	-	-	रिक्त 03 पदों की पूर्ति हेतु अधियाचन उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है।
		पदोन्नति – –	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	प्रधान सहायक	(ग) सीधी भर्ती – –	-	-	-	-	-	-	-	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई है।
		पदोन्नति – 18	4	-	-	1	-	2	-	-	
19	वरिष्ठ सहायक	(ग) सीधी भर्ती – –	-	-	-	-	-	-	-	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई है।
		पदोन्नति – 28	6	1	-	9	1	5	-	1	

20	कनिष्ठ सहायक	(ग) सीधी भर्ती – 16	5	-	3	-	1	1	-	-	पदो0 में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की गई है। पदोन्नति हेतु आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तीर्ण न होने के कारण।
		पदोन्नति – 15	2	-	1	2	-	4	-	-	
21	वाहन चालक	(ग) सीधी भर्ती – 26	6	1	3	5	2	3	-	-	–
		पदोन्नति – –	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	अमीन / सींचपाल	(ग) सीधी भर्ती – 08	2	-	1	-	-	-	-	-	विभागीय संरचनात्मक ढांचे में संवर्ग को मृत घोषित कर दिया गया है।
		पदोन्नति – –	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	अनुसवेक	(घ) सीधी भर्ती – 85	17	3	12	14	3	7	6	2	शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरे जाने पर रोक लगाये जाने के कारण।
		पदोन्नति – –	-	-	-	-	-	-	-	-	

स्टाफ आफिसर,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

प्रपत्र–2

माह मार्च, 2019

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के प्रकरण में आरक्षण की स्थिति

क0सं0	श्रेणी एवं पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक	अनुसूचित जाति के चयनित कार्मिकों की संख्या	अ0ज0जाति के चयनित कार्मिकों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित कार्मिकों की संख्या	अनु0जाति के रिक्त पद	अ0ज0 जाति के रिक्त पद	अ0पि0वर्ग के रिक्त पद	अनु0जा0 / ज0जा0 / अ0पि0व0 के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रेणी –''ख''										
1	सहायक अभियन्ता	15	8	2	0	2	2	0	0	रिक्त 07 पदों की पूर्ति हेतु अधियाचन दिनांक 29–12–2017 को भेजा गया है।
श्रेणी –''ग''										
1	कनिष्ठ अभियन्ता	109	85	20	3	7	3	0	8	रिक्त 15 पदों के अधियाचन के सापेक्ष लो0से0आ0 द्वारा 15 चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से 02 अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं किया गया है। सीधी भर्ती के रिक्त 22 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन पत्र संख्या–1916 दिनांक 19–01–2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
2	कनिष्ठ सहायक	22	13	0	1	1	5	-1	2	–
3	प्रारूपकार	7	5	1	0	0	1	0	1	सीधी भर्ती के रिक्त 02 पदों का अधियाचन के सापेक्ष 01 अभ्यर्थी का चयन हो चुका है। 01 कार्मिक द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण पद रिक्त हुआ है
4	अनुरेखक	5	0	0	0	0	0	0	0	विभागीय संरचनात्मक ढांचे में संवर्ग मृत घोषित किया जा चुका है।
5	वैयक्तिक सहायक	8	4	3	0	0	-1	0	1	रिक्त पदों का अधियाचन अधीनस्थ चयन आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। माह जून, 2018 में 02 वैयक्तिक सहायकों की पदोन्नति होने के कारण 02 पद रिक्त हुए है।
6	सहा0बोरिंग	46	40	10	1	5	0	0	1	–

	टैक्नीशियन									
7	अमीन	8	3	0	0	0	2	0	1	विभागीय संरचनात्मक ढांचे में संवर्ग मृत घोषित किया जा चुका है।
8	जीपचालक	26	25	5	2	3	1	-1	0	रिक्त 04 पदों का अधियाचन दिनांक 24.09.2010 द्वारा प्रा0शि0परिषद रूड़की को भेजा गया था, जिसके क्रम में परिषद द्वारा 04 वाहन चालकों की चयनोपरान्त चयन सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिनको नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।
श्रेणी–''घ''										
1	चतुर्थ श्रेणी	85	74	14	3	7	3	0	5	शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति पर रोक लगाये जाने के कारण।

स्टाफ आफिसर
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

प्रपत्र– (3)

विभिन्न विभागों में प्रोन्नति के प्रकरण में आरक्षण की स्थिति

क0सं0	श्रेणी एवं पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक	अनुसूचित जाति के चयनित कार्मिकों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के चयनित कार्मिकों की संख्या	अनु0जाति के रिक्त पद	अनु0ज0जा0 के रिक्त पद	अनु0जा0 / जनजाति के रिक्त पदों को भरने के संबन्ध में कार्यवाही की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी –''क''								
1	मुख्य अभियन्ता, स्तर–2	1	1	-	-			–
2	अधीक्षण अभियन्ता(ल0सिं0)	4	3	-	-	-	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। शासन स्तर पर 01 पद हेतु चयन समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है। 01 कार्मिक का लिफाफा बन्द होने के कारण पद रिक्त है।
3	अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0)	14	14	8	-	-5	-	–
श्रेणी –''ख''								
1	सहायक अभियन्ता (ल0सिं0)	23	17	1	-	3	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
श्रेणी –''ग''								
1	कनिष्ठ अभियन्ता	36	18	4	-	6	1	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
2	मुख्य प्रशा0 अधिकारी	6	4	0	-	2	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8	2	0	-	2	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
3	प्रशासनिक अधिकारी	8	7	2	-	0	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
4	प्रधान सहायक	18	17	1	-	3	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
5	वरिष्ठ सहायक	28	28	9	1	-3	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
6	कनिष्ठ सहायक	9	8	2	-	-	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

7	प्रारूपकार	6	4	-	-	1	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
8	मुख्य वैय0अधिकारी	1	0	-	-	-	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
9	वैयक्तिक अधिकारी	3	3	-	-	1	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
10	वरि0वैय0सहायक	6	5	1	-	1	-	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
11	बोरिंग टैक्नीशियन	24	21	3	-	2	1	पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

स्टाफ आफिसर
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।